खण्ड-160, अंक-4
गुरूवार, 3 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(24 नवम्बर, 1955 ई0)

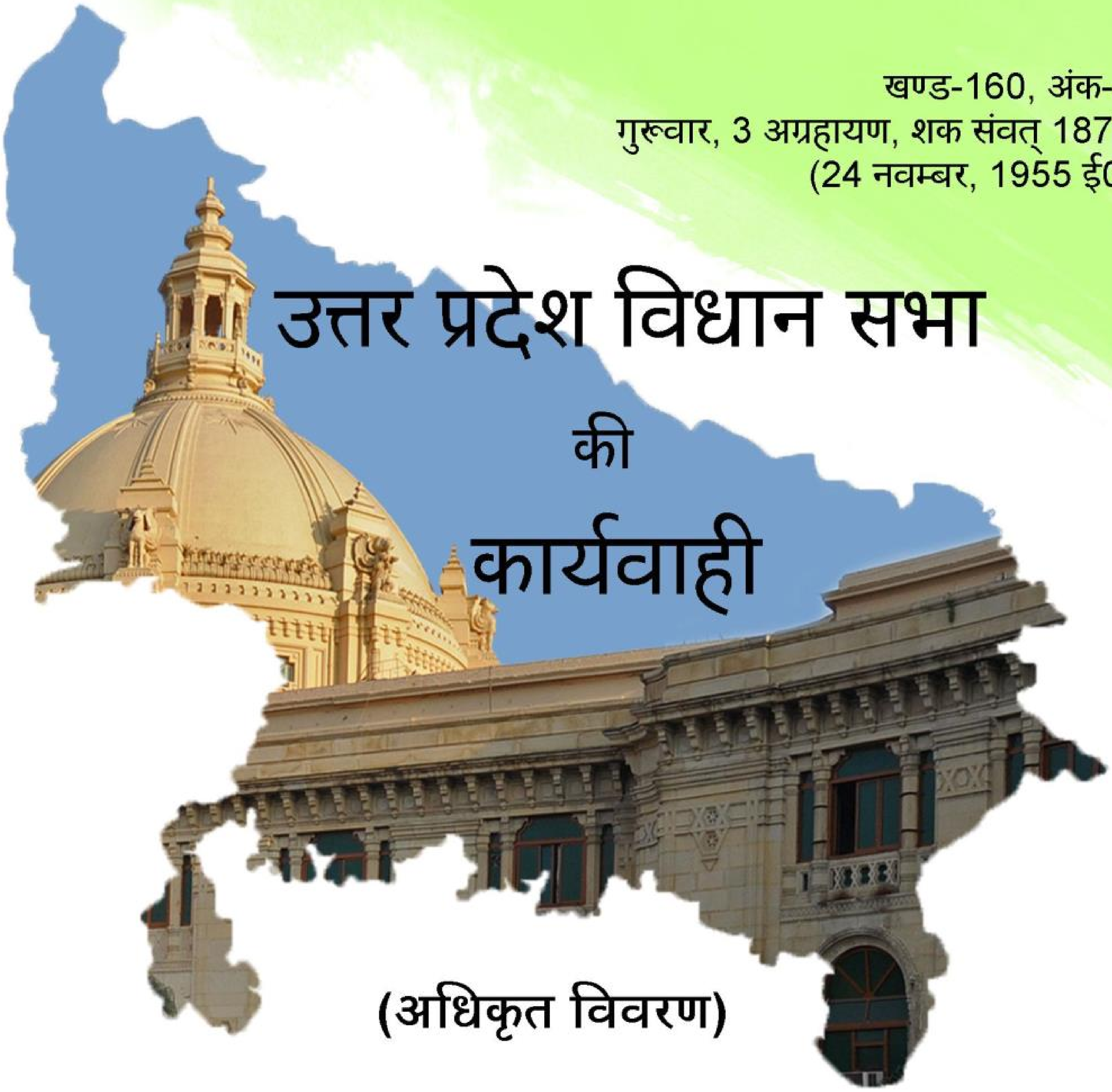

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 160 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २४ नवम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीनदयाल शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमनसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री

रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री

हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, २४ नवम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद में पैरोल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

*४--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में जो अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने के लिये कमेटी बनी है उसके होते हुये भी बहुत से पैरोल मैजिस्ट्रटों की नियुक्ति सीधे सरकार के द्वारा हुई है? यदि हां, तो क्यों?

कारावास उप-मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--चूंकि पैरोल मैजिस्ट्रेटों के कार्य अवैतनिक मैजिस्ट्रेट के कार्य से बिलकुल भिन्न हैं, इसलिये उनकी नियुक्ति अवैतनिक मैजिस्टटों की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत नहीं की गई है। अतः जिले की चुनाव कमेटी से परामर्श करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पैरोल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति किस आधार पर की गई है?

श्री मुजफ्फर हसन--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सिफारिश पर कमिश्नर ने कुछ नामों को गवर्नमेंट के पास भेजा था और वही मंजूर कर दिये गये थे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि पैरोल के काम के लिये कोई नियम सरकार बनाने का विचार कर रही है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं सदन में पहले भी साफ़ कर चुका हूं कि पैरोल मैजिस्ट्रेटों के नाम पर "मैजिस्ट्रेट" शब्द तो केवल शोभा की चीज़ है और उनको मैजिस्ट्रेसी का कोई काम नहीं करना पड़ता, उनका काम केवल यह है कि जो कैदी पैरोल पर छोड़े जाते हैं उनकी देखभाल करें और विशेष कर देहातों में जो छोड़ने के लायक हैं उनकी देखभाल और मदद करें, अभी तजुर्बे के तौर पर केवल ५ जिलों में यह काम शुरू किया गया है इसलिये नियम बनाने का कोई सवाल नहीं उठता, अगर यह प्रयोग सफल रहा तो और जगह बढ़ाया जा सकता है वर्ना यह प्रयोग कर के आगे छोड़ दिया जायगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इलाहाबाद में जो पैरोल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हुई है उनकी क्या योग्यता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उनकी योग्यता यह है कि कमिश्नरों और कलेक्टर ने जो इशारा कया है कि जो काम उनको दिया जायगा उसको वह खूबसूरती के साथ कर सकते हैं।

मिर्जापुर के चुनार थाने के थानेदार ठाकुर कल्पनार्थसिंह का कत्ल

*५—श्री व्रजभूषण मिश्र, (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को ज्ञात हुआ है कि जुलाई के अन्तिम सप्ताह में मिर्जापुर के चुनार थाने के थानेदार ठाकुर कल्पनाथ सिंह की चौराहे पर सैकड़ों आदमियों की उपस्थिति में गुन्डों द्वारा घातक अस्त्रों से निर्मम हत्या कर डाली गई ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—जी हां।

*६—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार थानेदार के निराश्रित परिवार के भरण-पोषण के हेतु कोई पेन्शन देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है और क्या मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है ?

†श्री जगनप्रसाद रावत—इस सम्बन्ध में ४ गिरफ्तारियां हुई हैं परन्तु अभी तक मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी उस मुख्य हत्यारे का नाम बताने की कृपा करेंगे जो गिरफ्तार हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—वह शोभा नाम का व्यक्ति बताया जाता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त थानेदार के परिवार को सरकार ने क्या दिया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उनको अभी पुलिस बेनिफिट फंड से १२०० रुपया दिया गया है लेकिन पेंशन के कागजात अभी चल रहे हैं, उनके पूरे होने पर उनके परिवार को पेंशन मिलेगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस विशेष परिस्थिति में किस अवसर पर उनकी किस प्रकार मृत्यु हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ठाकुर कल्पनाथ सिंह एक मुकदमें से शहादत से आ रहे थे वहां कुछ भीड़ जमा थी उसमें से कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और उसी समय उनकी हत्या कर दी गई।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि जब तक उनकी पेंशन निश्चित नहीं होती तब तक अन्तरिम काल में सरकार उनको कुछ दे रही है या नहीं या कुछ इस सम्बन्ध में वह विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मैंने बताया कि इसी लिये जब तक उनके कागजात का फैसला न हो उनको १२०० रुपया दिये जा चुके हैं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस बात की सूचना है कि जब कत्ल करने के लिये थानेदार साहब पर हमला हुआ तो वहां आसपास एकत्र जनता ने कातिलों के विरुद्ध कोई प्रतिरोध किया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसा सुना जाता है कि जनता ने कुछ विरोध किया था।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि किन कारणों से थानेदार की हत्या की गई थी ?

---

†२२ दिसम्बर, १९५५ को सदन में उपमंत्री द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार संशोधित।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि यह मामला अदालत सुपुर्द है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिस केस की पैरवी से वह आ रहे थे उससे संबंधित गुन्डों ने उनको मारा है या अन्य गुन्डों ने ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह सब तो जब केस के दौरान में तफतीश होगी तब सामने आयेंगी। इस समय कुछ कहना मुश्किल है।

राज्य के राइफल क्लब

*७—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में कुल कितने रायफल क्लब हैं और उनके पास अपने कितने लाइसेंसी हथियार हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—प्रदेश में इस समय कुल ५४ राइफल क्लब हैं और उनके पास अपने कुल ५४ लाइसेन्सी हथियार हैं।

*८—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या यह सच है कि इन राइफल क्लबों के नियमों के बनाने में सरकार की कोई स्वीकृति नहीं ली जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। सभी क्लब अपने आवश्यकतानुसार नियम बनाते हैं तथा इनमें संशोधन करते हैं। सरकार से इस सम्बन्ध में अनुमति लेने में उन्हें तथा सरकार दोनों ही को असुविधा होगी।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर ग्राम रक्षा समितियां हैं वे उन क्लबों को ज्वाइन कर सकती हैं या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अगर क्लब उनको अपना सदस्य रखना चाहें तो जरूर आकर राइफल क्लब में काम कर सकते हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जो लाइसेंस क्लब को मिलते हैं वह क्लब के नाम से मिलता है या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत नाम से ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जो क्लबों को लाइसेंसेज मिलते हैं वह क्लब के नाम से मिलते हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ५१ जिलों में ५४ क्लब हैं, तो क्या कुछ जिलों में दो दो हैं और कुछ में नहीं भी हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—साधारणतया तो एक जिले में एक ही क्लब है लेकिन एकाध जिलों में एक से अधिक क्लब हैं। लेकिन यह केवल ५४ क्लब ही नहीं हैं। कुछ उनके उप क्लब भी हैं, कुछ तहसीलों में भी और कुछ देहातों में भी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि राइफल क्लबों को संगठित किये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या आदेश दिये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस सम्बन्ध में प्रदेश की सरकार के कोई विशेष आदेश नहीं हैं। एक अखिल भारतीय राइफल क्लब असोसियेशन है उसने प्रचार किया और यहां के कुछ लोगों ने इस ओर कदम बढ़ाया और उन्होंने अपने अपने राइफल क्लब खोल दिये हैं। यहाँ से कोई विशेष आदेश या विशेष प्रतिबन्ध नहीं हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन राइफल क्लबों में लाइसेंस शुदा हथियारों से शिक्षित व्यक्तियों को फौज और पुलिस में भर्ती होने में कोई विशेष सुविधा दी जाती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस प्रकार की कोई सुविधा किसी को नहीं मिलती है।

सीतापुर जिले में हरगांव थाने के अन्तर्गत वारदातें

*९—श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, १९५३ से अब (३१-८-५५) तक थाना हरगांव, जिला सीतापुर में कितने कत्ल हुये, कितनी डकैतियां हुईं और इनमें से कितनों में चालान हुआ और कितने मुकदमों के मुलजिमों को सजायें हुईं और कितने छूटे और कितने अभी अदालत में जेरे समाअत हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मांगी हुई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६० पर)

*१०—श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि थाना हरगांव में इतनी संख्या में कत्ल और डकैतियां क्यों हुआ करती हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कत्ल की संख्या में कमी हुई है। डकैती में कुछ वृद्धि अवश्य हुई। इसका कारण गोस नामक कुख्यात डाकू था। यह डाकू २५ जून सन् १९५५ को गिरफ्तार किया गया तब से इस क्षेत्र में स्थिति ठीक है।

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार को यह यकीन है कि तीन कत्लों में चालान बेकसूरों के हुए थे इसलिए वे छूट गये। यदि हां, तो सरकार ने उस थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की जिसने गलत चालान किया और असली मुलजिम का पता लगाने में नाकामयाब रहा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मुकदमा तो किसी मुलजिम के खिलाफ सही समझ कर ही चलाया जाता है लेकिन शहादत ठीक तरह से न होने पर अगर जज की निगाह में वह बेकसूर होता है तो छोड़ दिया जाता है।

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार यह बतायेगी कि बकिया तीन कत्लों में जिनमें न कोई चालान हुए और न किसी को सजा हुई ....

श्री अध्यक्ष—आप यों ही पूछिये। कोई चीज आप पढ़ रहे हैं मैं पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री बशीर अहमद हकीम—इन कत्लों का पता लगाने में वह थानेदार नाकामयाब रहा तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगनप्रसाद रावत—किन कत्लों की तरफ आपका इशारा है।

श्री बशीर अहमद हकीम—जिन कत्लों का जिक्र इस लिस्ट में है।

श्री जगनप्रसाद रावत—यानी आपका मतलब उन कत्लों से है जो ट्रेस नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष—अगर प्रश्न आपकी समझ में नहीं आता हो तो वह दूसरा प्रश्न कर सकते हैं।

श्री बशीर अहमद हकीम---यह लिस्ट है इसमें ६ कत्ल दिये हुए हैं और उसमें तीन पर मुकदमे चले हैं और तीन छूट गये और तीन लापता हैं इन तीन मुकदमों का कोई तजकिरा नहीं है कि वे जेरे तफतीश हैं, छूट गये या सजा हुई।

श्री जगनप्रसाद रावत---तीन के मुताल्लिक इसमें लिखा हुआ है लापता। इनके मुलजिम जो हैं उनका पता नहीं लग सका।

स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अन्तर्गत नहर रेट विरोधी आन्दोलन के सत्याग्रहियों पर हुए जुर्माने की वापसी की मांग

*११---**श्री राजनारायण** (जिला बनारस)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अन्तर्गत नहर रेट विरोधी आन्दोलन के सिलसिले में गत वर्ष जो जुर्माने सत्याग्रहियों से वसूल किये गये थे, वे वापस किये जायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि स्पेशल पावर ऐक्ट के मातहत की गई सजाओं के विरुद्ध इसे अवैधानिक करार देते हुए हाई कोर्ट ने सितम्बर, १९५४ में फैसला किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी जब गृह मंत्री थे, मुख्य मंत्री नहीं थे, को यह याद है कि उन्होंने इस हाउस में वायदा किया था कि सरकार की तरफ से जुर्माने वापस करने का आदेश जल्दी चला जायगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ये सारे मामले इसलिये विचाराधीन हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट से इस बात का फैसला नहीं हुआ कि हाई कोर्ट का फैसला ठीक है या नहीं। जब तक अपील का निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम कुछ करने में मजबूर हैं।

श्री राजनारायण---क्या इस हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सरकार की जानकारी में यह बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी अभी हुई नहीं लेकिन करने का इरादा हो रहा है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार जब तक इस मामले पर निर्णय नहीं हो जाता तो जो वसूली की कार्यवाही लोगों के विरुद्ध हो रही है उसको मुल्तवी करने का आदेश देगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरा खयाल है कि वसूली की कार्यवाही बन्द है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मियाद कितनी होती है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो कानूनी सवाल है। यह आप नहीं पूछ सकते।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मुख्य मंत्री को याद है कि इस सदन में जब हमने एडजर्नमेंट मोशन रक्खा था और माननीय अध्यक्ष महोदय ने इशारा किया था तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है और इसका फैसला एक या डेढ़ महीने के अन्दर हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, ऐसा मैंने कहा था। अपील का प्रोसीजर एक कानूनी बात है जिसे मैं नहीं जानता लेकिन अपील के प्रोसीजर में कुछ गल्ती हो गई थी। नया जो प्रोसीजर है उसके अनुसार अपील होने जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अब तक जो जुरमाना वसूल किया गया है उसकी कुल कितनी रकम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि कुल कितना जुरमाना हुआ था और कितने व्यक्तियों पर ?

श्री अध्यक्ष—वह कह चुके हैं इसके लिये वह नोटिस चाहते हैं ।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की राय दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं ठीक नहीं कह सकता । लेकिन जो कुछ किया जायगा ऐडवोकेट जनरल की राय से ही किया जायगा ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि जब माननीय मुख्य मंत्री अभी तक ठीक नहीं कह सकते कि अपील होगी या नहीं होगी इसके लिए ऐडवोकेट जनरल ने राय दी है या नहीं तो किस आधार पर कहते हैं कि अपील की जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आधार यही है कि एक महत्वपूर्ण बात है । अगर ऐसी अंतिम कानूनी राय मिली कि अपील करने के लायक मामला नहीं है तो अपील नहीं की जायगी । मैं समझता हूं कि जल्दी इसका निर्णय हो ही जायगा । लेकिन अगर यह कानूनी राय हुई कि अपील करने के लायक है तो अपील होगी ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सवा वर्ष का समय व्यतीत हो जाना इतने इम्पार्टेण्ट विषय पर क्यों आवश्यक हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं भी समझता हूं कि इतना समय नहीं लगना चाहिए लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं कानून की बातें ज्यादा जानता नहीं इतना ही मुझे मालूम है कि कोई प्रोसीड्योर में गलती हुई । उस प्रोसीड्योर को दुरुस्त करने का खयाल हो रहा है ।

*१२—**श्री हरदयालसिंह पिपल** (जिला अलीगढ़)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

राज्य के लोन किये गये गजटेड कर्मचारी

*१४—**श्री भगवानसहाय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार के गजटेड कर्मचारियों में से कितने इस समय केन्द्रीय सरकार के पास तथा दूसरी राज्य सरकारों के पास Loan किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राज्य सरकार के गजटेड कर्मचारियों में से इस समय केन्द्रीय सरकार के पास १४४ तथा दूसरी राज्य सरकारों के पास ५८ कर्मचारी Loan किये गये हैं ।

राज्य में सन् १९५४ में डकैतियां, चोरियां तथा कत्ल

*१५—**श्री गजेन्द्रसिंह** (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सन् ५४ में कितनी डकैतियां, चोरियां, कत्ल हुये तथा उनकी जिलेवार संख्या क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६१–३६३ पर)

*१६–१७—श्री रामेश्वरलाल—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

हिमांचल प्रदेश के डोडाक्वार तथा उत्तर प्रदेश के लिवाड़ी गांव में तनातनी

*१८—श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या यह सही है कि बावजूद हिमांचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के क्रमशः डोडाक्वार और लिवाड़ी गांव के सम्बन्धित जिलों के उच्च अधिकारियों के बीच समझौता होने पर इस वर्ष माह जुलाई में फिर डोडाक्वार के लोगों ने लिवाड़ी गांव के लोगों के पशु लूटे और झगड़ा किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि इस साल जुलाई में डोडाक्वार गांव के लोगों ने लिवाड़ी गांव की भेड़ों को चरान करने से रोका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, यह ठीक है ।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि इसी झगड़े के सम्बन्ध में टेहरी-गढ़वाल के डि० मैजिस्ट्रेट शिमला गये थे और वहां के मुख्य मंत्री जी से मिले थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस बात की तो मुझे सूचना नहीं है । लेकिन जो कानफरेंस हुई थी उसकी बाबत मुझको सूचना जरूर है ।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि पिछले साल जो समझौता टेहरी-गढ़वाल के अधिकारियों से और मासू जिले के अधिकारियों के बीच हुआ था उसको इस सरकार ने तो माना लेकिन हिमांचल प्रदेश की सरकार ने उस समझौते को नहीं माना ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि शिमला में जो कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें क्या तय हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तय तो कई बातें हुई थीं । बहुत लम्बी-चौड़ी प्रोसीडिंग है लेकिन उसका नतीजा कोई निकला नहीं । मुख्य बातें तीन-चार थीं, एक तो हिमांचल प्रदेश सरकार को यह आपत्ति है और उनका कहना है कि लिवाड़ी के पास कुल १२ सौ भेड़ हैं और हमारे पास ८ हजार भेड़ हैं । एक तो उनकी बहुत बड़ी आपत्ति यह है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि लिवाड़ी को मांझीबन की गोचर भूमि में कभी भी किसी प्रकार से भेड़ चराने का हक था । उन्होंने यह कहा है कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि इधर से लोगों का उधर जाना और उधर से लोगों का इधर आना बन्द कर दिया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ऐसी स्थिति में जब कि हिमांचल प्रदेश की सरकार समझौते की शर्तों का ठीक पालन नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अब इसके सिवा क्या हो सकता है कि हम एक बार गवर्नमेण्ट आफ इंडिया को रिफर करें अगर आपस की बातचीत से यह तय नहीं हुआ अगर वह तय करा सकें तो करायें ।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ठ--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि हिमांचल प्रदेश की भेड़ें टेहरी गढ़वाल में चरान चुगान के लिये आया करती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। हमारी तरफ से तो यही कहा गया है।

राज्य में पिछड़ी जातियों को सुविधायें

*१९--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---क्या सरकार पिछड़ी जातियों की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पिछड़ी जातियों की प्रामाणिक सूची बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यथासमय बनाई जायगी, फिलहाल संलग्न सूची "क" और "ख" व्यवहार में लाई जा रही है, सूची "क" १९५१ की जनगणना के सिलसिले में तैयार की गई थी और इसमें उल्लिखित जातियों को सरकारी नौकरियों में विशेष सुविधायें दी जाती हैं। सूची 'ख' में उल्लिखित जातियों को केवल शिक्षा संबंधी सुविधायें दी जाती हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६४ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वे विशेष सुविधायें कौन कौन सी हैं जो दी जाती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---विशेष सुविधायें यही होती हैं कि नौकरी का जब कोई सवाल होता है तो उस समय ऐसी जातियों के उम्मीदवारों का खयाल किया जाता है, उम्र वगैरह में रियायत दी जाती है अगर सम्भव हुआ तो शिक्षा सम्बन्धी रियायतें भी दे दी जाती हैं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो केवल १५ पिछड़ी जातियों की सूची तैयार की गई है सरकारी नौकरियों में सुविधा देने के लिये वह किस आधार पर बनाई गई है और यह जो शिक्षा विभाग की सूची थी उसमें से इतना कम क्यों कर दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह १५ जातियां वह हैं जो पिछड़ी जातियों में भी अधिक पिछड़ी हुई हैं । शिक्षा वगैरह में जो ये ज्यादा पिछड़ी हुई हैं इसलिए विशेष आवश्यकता हुई उनकी मदद देने की ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुस्लिम कायस्थ कौन हैं और कहां रहते हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह आपने कहां से निकाला ?

श्री व्रजभूषण मिश्र---अध्यक्ष महोदय, यह सूची में दिया हुआ है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हिन्दू कायस्थ तो मैं खुद हूं अपनी बाबत जानता हूं। मुस्लिम कायस्थ की बाबत मैं जानता नहीं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी) --क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार उस सर्क्युलर पर जो कि उसने ६ सितम्बर, १९५५ को निकाला है पुनर्विचार करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शायद सब-इन्सपेक्टरों के चुनाव का मामला था इसलिये उस समय तो इस पर विचार कर लिया गया, लेकिन स्थायी रूप से विचार रोक रखा है शायद जल्दी ही बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट आ जाय । लेकिन इस समय काम चलाने के लिये हमने यह लिस्ट बना ली थी ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मुख्य मंत्री से मैं यह आशा करूं कि इस कारण कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने में बड़ा समय लगेगा, तो अभी उस पर वह पुनर्विचार करा लेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां । अगर सचमुच उसमें बहुत समय लगा तो निश्चय ही हमको विचार करना होगा, लेकिन हमारा ऐसा खयाल था कि शायद वह बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाली है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियां कौन-कौन मानी गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी वह रिपोर्ट हमारे सामने आयी नहीं । अभी गवर्नमेण्ट आफ इंडिया के ही पास है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट माननीय सदस्य की मेज पर रखी है और उसमें मुस्लिम कायस्थ जाति ऐसी है जिसे वह स्वयं नहीं जानते तो क्या यह सूची गलत है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सूची में तो ऐसी बहुत सी जातियों के नाम हैं जिनको मैं नहीं जानता यह मेरे भूगोल के ज्ञान की कमी हो सकती है, लेकिन इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि वह जातियां ही नहीं हैं ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या वजीर आजम साहब मेहरबानी करके बतलायेंगे कि बैकवर्ड क्लास की, चाहे मुसलमान हों या हिन्दू हों जो फेहरिस्त मुरत्तिब की गयी है वह किन लोगों ने की और किन लिट्रेचर या मालूमातको सामने रख कर इस फेहरिस्त को तरतीब दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब इस लिस्ट की बाबत आखरी जिम्मेदारी गवर्नमेण्ट की है । गवर्नमेन्ट ने बहुत से अफसरों से काम लिया होगा । सरकारी रिपोर्ट देखी गयी, इन बातों को देखा गया कि किन बिरादरियों के लोग लिखने-पढ़ने में पीछे हैं और जो सरकारी कागजात हैं उनकी बिना पर मुरत्तिब हुई और आखीर में गवर्नमेण्ट ने मंजूरी भी दे दी ।

*२०—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—[८ दिसम्बर ,१९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*२१—**श्री बसन्तलाल शर्मा** (जिला बहराइच)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

जिलाधीशों को कथित कम्पेन्सेटरी एलाउन्स

*२२—**श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी**—क्या यह सत्य है कि कुछ जिलाधीशों को प्रदेश में कम्पेन्सेटरी एलाउन्स दिया जाता है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में कितना-कितना और क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२३---श्री जोरावर वर्मा---[१५ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*२४---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में हुई वारदातों से सम्बन्धित मुकदमे

*२५---श्री रामसुन्दरराम (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जिला बस्ती के खलीलाबाद तहसील में जनवरी, सन् १९५४ से सितम्बर, सन् १९५५ तक तहसील के प्रत्येक थाने में कितनी-कितनी डकैतियां हुई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---थाना मुंडेरवा दुधारा तथा खलीलाबाद प्रत्येक में एक-एक डकैती हुई। मेंहदावल, महुली तथा धनघाटा में कोई डकैती नहीं हुई।

*२६---श्री रामसुन्दरराम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी उन डकैतियों में कितनों पर कार्यवाही अब तक हुई है और कितने शेष हैं जिन पर कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---तीनों अभियोगों के सम्बन्ध में मुकदमे चलाये गये। एक में अभियुक्त बरी हो गये, दो अभी अदालत के विचाराधीन हैं।

श्री रामसुन्दरराम---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ये मुकदमे अदालत में चल रहे हैं वह किस थाने के हैं और कौन से गांव के हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---एक तो थाना दुधारा में और दूसरे खलीलाबाद में और मुंडेरवा के थाने के जो थे वह छूट गये।

श्री रामसुन्दरराम---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद थाने में जो डकैती हुयी वह किस तारीख को हुयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---३१ अगस्त, १९५५ में आधी रात को डकैती हुयी।

श्री रामसुन्दरराम---क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि उस डकैती में गांव वालों ने डकैतों का मुकाबला किया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसकी सूचना तो माननीय सदस्य को मुझसे अधिक है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि खलीलाबाद के थाने में जो डकैती पड़ी उसमें बन्दूक से डाकुओं ने काम लिया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---हां, ऐसा मालूम हुआ कि वहां बन्दूकें इस्तेमाल हुयीं।

श्री धनुषधारी पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह जो डकैती खलीलाबाद तहसील में पड़ी थी उसमें १४ आदमी बन्दूक से घायल हुये थे जो अस्पताल में बहुत काफी दिन तक रहे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---कुछ आदमी बन्दूक से घायल हुये, कुछ अस्पताल में दाखिल हुये। बाकी तफसील तो मुकदमे के दौरान में आयेगी। मैं इस सम्बन्ध में अधिक प्रकाश डालना मुनासिब नहीं समझता।

इलाहाबाद में बन्दूक व पिस्तौल के नये लाइसेन्सदार

*२७---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जनवरी, १९५४ से मार्च, १९५५ तक कितने आदमियों ने इलाहाबाद में बन्दूक तथा पिस्तौल के लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और उसमें कितने आदमियों को लाइसेन्स दिये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुल ६८७ आदमियों ने दरखास्तें दीं, जिसमें से ३४४ स्वीकृत हुयीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि सरकार की ओर से प्रति वर्ष लाइसेंस देने के लिये कोई संख्या नियत है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कोई संख्या नियत नहीं है।

रानीखेत तहसील में सिवाली पट्टी कण्डारखुवा निवासी श्री गोविन्दवल्लभ द्वारा आत्महत्या

*२८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि जुलाई, १९५५ के प्रथम सप्ताह में ग्राम सिवाली पट्टी कन्डारखुवा, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के एक व्यक्ति की पेड़ में लटका कर हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो वह लाश किस प्रकार दफनाई गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—८ जुलाई, सन् १९५५ को थाने पर श्री गोविंदवल्लभ के पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर लेने की रिपोर्ट हुयी। जांच में इसकी पुष्टि हुयी और पंचायतनामा बनाने के बाद लाश मृतक के पुत्रों को, अन्त्येष्टि क्रिया के लिये दे दी गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को जांच करने पर श्री गोविंदवल्लभ द्वारा आत्म हत्या करने के कुछ कारण भी ज्ञात हुये ? यदि हां, तो वे क्या कारण थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कारण की तफसील तो मेरे पास नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जांच किनके द्वारा की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जो वहां के थानेदार और गांव के पंच वगैरह होते हैं उनके द्वारा जांच हुयी और पंचायतनामा लिख कर वह लाश दे दी गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि पंचायतनामा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति आत्म हत्या करने वाले व्यक्ति के ही निकट सम्बन्धी थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यदि वे पंचायत वगैरह के सदस्य होंगे तो सम्भव है पंचायतनामा में शामिल हों।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह लाश पोस्ट मार्टम के लिये भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट रही ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पंचायतनामा के बाद जब लाश दे दी जाती है तो उसको पोस्ट मार्टम के लिये भेजने की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी जुर्म का सन्देह होता है तो पोस्ट मार्टम के लिये भेजना जरूरी होता है।

*२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

बिजनौर में कोतवाली की नई इमारत बनाने का विचार

*३०—श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बिजनौर नगर में कोतवाली का स्थान बहुत छोटा और अपर्याप्त है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

*३१—श्री रतनलाल जैन—क्या सरकार कोतवाली की नयी इमारत बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और किस स्थान पर ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां । परन्तु स्थान और समय के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री रतनलाल जैन—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कोतवाली का स्थान इतना छोटा है कि न उसमें कोतवाल रहते हैं और न कोई अफसर जिससे पुलिस के काम में अड़चन पड़ती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां ।

श्री रतनलाल जैन—क्या यह सही है कि पहले इमारत के लिये एक स्थान लिया गया था, जिसमें बाद को शरणार्थियों के क्वार्टर्स बना दिये गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो मेरे पास सूचना नहीं है कि कोई स्थान लिया गया था । लेकिन कुछ स्थानों के लेने की तजवीज थी और जब हमारे यहां से नयी कोतवाली बनाने के लिये योजना मंजूर हो जायगी उस समय जमीन को लेने का प्रश्न होगा ।

श्री रतनलाल जैन—नयी इमारत की आवश्यकता को समझते हुये क्या सरकार अगली पंचवर्षीय योजना में बड़ी इमारत को बना देगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—हमने तो इस इमारत को बनाने के लिये आगामी पंचवर्षीय योजना से पहले ही स्वीकृति लेने की कोशिश की है ।

*३२-३३—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

माधोगढ़, जिला जालौन में पुलिस थाना खोलने की मांग

*३४—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माधोगढ़, जिला जालौन को जहां पहिले पुलिस थाना था पुलिस स्टेशन बनाने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—माधोगढ़ में पुलिस थाना खोलने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि रामपुरा में एक पुलिस थाना है जो माधोगढ़ की अपेक्षा सरहद के निकट होने के कारण अधिक उपयोगी है । माधोगढ़ में शासन सम्बन्धी कोई विशेष समस्यायें भी नहीं हैं ।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माधोगढ़ २०-२५ साल पहले थाना था और अब उसको तोड़कर वर्तमान थाना रामपुरा और रेहड थाने में मिला दिया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—२०-२५ साल पहले की सूचना तो नहीं है लेकिन कोई आवश्यकता हुयी होगी तो ऐसे परिवर्तन अवश्य किये गये होंगे ।

श्री बसन्तलाल—क्या वर्तमान थाने रामपुरा और रेहड का हल्का बढ़ जाने से पुलिस को इंक्वायरी करने में और जनता को १४,१४ मील जाने में दोनों को कठिनाई होती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी कठिनाई की सूचना तो नहीं मिली, अगर कोई कठिनाई महसूस होगी तो पुनः उस पर विचार कर लेंगे ।

१९४२ की क्रान्ति में बनारस जिले के धानापुर काण्ड में मारे गए पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को पेन्शन

*३५--**श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी** (जिला बनारस)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४२ की जून क्रांति में बनारस जिले के धानापुर कांड में चार पुलिस वाले जो मारे गये थे, उनके परिवार वालों को कुछ पुरस्कार स्वरूप धन दिया गया या कुछ मासिक पेंशन दी जा रही है ?

*३६--यदि हां, तो प्रत्येक परिवार को कितना कितना ?

श्री जगनप्रसाद रावत--धानापुर कांड में जो चार पुलिस वाले मारे गये थे उनमें से प्रत्येक के परिवार को पेंशनें दी गयीं, जिनका विवरण संलग्न विवरण-पत्र में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ-३६६-पर)

श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पेंशन ग्रेचुयेटी कब से जारी की गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसकी ठीक तिथि तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसको जारी किये हुये काफी अरसा हो चुका है ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह चार पुलिस वाले जो इस कांड में मारे गये । जो भावी स्वतंत्रता के लिये लड़ रहे थे उन लोगों को यह डिफेंड करने वाले थे या सप्रेस करने वाले थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--उस समय वह अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे, जो उनके अधिकारी थे उनका आदेश पालन कर रहे थे ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, १९४७ के बाद उनकी पेंशन क्यों बंद नहीं कर दी गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--उसको बन्द करने का कोई उचित कारण दिखायी नहीं देता ।

गाजीपुर जिले के एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के तबादले की मांग

*३७--**श्री भोलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों के तबादिले के लिये कोई अवधि निर्धारित होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कोई अवधि निर्धारित नहीं है परन्तु तीन साल के बाद अफसरों के तबादले के बारे में आम तौर पर विचार किया जाता है ।

*३८--**श्री भोलासिंह यादव**--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में कितने ऐसे जुडीशियल मैजिस्ट्रेट हैं जिनको ३ वर्ष से ज्यादा हो गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गाजीपुर में केवल एक ऐसे जुडीशियल अफसर हैं जिनको इस जिले में तैनाती के तीन वर्ष गत सितम्बर मास में पूरे हो गये हैं ।

श्री भोलासिंह यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनके तीन साल पूरे हो गये हैं, उन्हें हटाने के लिये सोच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—हटाने का सवाल नहीं है, तबादले का सवाल था, आप सवाल ठीक करें।

श्री भोलासिंह यादव—उनका ट्रांसफर करने का विचार कर रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—खास तौर से उनकी बाबत विचार नहीं हो रहा है लेकिन जब अफसरों का तबादला होगा तो शायद उनका भी तबादला हो जाय।

बन्दीपुर ग्राम, जिला फैजाबाद में पुलिस चौकी खोलना स्थगित

*३९—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा सदन में एक वर्ष पूर्व की गयी गांव बन्दीपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अपराध संख्या कम होने के कारण बन्दीपुर में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

पनगरा ग्राम, जिला बांदा में कुछ व्यक्तियों पर गोली चलाने की शिकायत

*४०—**श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री** (जिला बांदा)—क्या पुलिस मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की नरैनी तहसील के पनगरा ग्राम के श्री रामेश्वर प्रसाद, रामानन्द, जगदेव प्रसाद के ऊपर तारीख १२-७-५५ को रात को डाकुओं ने जो गोली चलायी थी और जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलायी थी उसका विवरण क्या सरकार मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—श्री रामेश्वर प्रसाद, रामानन्द और जगदेव प्रसाद के ऊपर डाकुओं द्वारा गोली चलाये जाने की कोई घटना नहीं हुयी। जो घटना हुयी उसका विवरण मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ–२६७ पर)

श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उक्त घटना से संबंधित एक हेड कांस्टेबिल गायब हो गया था जो बिसौरा गांव के जंगल के पास दूसरे दिन सुबह पाया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

*४१–४२—**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

उन्नाव जिले में घटित अपराधों के सम्बन्ध में पूछताछ

*४३—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सम्पूर्ण १९५४ और ३१ जुलाई, १९५५ तक उन्नाव जिले में जो हत्यायें हुयीं उनमें से कितने मामलों का चालान हुआ, कितने सजायाब हुये और कितने मामलों का पता लगा सकने में पुलिस असमर्थ रही ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मांगी गयी सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३६८ पर)

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी १९ महीने में १०१ हत्यायें अर्थात् औसतन प्रति मास ५ से अधिक हत्याओं को देखते हुये जिले की सुरक्षा के लिये कुछ विशेष व्यवस्था काम में लाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उन्नाव जिले की जो घटनायें हुयी हैं वह सरकार के सामने हैं और उनके लिये काफी प्रबंध भी किया गया है और जो आवश्यक होगा प्रबंध किया जायगा।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन हत्याओं में अधिकांश में किन हथियारों से काम लिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—लाठी और भाले से अधिक काम लिया गया है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या इस अराजकता को देखते हुये माननीय मंत्री जी संपूर्ण राज्य में नहीं तो कम से कम इस जिले में धारदार हथियारों पर रोक लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उन्नाव जिले के कुछ लोगों की उच्छृंखल कार्यवाही के कारण सारे सूबे में इस प्रकार की रोक लगाने का कोई विचार नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल—जो हत्यायें हुयी हैं उनमें यदि राजनैतिक कार्यकर्ताओं की भी हत्यायें हुयी हैं तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—राजनैतिक कारणों से की गयी किसी भी हत्या की सूचना मेरे पास नहीं है।

*४४–४५—**श्री देवदत्त मिश्र**—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४६—**श्री शिववक्षसिंह राठौर** (जिला मैनपुरी)—[१२ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४७–४८—**श्री तेजप्रताप सिंह**—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा जिले में हुए कत्लों के मुकदमें

*४९—**श्री जगपतिसिंह** (जिला बांदा)—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सन् ५४ तथा ५५ में बांदा जिले की किन-किन तहसीलों में कितने–कितने कत्ल हुये ?

*५०—कितने कत्लों में अपराधियों ने सजा पायी और कितने छूट गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मांगी हुयी सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३६९ पर)

श्री जगपतिसिंह—यह देखते हुये कि सन् १९५४ की अपेक्षा सन् १९५५ में जुर्मों का पता लगाने में पुलिस असमर्थ रही है, इस विषय में सरकार कुछ पुरस्कार देने पर विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसा तो कोई विचार नहीं है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो उस पर विचार किया जाय।

भाला, फरसा, गड़ासा आदि हथियारों पर लाइसेंस लगवाने की मांग

*५१—श्री जगपतिसिंह—क्या सरकार भाला, फरसा, गड़ासा आदि तीक्ष्ण धारों वाले हथियारों पर लाइसेंस लगवाने को सोच रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं।

*५२–५३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*५४–५६—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७–५८—श्री रामचन्द्र विकल—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री तुलाराम (जिला इटावा)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

२—श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी जिले में राजनीतिक पीड़ित को पेन्शन

३—श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जिला झांसी में सन् १९५४–५५ में किन-किन राजनैतिक पीड़ितों को कितनी-कितनी मासिक पेंशनें दी गयीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल श्री अशर्फीलाल सक्सेना को ३० रु० मासिक पेंशन दी गयी।

४–५—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली जिले में बन्दूक के नये लाइसेन्सदार

६—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में १९५३–५४ और १९५४–५५ में बंदूक के लाइसेंस की कुल कितनी दरख्वास्तें आयीं और उनमें कितनी स्वीकार हुयीं और कितनी अस्वीकार की गयीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५३–५४ में कुल १,१२१ दरख्वास्तें आयीं जिसमें से ३४७ स्वीकार की गयीं और ५३९ अस्वीकार तथा २३५ दरख्वास्तें विचाराधीन हैं।

१९५४–५५ में १,१८७ दरख्वास्तें आयीं और पिछले वर्ष के २३५ मिलाकर कुल संख्या १४२२ हुयी, उनमें से २४१ स्वीकार की गयीं। ५२१ अस्वीकार तथा ६६० विचराधीन हैं।

सिकन्दरपुर, जिला आजमगढ़ की घटना सम्बन्धी कार्य-स्थगन प्रस्ताव का समाचार-पत्रों में गलत प्रकाशन

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---मैं आपका ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित एक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गत २१ नवम्बर को जो कामरोको प्रस्ताव मैंने इस सदन में उपस्थित किया था उसमें जिस गांव का जिक्र मैंने किया था, सिकन्दरपुर का, उसके विषय में करीब-करीब सभी अखबारों में गलत रिपोर्ट छपी है और मैंने आपकी सेवा में उसके विषय में एक शिकायत भी लिखकर आज दी है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव मेरे पास आया है उसका निर्णय होने पर आप अपनी बात उठायें।

जौनपुर में बाढ़-पीड़ित छात्रों से फीस वसूली विषयक आन्दोलन के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना--

श्री अध्यक्ष---कल मेरे पास जो कामरोको प्रस्ताव आये, मैंने उन्हें पढ़ा और वे दो तरह के थे। यद्यपि वे एक ही मामले के बारे में थे। जौनपुर में बाढ़-पीड़ित विद्यार्थियों से फीस वसूल करने के बारे में जो आंदोलन हुआ और उसके लिये जो स्थानीय शासकों ने कार्यवाही की उससे उत्पन्न हुयी परिस्थिति पर विचार करने के बारे में ये दोनों कामरोको प्रस्ताव आये। चूंकि कल मैं पढ़ नहीं सका था इसलिये मैंने आज के लिये फैसले के लिये रखे थे। उसके बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि यह मामला अदालत के सिपुर्द कर दिया गया है। तो पहले मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि इस विषय में मामला अदालत के सिपुर्द किया है या नहीं, वह कम से कम अपनी मालूमात मुझे बता दें कि क्या परिस्थिति है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जहां तक मेरी मालूमात है वह यह है कि १४४ को तोड़ने का मामला अदालत के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष---माननीय राजनारायण जी, मुझे यह बतलावें कि १४४ के अलावा और कोई मामला इससे संबंधित है और सरकार से उससे क्या सम्बन्ध है?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---मेरा प्रस्ताव १४४ तोड़ने के सम्बन्ध में जो केवल गिरफ्तारियां हुयी हैं उनके सम्बन्ध में ही नहीं है। रात में छापा मार कर सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री शरतकुमार, श्री विश्वनाथ सिंह वकील और एक अखबार के सम्पादक और ३ और सोशलिस्ट व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। यह साफ है कि वे १४४ कहीं नहीं तोड़ रहे थे बल्कि अपने घर में थे २ बजे रात के समय....

श्री अध्यक्ष---यह वाकयात की बात है। उन लोगों पर १४४ तोड़ने का मामला अदालत में है या नहीं?

श्री राजनारायण---१४४ के सम्बन्ध में, जहां तक मैं जानता हूं, मुकद्दमा नहीं है। अब अगर सरकारी कर्मचारियों की ओर से इन लोगों को फंसाने के लिये १४४ भी लागू कर दी गयी है तो यह दूसरी बात है। मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला बड़ा अहम है। नागरिक अधिकारों से संबंधित मौलिक प्रश्न है और सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध है। जो अखबार की कटिंग मैंने आपकी सेवा में पेश की है, उसके १०७, १५१, ११७ सब ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन्स हैं और मनमाने तरीके से विरोधी पार्टियों के सदस्यों को और उनके अधिकारों को कुचलने के लिये सरकारी कर्मचारी इन धाराओं का उपयोग करते हैं।

श्री अध्यक्ष--आपने सरकार से पत्र-व्यवहार करके इस विषय में उनको मालूमात दी है ?

श्री राजनारायण--मैं आपको इस बारे में बतला दूं कि जौनपुर में समस्या बहुत पहले की है। वहां ६ नवम्बर से हड़ताल करने की नोटिस भी दी गयी थी तो मैंने कहा कि हड़ताल मत करो। इस मसले को हम उठावेंगे।

श्री अध्यक्ष--सरकार से और आपसे कोई बातचीत हुयी ?

श्री राजनारायण--हम यह सरकार के नोटिस में लाये और उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री ने भी लिखा, जिनका नाम .. .. ..

श्री अध्यक्ष--आपने लिखा है यह आप कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं माननीय उपाध्याय जी से भी (श्री राजनारायण से) आप कृपा कर बैठ जावें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--१४४ बेलेबिल आफेंस है। हमने लिखा है कि यह लोग जमानत पर भी नहीं छोड़े गये और सरकार से सम्बन्ध इसलिये है कि फीस की माफी सरकार से मंजूर हुयी है और वहां के कलेक्टर साहब ने सरकार की आज्ञा न मानकर लड़कों से फीस वसूल की और इसके लिये जो आंदोलन हुआ उसमें रात के २ बजे लोगों को पकड़ कर ले गये और उन्हें अभी तक जमानत पर नहीं छोड़ा है। अगर १४४ होती तो उन्हें जमानत पर छोड़ देना चाहिये था उसके बाद सभा करने की इजाजत भी नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष--(मुख्य मंत्री से) श्री विश्वनाथ सिंह, श्री सदानन्द पांडेय, महादेवराम इत्यादि के ऊपर कोई मुकद्दमा १४४ में अदालत में है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मैं जानता हूं इन कुछ लोगों के ऊपर मुकद्दमा १०७ और ११७ का चलेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इन लोगों की तरफ से जमानत की दरख्वास्त दी गयी थी और उस पर उन लोगों को रिहा नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष--यह अदालती कार्यवाही है। इससे सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न यह था कि यह विषय सरकार से संबंधित है या नहीं। सरकार की अटेन्शन ड्रा करने का पता तो लगता है। तो ऐसी अवस्था में मैं इसे वैध करार देता हूं। जो लोग इस पक्ष में हैं कि इस श्री राजनारायण जी के कामरोको प्रस्ताव के लिये अनुमति दी जाय, उपस्थित करने के लिये, वे कृपा करके अपने स्थान पर खड़े हो जावें।

(२० सदस्य खड़े हुए)

बीस की संख्या है जो कम है जितनी संख्या होनी चाहिये उससे, ३६ होने चाहिये कम से कम। इसलिये सदन की अनुमति नहीं है।

राज्य पुनस्संगठन आयोग की शिफारिशों पर विवाद सम्बन्धी भाषणों का समय कम करने की मांग

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर बोलने वालों की संख्या अधिक मालूम होती है, इसलिये समय कम कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--यह बात बाद में उठा सकते हैं।

सिकन्दरपुर, जिला आजमगढ़ की घटना सम्बन्धी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के समाचार-पत्रों में गलत प्रकाशन पर तथा बाराबंकी के पुलिस सुपरिंटेंडेंट द्वारा उसके खंडन पर आपत्ति

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, गत २१ नवम्बर, को जो कामरोको प्रस्ताव मैंने रखा था और जिसे बाद में आपने अवैध घोषित किया था उसकी रिपोर्टिंग करीब-करीब सभी अखबारों में बहुत गलतछपी है जिससे एक भ्रम फैल गया है। इस सम्बन्ध में मैंने एक शिकायत की रिपोर्ट भी दी है। उसमें सिकन्दरपुर गांव जीयनपुर थाने में आजमगढ़ जिले में है, लेकिन अखबारों में अकसर छपा है कि बाराबंकी जिले में है। इसकी वजह से नैशनल हैराल्ड में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें वहां के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने बाराबंकी में किये हमले की बात को खंडन किया है। मैं चाहता हूं कि इस बात की रिपोर्ट दुरुस्त कर दी जाय कि सिकन्दरपुर गांव आजमगढ़ जिले में है। जहां मीटिंग हुयी उस गांव का नाम टेंघाना है जो घोसी थाने में है और वह आजमगढ़ जिले में है।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें श्री दीक्षित, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने बयान दिया है। मेरे विचार से दीक्षित साहेब का बयान एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हाउस की कण्टेम्प्ट है क्योंकि यह बयान हाउस में हुआ। ऐसा एडजर्नमेंट मोशन दिया गया जो आपके द्वारा डिसअलाऊ कर दिया गया था। उसमें अगर एस० पी० को बयान देना था या कुछ कहना था तो उसका यह तरीका नहीं था कि अपना बयान बाराबंकी के रिप्रिजेंटेटिव को दे दें, बल्कि उसका तरीका यह था कि होम मिनिस्टर के द्वारा या उनसे सीधे पत्र लिखकर वह उसको अलाउ करा सकते थे। मेरे विचार से तो बिना इस प्रकार की कार्यवाही किये गये ऐसे एडजर्नमेंट मोशन पर राय देना जो कि आपके द्वारा डिसअलाउ कर दिया गया था और जिसके बारे में सरकार बयान देना उचित नहीं समझती थी, तो ऐसा बयान एक प्रकार से सदन की कन्टेम्प्ट है। मैं समझता हूं कि आप अपनी राय निश्चित करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—इस समय दो प्रश्न मेरे सामने पेश किये गये। श्री झारखंडे राय का कहना यह था कि जिस गांव के बारे में उन्होंने यहां कहा था वह आजमगढ़ जिले में है न कि बाराबंकी में। बहुत से अखबारों में गलत छप गया और उन्होंने उस गांव का नाम भी बताया जिस गांव में उनकी हत्या के बारे में षडयंत्र हुआ। तो यह तो मैं समझता हूं कि दुरुस्ती करने का प्रश्न उन्होंने मेरे सामने रखा है कि अखबारों में जो रिपोर्ट छपी है उससे जो गलतफहमी पैदा हुयी उसकी दुरुस्ती हो जाना चाहिये। यहां स्पष्टीकरण करके मैं तो पहले यह कह देता हूं कि अगर इस तरह की गलती हुयी है तो अखबारों के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं वह उसको देख लें और सही कर दें। लेकिन मेरा काम भी इतना है कि मुझे अगर झारखंडे राय जी ने अभी थोड़ी देर पहले लिखकर दिया था कि फलां गलती हुयी है और जिस अखबार में गलत छप गया है उसकी नकल भी यदि वे मुझे दे देते और मैं उस पर विचार कर लेता तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण उस विषय में इस सदन में दे देता। वह स्पष्टीकरण मैं इस सदन में आज ही सही वाकया और स्थान बताकर कर देता।

दूसरा प्रश्न विशेषाधिकार का है जो श्री नारायणदत्त तिवारी ने यहां उपस्थित किया है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस का इस तरह का बयान आज यहां अखबारों में छपा है। इससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है। अभी इस बारे में कोई निश्चित राय मैं नहीं दे सकता हूं। जो बातें अखबारों में छपी हैं। जब तक मैं उसकी मुख्य मंत्री जी द्वारा तहकीकात न कर लूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

कि यह कहां तक सही है कि यह उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन भाषणों का जो यहां पर हुये हैं, जिक्र किया है और खंडन किया है, निश्चित राय नहीं दे सकता। इसके विषय में पूरी जानकारी के बाद जो निर्णय होगा सदन को उस निर्णय से सूचित कर दूंगा।

'नेशनल हेरल्ड' में कार्य-स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी कार्यवाही को ठीक ढंग से न छापने पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, एक निवेदन मुझे भी करना है। इच्छा न रहते हुये भी कर्त्तव्य से प्रेरित होकर यह निवेदन कर रहा हूं। आज के नेशनल हेरल्ड के पहले पेज पर दो एडजर्नमेंट मोशन के बारे में यह लिखा हुआ है कि--

"The Speaker said that since the motions had been received very late he could not give them full consideration."

इससे यह प्रकट होता है कि हमने विलम्ब से आपको यह प्रस्ताव दिया है और आपने इसलिये उस पर विचार नहीं किया। जहां तक मुझे स्मरण है, अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार की बातें नहीं कहीं कि उनका प्रस्ताव देर से मिला इसलिये उन्होंने ध्यान नहीं दिया। समाचार-पत्रों में ऐसी बातें अनेक बार हो जाया करती हैं। मेरी शिकायत करने की इच्छा नहीं है किन्तु मैं आपके द्वारा समाचार-पत्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रकार की बातों पर ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष---श्री राजनारायण जी, मैं समझता हूं कि इतनी छोटी बात यह है कि जिसके विषय में जैसे साधारणतया मैं कह देता हूं कि मुझे समय पढ़ने का नहीं मिला उसी प्रकार इस विषय के बारे में भी पत्र ने मेरा कथन छाप दिया है। अखबार ने कोई इरादतन् यह किया होगा यह मैं अन्दाजा नहीं लगा सकता। यह साधारण मेरे कहने का रवैय्या रहा है। मैं यह कह देता हूं कि मुझे अभी सूचना मिली है लिहाजा मैं कल विचार करूंगा। तो इस तरह से यहां के पत्र प्रतिनिधियों के दिमाग में यह आया होगा और कुछ पूरे शब्द वे नहीं सुन पाये होंगे, इस कारण यह जोड़ दिया होगा तो यह चीज कभी-कभी अनअवायडेबिल हो जाती है। अखबार वाले यहां बैठते हैं। कभी शोर हो जाता है हम लोग बोलने लगते हैं तो पूरे शब्द उनको सुनाई नहीं पड़ते और कुछ शब्द छूट जाते हैं। तो वह अपनी अक्ल से बोलने वाले का रवैय्या समझकर कमी को पूरा कर देते हैं, जो बात छापी गयी है वह कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं है और न उससे कोई ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तो इसलिये मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अखबार वाले ध्यान-पूर्वक सुनें और इस तरह की कोई गलती भविष्य में न की जाय। मैंने कल यह नहीं कहा था कि मुझे देर से नोटिस मिला। मुझे पहले ही मिल चुका था। बात सिर्फ यह थी कि मेरे पास बहुत से लोग बैठे हुये थे, जिनसे मैं बात कर रहा था और मैं नोटिस के साथ जो पर्चे थे उन्हें पढ़ नहीं पाया था। इसलिये मैंने कहा कि "मैं पढ़ नहीं पाया हूं, जब पढ़ लूंगा और चूंकि यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद नहीं हैं, तो कल इस प्रश्न पर विचार कर लूंगा"। यह मैंने कल कहा था।

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ सितम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २६ सितम्बर, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २२ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गयी और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का २१ वां अधिनियम बन गया।

राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अभी एक प्रश्न आया था कि कुछ समय कम कर दिया जाय, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके विशेष महत्व को देखते हुए १५ मिनट का समय हमने काफी समझा था। कई लोग वैसे बोलने वाले होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि यह विषय, कि समय कम कर दिया जाय, इसे आज शाम के बाद लिया जाय तो ठीक होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पांच-पांच मिनट या दस-दस मिनट ही बोलना चाहेंगे। उसकी सूचना यदि मेरे पास आयेगी तो मैं उनको पांच मिनट या १० मिनट समय दे दूंगा और इस तरह से १५ मिनट में दो या तीन सदस्य बोल सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि उसका बन्धन सब के लिये लागू कर देना कुछ थोड़ा अनुचित-सा होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह कह रहा था कि हमको जानने की कोशिश करनी है कि आखिर पश्चिमी जिले के हमारे बहुत से भाई हमसे क्यों अलग होना चाहते हैं। जो बातें मैंने यहां सुनीं उससे मैं यह अन्दाजा लगाता हूं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से स्टेट को आमदनी काफी है और उसके अनुपात से उनके जिलों में रुपया ज्यादा नहीं खर्च किया जा रहा है। मेरठ यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बात नहीं की गयी, डाकपाथर में जो डैमव बिजली का कारखाना खोला जाने वाला था वह नहीं खोला गया, उनके यहां सड़कें नहीं बनायी गयीं, उनके यहां अस्पताल नहीं खोले गये और एस० आर० सी० ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि हमारे पश्चिमी जिलों के भाई इसलिये उत्तर प्रदेश का विभाजन करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनामिक ग्राउन्ड पर भी वे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से हमारे पश्चिमी जिले अलग हो जायं। अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत हमारे पश्चिमी जिले के भाइयों की है और उसे हमको मानना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि उनकी शिकायतें दूर की जायं। किन्तु आज इस सदन के सामने उनकी एक और नयी शिकायत आ गयी है जो उनको सरदार पणिक्कर साहब ने दी है और वह यह है कि उत्तर प्रदेश का विशाल बहुमत होने से देहली की पार्लियामेंट में हमारे ८६ मेम्बर हैं और इस तरह से हिन्दुस्तान की पोलिटिक्स में उत्तर प्रदेश डामिनेट करता है। मैं अपने पश्चिमी जिलों के साथियों से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देहली पार्लियामेंट में अगर किसी तरह से हावी हो सकता है तो क्या इसकी उनको शिकायत होनी चाहिये? आज अगर हम अलग भी हो जायेंगे तो देहली की पार्लियामेंट में अगर कोई उत्तर प्रदेश का मसला आवेगा तो क्या अलाहदा हो जाने की वजह से हमारे पश्चिमी जिलों के लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी शिकायत तो यही है कि श्री पणिक्कर ने हमारे बीच में एक ऐसा बीज बो दिया है कि हमारे भाई ही यह कहने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश का बहुमत पार्लियामेंट के अन्दर न हो, इसलिये इसका विभाजन होना ही चाहिये। सरदार पणिक्कर ने इसके लिये यह भी सुझाव दिया है कि हमारे कांस्टीट्यूशन में भी तब्दीली की जाय ताकि हर स्टेट बराबर-बराबर मेम्बर देहली भेज सके। ठीक है, ऐसा कीजिये, अगर कांस्टीट्यूशन में तब्दीली होगी तो भी उत्तर प्रदेश के जो रेप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको सीट सेंट्रल पार्लियामेंट में दी जायगी ही और वह उस हालत में भी डामिनेट करेंगे। जब स्टेट्स का विभाजन होगा तो उसका कोई बेसिस तो होगा, अगर पापुलेशन का बेसिस होगा तो हमारे यहां की ६ करोड़ आबादी है और जैसा वह कहते हैं दो भाग कर दिये जायं उस वक्त भी हम देश की पालिटिक्स में डामिनेट करेंगे। लेकिन क्या आज इस प्रदेश के जो मंत्री लोग वहां हैं वह इस प्रदेश को किसी तरह से वहां डामिनेट करने देते हैं? क्या वह किसी तरह से भी इस प्रदेश की कोई रियायत करते हैं? आप बतायें कि ४८ सौ करोड़ का बजट हमारे सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान का है। लेकिन सरकार ने हमें बताया कि हमें उसमें से केवल २६५ करोड़ मिला है, क्या आबादी के हिसाब से हमें इतना ही मिलना चाहिये था। बावजूद इसके कि प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल जी हैं,

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

पं गोविंद वल्लभ पंत हैं, डाक्टर काटजू हैं, माननीय लालबहादुर शास्त्री यहीं के हैं, श्री अजीतप्रसाद जैन यहां के हैं, श्री महावीर त्यागी यहीं के हैं, श्री सतीशचन्द्र डिप्टी मिनिस्टर यहां के हैं, श्री केशवदेव मालवीय यहीं के हैं, सारे विभागों के मिनिस्टर हैं और देश की राजनीति में उच्च स्थान रखते हैं लेकिन क्या इसी का यह नतीजा है कि सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान में केवल इतना रुपया हमारे सूबे को मिल रहा है। इस तरह से उल्टा हमें नुकसान ही मालूम होता है।

आप रेलवे में देखें या फौज में देखें क्या इसी प्रदेश के तमाम आदमी वहां डामिनेट करते हैं, कितने आदमी हमारे प्रदेश के इन विभागों में काम करते हैं। हो यह रहा है कि उत्तर प्रदेश अपने लोगों के वहां होते हुए भी उनकी उदारता के कारण हानि उठा रहा है। लेकिन पणिक्कर साहब को फिर भी डर है कि हम वहां डामिनेट कर रहे हैं। अगर हमें सबसे अधिक रुपया मिला होता तो कुछ कहा जा सकता था। हमें तो शिकायत है कि हमारे यहां के लोगों को पार्लियामेंट को मजबूर करना चाहिए था कि हमारी आबादी और हमारी गरीबी के लिहाज से हमें रुपया दिया जाय तो मैं समझता हूं कि सरदार पणिक्कर साहब को यह कहने की हिम्मत न पड़ती कि यह प्रदेश शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, सोशल सर्विसेज में रुपया यहां कम व्यय होता है, यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब है, मैं यह नहीं कहता कि यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, उसकी मैं कोई तारीफ नहीं करता लेकिन मैं कहूंगा कि क्या बड़े होने से ही ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब है और वह उसके टुकड़े करने से अच्छा हो जायगा ? जहां तक वह कहते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब है मैं कहता हूं कि वह खराब है। उनके मध्य प्रदेश का रकबा १ लाख ७१ हजार वर्गमील का होगा और हमारा रकबा १ लाख १३ हजार वर्गमील है और इसमें से भी हमारा २१ हजार वर्गमील का पर्वतीय प्रदेश है और मैं समझता हूं कि अगर डेनसिटी आफ पापुलेशन के हिसाब से देखा जाय तो कोई भी प्रदेश ऐसा न होगा जो इतना घना आबाद होगा तो इसलिए भी एक साथ रहना ही ठीक है। लेकिन सरदार पणिक्कर साहब न जाने क्यों हमारे शरीर के दो टुकड़े देखना चाहते हैं। विशाल आन्ध्र रह सकता है, लेकिन पणिक्कर साहब चाहते हैं कि किसी तरह से यू० पी० के दो भाग होकर विभाजन हो जाय और कहीं ऐसा न हो कि यह प्रदेश राजनीति में इस देश को डामिनेट करने लगे। वह हमेशा डामिनेट करता है और करता रहेगा, वह अच्छे आदमी पैदा करता है, आज पं० जवाहरलाल जी यहां पैदा हुए वह लीडर हैं, कल को पं० गोविन्दवल्लभ पन्त जी हैं वह भी यहीं के हैं और आगे भी फ्यूचर में गवर्नमेंट में जयप्रकाश नारायण आ सकते हैं, आचार्य नरेन्द्रदेव आ सकते हैं और वह भी यू० पी० के हैं। यू०पी० और बिहार तो अच्छे आदमी पैदा करता है, करता ही रहेगा। तो उनको शिकायत किस बात की है। हमें तो अपने देहली वाले भाइयों से मांग करनी चाहिए कि हमें हमारा पूरा भाग भी नहीं दिया जा रहा है हमें विकास कार्य के लिए और ज्यादा रुपया चाहिए। सरदार पणिक्कर साहब ने कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आदि खराब होने का यही इलाज है कि इसके दो टुकड़े किये जायं किन्तु क्या इसके छोटे हो जाने से ही इसका ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जायगा ? मैं अपने पश्चिमी जिलों वाले सज्जनों से पूछना चाहता हूं कि अगर आज दो टुकड़े कर दिये गये और उसके बाद विन्ध्य प्रदेश या ग्वालियर के कुछ भाग को मिलाया गया और हमने उस पिछड़े इलाके की तरक्की में रुपया लगाया तो फिर इधर के बाकी लोग कहने लगेंगे कि सारा रुपया उधर ही लगाया जा रहा है, इसलिए अब हम भी अलग होना चाहते हैं और अगर कम खर्च करेंगे तो वह कहेंगे कि हम तो आपके पास यह सोचकर आये थे कि हमारी उन्नति के लिए आपसे मदद मिलेगी लेकिन आप हमारी आशा पूरी नहीं कर रहे हैं हमें अलग कर दीजिये। इस प्रकार अलग होते रहेंगे और हमारे विभाजन का नतीजा यह होगा और हमारे देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायंगे।

पश्चिमी जिले वालों को कुछ शिकायतें हैं, लेकिन वैसी ही शिकायतें पर्वतीय प्रदेश व बुन्देलखंड वालों की हैं लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम कभी नहीं कहते कि इसका विभाजन किया जाय। हम बड़े प्रदेश में रह कर अपनी उन्नति करना चाहते हैं। हमारा पर्वतीय प्रदेश तो हिमांचल प्रदेश में जा सकता था जिस हिमांचल के लिये करीब ९ करोड़ रुपया पंडित जवाहरलाल जी ने देकर उसकी उन्नति कर डाली है लेकिन हम नहीं चाहते। वहां ११ लाख की आबादी है हिमांचल प्रदेश की, लेकिन हमारे चार जिलों की अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी की आबादी २२ लाख है। हम वहां डामिनेट करते और मैं वहां का मुख्य मंत्री हो जाता और कौन मुख्य मंत्री होता क्योंकि पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त तो अब केन्द्र में चले गये। लेकिन क्या करूं बदकिस्मती से अपने थोड़े से चीफ मिनिस्टरी की लालच में प्रदेश के टुकड़े नहीं करना चाहता। मुझे तो दुःख है कि पणिक्कर साहब ने वह बीज इस प्रदेश में बो डाला जिसके शिकार हमारे पश्चिमी जिलों वाले भाई हो गये।

सरदार पणिक्कर ने तो बहुत सी बातें कही हैं लेकिन मैं उनकी एक और बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश बैकबोन आफ इंडिया है और इससे और स्टेट्स कल्चर और आइडियाज को लेते रहते हैं। लेकिन इसका ऐडमिनिस्ट्रेशन वीक है। मैं भी इसी उत्तर प्रदेश की सरकार के ऐडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा कट्टर विरोधी हूं इसलिये कि इसके ऐडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी खराबी है। जो पणिक्कर साहब ने कहा है वह इस माने में तो बिल्कुल ठीक है कि उसके कारण ही हम बैकवर्ड हैं। उसके फैक्ट्स ऐण्ड फिगर्स हैं उसमें कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां तक पणिक्कर साहब की कल्चर और आइडियाज वाली बात है बहुत कुछ यह बात सही है। हमने हिन्दुस्तान के अन्दर आइडियाज और कल्चर की बातें रखी हैं। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन कितना अच्छा है। यहां से हिन्दुस्तान के लोग आइडियाज लेंगे, नये-नये आइडियाज लेंगे। अभी हाल में दिल्ली में सारे भारत के पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनों की कांफ्रेंस हुई थी। सारे हिन्दुस्तान के स्टेट्स वाले वहां आये। हमारे मावलंकर साहब उसके प्रेसीडेंट थे। वहां देखकर मुझे ताज्जुब मालूम हुआ कि हमारे डाक्टर जीवराज मेहता बम्बई के फायनेंस मिनिस्टर हमारी कांफ्रेंस में आये हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहां कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं बम्बई गवर्नमेंट की पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हूं। मुझे दुःख है कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स में अपने को इतना कहते हैं उसकी पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन वहां का फायनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने कहा कि हम दो घंटे में सारे कामों को, सारे मामलों को निपटा लेते हैं और यह उनके लिये बड़े गर्व की बात थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि सब जानते हैं कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्र के लिये फायनेंस सबसे बड़ी चीज है और उसका ठीक-ठीक खर्च हो रहा है या नहीं हो, रहा है इसकी देखरेख के लिये कमेटी, जिसमें विरोधी पक्ष का नेता चेयरमैन हो मान लिया गया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी यही होता है और मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जिसने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन को विरोधी पक्ष से चुनने की प्रथा को कायम किया है। यह उत्तर प्रदेश को ही गौरव है कि वह अकेला ही ऐसा प्रदेश है और किसी प्रदेश के अन्दर यह चीज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह आइडिया उत्तर प्रदेश ने डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्स के लिये सारे हिन्दुस्तान के सामने नहीं रक्खा? अध्यक्ष महोदय, माननीय झारखंडे राय जी हमारे कम्यूनिस्ट मेम्बर हैं। कोई दूसरे प्रदेश वाला किसी कम्यूनिस्ट को पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में घुसने नहीं दे सकता, लेकिन आज वह कम्यूनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं लेकिन फिर भी पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में वे हमारे साथ हैं और यही नहीं, यह सिस्टम सन् ३७ से चल रहा है और इसको

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

जो भी गवर्नमेंट आयेगी वह मानेगी। इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट की कोई बात नहीं है। यह तो सिस्टम है जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। यह आइडियाज़ हैं जो उत्तर प्रदेश बाहर फैलाता रहता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पणिक्कर साहब ने कहा कि कुमायूं, गढ़वाल व यहां के पहाड़ी लोग तो नोमेडिक रेस के हैं। उन्हें पता नहीं है कि हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर व गृह मन्त्री पं० पन्त भी नोमेडिक रेस के हैं। हम पहाड़ वालों को तो उन्होंने नोमेडिक रेस कह कर अलग कर दिया। उसकी तरक्की की उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की। मनीपुर और आसाम के हिल स्टेट्स की चर्चा हुई कि इसमें डेवलपमेंट नहीं है। उस वक्त हमारे यहां की भी चर्चा होनी चाहिये थी। क्या हमारे पर्वतीय प्रदेश के लिये वह कुछ नहीं कह सकते थे? अगर वह अलग थे तो उन्हें भी अलग प्रान्त में डाल देते। लिंगुइस्टिक सवाल भी हमारे सामने नहीं है। यह तो ऐसा है जैसे औरत और मर्द में आपस में झगड़ा हो गया। एक मर्द शादी करके अच्छे घर की लड़की लाया। मर्द के भाई बन्द सब गरीब थे। पढ़े-लिखे नहीं थे। वह औरत जब आई तो पहले ही उसके पास १०, ५ साड़ियां थीं। आते ही उसने कहा कि ५ साड़ियां और खरीद कर लाओ। आदमी ने कहा साड़ी तुम्हारे लिये कहां से खरीदूं। पहले भाई जो बेपढ़े हैं उन्हें पढ़ा लूं। औरत इस पर रूठ गई। इसी तरह हमारे श्रीचन्द्र जी कह रहे हैं कि मैं अलग चली जाऊंगी। यह तो औरत और मर्द जैसा झगड़ा है। सिर्फ इसी बात के लिये कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमें पैसा नहीं मिलता है अलग हो जाना यह बात कुछ समझ में नहीं आती। यह कोई आर्ग्यूमेंट की बात नहीं।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं असेम्बली में चुन कर आया तो सबसे पहले मैंने ही कहा था कि जिस वक्त डाक पाथर बिजली का कारखाना जिसका पं० जवाहरलाल नेहरू ने फाउंडेशन स्टोन दिया था उसको क्यों छोड़ दिया। कल मरोड़ा डेम के लिये जो जिक्र किया गया उसके लिये भी हमने कहा था कि उसे क्यों खत्म कर दिया। आज पश्चिमी जिलों के लोग इस बात के लिये प्रस्ताव लावें तो देखें कि हम साथ देते हैं उनका या नहीं तब वे ऐसी बात कह सकते हैं। डिवीजन होने से क्या एडवांटेजेज होंगे और क्या डिसएडवांटेजेज, इसको वे देखें। डिसएडवांटेजेज यह होंगे कि हमारी नहरें बट जायंगी, बिजली के कारखाने बट जायंगे, उद्योग-धंधे बट जायंगे, लेकिन एडवांटेजेज क्या हैं, कुछ नहीं। अगर उनकी मनोवृत्ति यह है कि पैसा वे ज्यादा देते हैं और खर्च दूसरे जिलों पर ज्यादा होता है और वे क्यों इस तरह से दबते रहें उनका पैसा उन पर क्यों नहीं खर्च किया जाता, यही उनकी मनोवृत्ति है तब काम बनने वाला नहीं है। मैं तो यह चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है चाहे वह बुन्देलखंड के लोग हों या और कहीं के सबकी तरक्की हो। हमारा विकास हो। हमारे पर्वतीय प्रदेशों में तो न आज रेल है, न हवाई जहाज के अड्डे हैं, न पूरी सड़कें हैं, न सस्ते मोटर के साधन हैं, बड़े-बड़े कारखाने नहीं हैं, गर्ज कि कोई चीज नहीं है, लेकिन इस पर भी हम अलग नहीं होना चाहते और यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो।

विन्ध्य प्रदेश व मध्य भारत के कुछ जिलों के संबंध में भी मेरी यह राय है कि अगर उसके टुकड़े न होते, मध्य भारत में उसको मिलाये जाने की बात न होती तब तो हमें कुछ नहीं कहना था। लेकिन जब उसके टुकड़े किये जा रहे हैं, और वहां के लोग चाहते हैं कि उसको उत्तर प्रदेश के साथ मिलाया जाय तो क्या कारण है कि न मिलाया जाय। मैं इसके साथ हूं। माननीय राजा वीरेन्द्रशाह जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

एक बात और है माननीय ख्वाजा साहब ने रिफरेंडम की बात कही कि रिफरेंडम में हम जीत जायंगे। अगर उत्तर प्रदेश में आज यह कहा जाय कि उत्तर प्रदेश का ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब है या नहीं तो सारे लोग कहेंगे कि खराब है लेकिन इस विभाजन के मामलों में जहां बाहर निकल कर माननीय मुख्य मंत्री और पं० जवाहरलाल जी ने पश्चिमी जिलों के लोगों को समझाया और कहा कि विभाजन का होना ठीक नहीं है तो यही पश्चिमी जिले के लोग जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं इन मामलों में फौरन कहेंगे कि पूर्व हमारे साथ ही रहे। ये लोग तो बिल्कुल उनके गुलाम बने हुए हैं और जो वे कह देंगे वही होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का विभाजन किसी हालत में नहीं होगा। और विभाजन करने के लिये हम किसी प्रकार भी तैयार नहीं हैं।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन का प्रश्न बहुत महत्व का है और इसके ऊपर जितना देश में विवाद छिड़ा हुआ है उसको देखते हुए यह अवश्य है कि कोई भी प्रोग्रेस इस देश की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि ये छोटे-छोटे मसले पहले तय न हो जायं। यही विचार करके यह स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन बनाया गया था और उसने दक्षिण में तो बोली और भाषा के आधार पर सारे दक्षिण को बांट दिया, लेकिन जहां तक हिन्दी बोलने वाले प्रान्तों का ताल्लुक है उन्हें वह भाषा के आधार पर बांट नहीं सकता था। न तो उनको मिला कर बड़ी भारी १७ करोड़ की एक स्टेट बनाई जा सकती थी और न हम बहस करके भाषा के आधार पर उन्हें बटवा सकते हैं। जो अब तक दलीलें दी गई हैं उनमें से बहुत-सी को तो मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पा सका।

इस प्रदेश की भाषा एक है। लेकिन डायलेक्ट्स अलग-अलग हैं। डाइलेक्ट्स के आधार पर कोई प्रदेश नहीं बन सकता। बहुत से ऐसे इलाके हैं। पश्चिमी जिलों के किसान पूर्वी जिलों के किसानों की भाषा नहीं समझ सकते। पहाड़ के लोग जब अपनी भाषा में बात करते हैं तो हममें से बहुतों को समझने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन भाषा तो इतने धीरे-धीरे बदलती जाती है। हिन्दी भाषा भाषी प्रांतों में इस आधार पर कि इधर जरा खड़ी बोली है, उधर जरा व्रजभाषा है, मेरी समझ में उसका बटवारा नहीं आता।

कल्चर का जहां तक ताल्लुक है इस पर भी बहुत कुछ बहस हो सकती है क्योंकि कल्चर, रहन-सहन का जहां तक ताल्लुक है, खानपान में आम तौर से किसान वह खाता है जो वहां पैदा होता है। पश्चिमी जिलों में जिन इलाकों में चावल पैदा होता है वहां के लोग चावल खाते हैं। देहरादून के लोग चावल खाते हैं। पूर्वी जिलों में चावल पैदा होता है वहां के लोग चावल खाते हैं। कपड़ा जितना मिलता है पहन लेते हैं। उसमें बहुत बड़ा फर्क मुझे नहीं मालूम होता। लेकिन जहां तक रिश्तेदारियों का ताल्लुक है यह जरूरी है कि जहां हद होगी वहीं रिश्तेदारी होगी। बुलन्दशहर की गुड़गांव में होगी और बलिया की छपरा और बिहार में होगी, इसलिए इन चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दे कर हम इस प्रदेश के बटवारे की बात कहें उसमें बहस करना और उसका जवाब देना इसको मैं जरूरी नहीं समझता। इससे ज्यादा जरूरी कुछ और चीजें मालूम होती हैं। इस वक्त इस मामले पर इतना जोश है और इतना इसमें इमोशन ला दिया गया है कि इसमें अपनी सही राय देना काफी मुश्किल हो जाता है।

मुख्य मंत्री जी ने अपील की और सही अपील की, और यह अपील सही इसलिये भी है कि जो लोग यह चाहते हैं कि साथ रहें उनको तो कम से कम भड़काने की बात नहीं कहनी चाहिये। जो लोग अलग होना चाहें, अगर वह गलती करें, वह भड़काने की बात कहें तो समझ में आ सकता है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि साथ रहें वह भड़काने की बात कहें, जब जिम्मेदार मिनिस्टर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

साहबान उसमें मोटिव इम्प्यूट करें, लोगों को अनपैट्रियाटिक कहें, सेल्फिश कहें, अनरिप्रेजेंटेटिव कहें, या उन लोगों को दबाने की कोशिश करें जो अपनी राय जाहिर करना चाहते हों, तो वह तरीका गलत है। मेरा खयाल है कि गवर्नमेंट को इस बात पर कोई रुपया खर्च नहीं करना चाहिए था "उत्तर प्रदेश अविभाज्य" पर। इस मसले पर लिटरेचर बांटना और रुपया खर्च करना मैं समझता हूं कि यह न हुआ होता तो माननीय मुख्य मंत्री जी के उस विचार के साथ होता जो सब को प्यार से रखने के लिए कहा।

एक साहब कह रहे हैं कि बैठ जाओ, व्हिप हैं। शायद गवर्नमेंट का आर्डर लेकर, मंत्रियों से राय लेकर आये हों क्योंकि व्हिप साहब जब बोलते हैं तो यह मानना चाहिए, खास कर डिसिप्लिंड आदमी को कि वह पार्टी का व्हिप है, उसकी बात माननी चाहिए। मुझे डर लगता है कि डिसिप्लिन में कहीं निकाल न दिया जाऊं।

बहरहाल, व्हिप साहब से मेरी दरख्वास्त है कि जितना खामोश रहा करें उतना ज्यादा अच्छा है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, माननीय गौतम जी ने यहां पर कहा कि यहां एक व्हिप साहब इस तरह की बातें सदन में कह रहे हैं। तो क्या व्हिप को सदन में किसी माननीय सदस्य से इस तरह से बैठ जाने के लिए कहने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष---यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। आपस में उन लोगों के ताल्लुकात जो हैं और मजाक वगैरह होती है, वह सब को मालूम है। उन्होंने जवाब दे लिया और कड़ा जवाब दे लिया।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---मैंने कहा था कि पैड में क्या है, जो पैड बटे थे, "उत्तर प्रदेश अविभाज्य", उसमें क्या है ? मैंने कहा---पैड में क्या है और वह बैठना समझ गये। यह गलतफहमी जरा दूर करना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम---बहरहाल फिर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर व्हिप साहब इतना दखल न दें तो डिसिप्लिंड मेम्बर्स आफ दी पार्टी को ज्यादा सहूलियत होगी अपनी कार्यवाही करने में इस हाउस में। इस वक्त यह जो रियासतों का बटवारा हो रहा है इसको बहुत ही गम्भीरतापूर्वक यह समझकर कि यह बार बार नहीं होना चाहिये, यह समझकर कि यह फर्स्ट स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन नहीं है लास्ट ही है, यह हमें समझकर इस ओर इन तमाम बातों पर विचार करना चाहिये। बहुत सी बातें कही जाती हैं। कोई इसको पाकिस्तान से मिला देता है, कोई इसको पार्टीशन आफ बंगाल से मिलाकर उन तमाम बातों का नक्शा सामने लाता है कि यह बड़ी खतरनाक चीज होगी। मैं बहुत अदब से माननीय स्पीकर साहब, इस सदन के मेम्बरान के सामने यह निवेदन करना चहता हूं कि इस पर इत्मीनान के साथ, संजीदगी के साथ, शांतिपूर्वक ठंडे दिमाग से सोचकर विचार कर लिया जाय तो ज्यादा अच्छा है। इस वक्त जब कि स्टेट्स का रिआर्गनाइजेशन हो रहा है तो हमें अपने सूबे को देखना है। हमारा सूबा काफी बैकवर्ड है, इस पर बहस करके मैं आपका और अपना समय खराब नहीं करना चाहता। बहुत सी चीजों में हम पिछड़े हुये हैं। आबादी हमारी ज्यादा है हालांकि कुछ इलाकों की आबादी हमसे ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों को निकाल दिया जाय, झांसी के डिवीजन को निकाल दिया जाय तो जो बीच का इलाका है उसकी आबादी बहुत ज्यादा है। फिर कुछ दिन पहले मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि ऐग्रीकल्चरल इकानामी हमारी है, अगर यही इकानामी रही तो हम बहुत बैकवर्ड रहेंगे, हम उन्नति कैसे करेंगे। दूसरे प्रदेशों ने जितनी उन्नति इस

बीच में कर ली है उतनी हम नहीं कर पाये, क्योंकि हमारे पास उन्नति के साधन नहीं हैं। साधन इसलिये नहीं हैं कि हमारी ऐग्रीकल्चरल इकानामी है, इंडस्ट्रीज हम डेवलप नहीं कर सकते। पहले तीन वर्ष में केंद्र के २२ कारखाने खुले, लेकिन एक भी यू० पी० में नहीं था। हमारे यहां के नेताओं ने आवाज उठायी कि यहां पर भी कारखाने खुलने चाहिये। तो हमारे प्रदेश के ही एक मंत्रिमंडल के सदस्य केंद्र के आये और हमको यह नसीहत कर गये कि क्योंकि यहां रा मैटीरिअल नहीं है इसलिये यहां कारखाने कैसे खुल सकते हैं। हमारी भी समझ में यह आता है। तब सवाल पैदा यह होता है कि यह प्रदेश जो इतना गरीब है जो कई तरह से पिछड़ा हुआ है, इसकी उन्नति कैसे हो। किस तरह से इसकी उन्नति करें कि यह इतना गरीब न रहे। इसके लिये जरूरी यह है कि कुछ मिनरल रिसोर्सेज अगर हों तो हमारे यहां भी इंडस्ट्रीज डेवलप की जायं मिनरल रिसोर्सेज हो सकते हैं और इसी वक्त हो सकते हैं। अगर इस मौके को हमने नहीं देखा, अगर हमने कुछ काम्प्लेक्सेज से काम लिया, अगर कुछ हम अपने ही ढंग से सोचते रहे तो इस वक्त मिनरल रिसोर्सेज नहीं आयेंगे और फिर आगे कभी नहीं आयेंगे। हमारे प्रदेश में मिनरल रिसोर्सेज कहीं नहीं मालूम होते हैं, जहां तक कि अभी तक के रिसोर्सेज से पता चलता है। हमारे पड़ोस में विन्ध्य प्रदेश है और उसके बघेलखंड और बुन्देलखंड में मिनरल रिसोर्सेज हैं। अगर उसका मिनरल रिसोर्सेज का वह हिस्सा हमें मिल जाय तो हम कुछ तरक्की कर सकते हैं और अपने यहां की गरीबी को कुछ कम कर सकते हैं। तो क्या हम इस तरफ ध्यान न दें? मुझे बहुत खुशी है कि एक माननीय सदस्य ने इस सदन का ध्यान इधर दिलाया कि हमको विन्ध्य प्रदेश मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है और यह हमारे लिये भी अच्छा होगा और विन्ध्य प्रदेश के लिये भी अच्छा होगा। उसके लिये अच्छा इसलिये होगा कि जिस हिस्से में वह जा रहा है वहां के और इलाकों में कहीं ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं मध्य प्रदेश में, पुराने महाकोशल में, बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं। इसलिये मध्य प्रदेश में इसके मिलने पर इसके इलाके के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लायटेशन होने में काफी देर लगेगी और उन इलाकों के मिनरल रिसोर्सेज का पहले एक्सप्लायटेशन होगा। इसलिये विन्ध्य प्रदेश की भी तरक्की उतनी जल्दी नहीं हो सकती। देश की दृष्टि से जहां तक सब रिसोर्सेज को एक्सप्लायट करने की बात आयेगी उसमें कलेक्टिवली देश पीछे रह जायगा, क्योंकि विन्ध्य प्रदेश के रिसोर्सेज अगर मध्य प्रदेश के साथ हो गये तो देर में एक्सप्लायट होंगे और अगर यू० पी० के साथ हो गये तो जल्दी होंगे। इसलिये उससे देश का फायदा होगा, विन्ध्य प्रदेश का फायदा होगा और उत्तर प्रदेश का फायदा होगा। अगर विन्ध्य प्रदेश इधर आये और उसके रिसोसज एक्सप्लायट हुये तो यू० पी० का इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और इलाहाबाद की तो बहुत ज्यादा ताकत बढ़ सकती है और वह टाउन बहुत इंडस्ट्रियली डेवलप कर सकता है।

दूसरा सवाल यह है कि हमारी आबादी काफी है, डेंसिटी काफी है और अब जमीन के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐग्रिकल्चरल एकोनामी में और क्या होगा? तो जब जमीन पर बोझ हो तो जमीन हिस्टारिकली कुछ खास कम्युनिटीज ने ले ली और दूसरी कम्यूनिटीज हैं जिनके पास नहीं है। वह लैंडलेस हैं और इस इकानामी में अपने आप तरक्की करने की बात आयेगी तो उसमें "हंगर फार लैन्ड" बहुत ज्यादा बढ़ जायगा और हर बिरादरी और सब लोग चाहेंगे कि हमें जमीन मिले। लेकिन जमीन आपके पास नहीं होगी। कहां से लायेंगे? उससे यह कशम कश और झंझट बढ़ेगा, जिससे हमारी हालत खराब होगी। अगर हम को पड़ोस का ऐसा इलाका मिल जाता है जो कम आबाद है, जो हजारों मील खाली जमीन पड़ी हुई है तो उस जमीन पर अपने लाख दो लाख आदमियों को बसाकर हम यहां के बोझ को हल्का कर सकते हैं। इसमें क्या गलत चीज है? इसलिये मैं उस प्रस्ताव के दूसरे हिस्से को भी बहुत मुनासिब समझता हूं जो यह कहता है कि ग्वालियर के चार जिले इधर आ जायं। उनमें मिनरल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा हैं और फिर उस इलाके में डेंसिटी आफ पापुलेशन नहीं है। काफी लाख दो लाख आदमी वहां बस सकते हैं। इससे उस इलाके का, देश का और उत्तर प्रदेश का भी भला होगा।

[श्री मोहनलाल गौतम]

इन दो बातों का ख्याल रखते हुये अगर हम अपनी इकानामी को ठीक कर सकते हैं तो हमें उस पर विचार करके काम करना है। तो अगर इस तरह से ये दोनों हिस्से मिल जायं—मैं डिटेल्स में नहीं जाता, जब सवाल आये और डिस्कशन हो तो दूसरी बात है—तो एक इतना बड़ा प्रदेश हो जाता है कि फिर यह सोचना पड़ेगा कि क्या वह ऐडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबिल है? चल सकता है? क्या ला एंड आर्डर उसमें मेंटेन हो सकता है? क्या ऐडमिनिस्ट्रेशन उसका ठीक-ठीक चल सकता है? इस सवाल पर मेरी तो साफ राय यह है कि इतने बड़े प्रदेश का ऐडमिनिस्ट्रेशन एक जगह ठीक-ठीक नहीं चल सकेगा। इसलिये उसको देखना पड़ेगा कि क्या उसका होना चाहिये? मेरी अपनी राय है कि आज ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये दो करोड़ से चार करोड़ तक के यूनिट्स बनाये जायं तो ज्यादा मुनासिब है और २५–३० जिले एक राज्य में हों तो ज्यादा अच्छा है। इससे कम ठीक नहीं, इससे ज्यादा में दिक्कत पड़ेगी। यह केवल हिन्दी स्पीकिंग एरिया के लिये हो सकता है, क्योंकि दूसरी जगह तो भाषावाद का जोश है और वहां तो गोलियां चलेंगी। इसलिये वहां के लिये इस चीज को मैं नहीं मानता सिर्फ हिन्दी स्पीकिंग एरिया के लिये अगर उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो तो मुनासिब होगा। और उसके कारण भी हैं। क्योंकि मिनिस्टर अपने प्राब्लम साल्व करे, लेजिस्लेटिव वर्क करे, पहाड़ पर जाय, बाई एलेक्शंस में हिस्सा ले, अपनी कांस्टीटुएंसी में भी जाय ताकि लोग नाराज न हों और खुदा न करे कभी बीमार पड़ जाय, तो मुश्किल से सौ या ८० दिन बच सकते हैं और जब तक कि वह तीन-चार दिन एक जिले में नहीं रहेगा उस वक्त तक जिले को देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता और उसको दिक्कतें होंगी। मुझे फतेहपुर में एक ऐड्रेस मिला था कि अंग्रेजों ने पश्चिमी जिलों की तरक्की की, कांग्रेस सरकार पूर्वी जिलों की तरक्की कर रही है और हमारी आवाज जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के हैं उनकी भी कोई सुध ले, मिनिस्टर साहब यह लखनऊ तक पहुंचा दीजियेगा। तो यह सवाल अलग-अलग है। कोई पहाड़ की कहता है, कोई कहीं की। तो होता यह है कि वह तीन-चार दिन तक एक जिले की प्राब्लम नहीं समझेगा तो वह ठीक-ठीक काम नहीं कर सकता है और कोई सही नतीजा नहीं निकाल सकता है। बनारस के घाट पहले नहीं थे? उनकी शिकायत पहले नहीं थी? बनारस के मिनिस्टर्स पहले नहीं थे? क्यों एक साहब बनारस के जब चीफ मिनिस्टर बने तो उनको लाखों रुपये मिल गये? क्यों? क्योंकि वे वहां की हालत को रोज देखते हैं। वहां जो काम हुआ वह गलत नहीं हुआ, मुनासिब हुआ, मैं भी चाहता था। लेकिन साथ ही मिर्जापुर के भी घाट खराब हैं। मेरे सामने यह भी शिकायत आयी कि वहां के घाट खराब हो रहे हैं और वहां की आबादी और मकानों को खतरा है। यू० पी० में और बहुत से घाट हैं, वहां का कोई पता नहीं है। तो यह तभी हो सकता है जब एक जिले में ३–४ दिन एक मिनिस्टर रहे और वहां की प्राब्लेम्स को समझे। लेकिन जब ८० और १०० दिन से ज्यादा दौरा करने के लिये एक मिनिस्टर को मिलते नहीं तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है? इसलिये २५–३० जिलों का एक सूबा होना चाहिये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—हर जिले का एक मिनिस्टर हो तो अच्छा हो।

श्री मोहनलाल गौतम—हर जिले का भी मिनिस्टर हो सकेगा अगर ११ ही आदमी उस पार्टी में हों, लेकिन अगर ज्यादा होंगे तो शायद हर जिले का मिनिस्टर न बन सकेगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस संबंध में विचार करते समय श्रीमन्, मैं चाहता तो यह हूं कि इस सदन की बहस का स्तर यदि कुछ ऐसा हो जैसी कि कल्पना माननीय मुख्य मंत्री ने की

थी तो अधिक उत्तम हो। मैं इन मसलों पर विचार करते समय यह तो नहीं कहना चाहता कि जिलों के मंत्री बनने से किस जिले का क्या कल्याण हो सकता है क्या नहीं। इसलिये कि मैंने इन माननीय विरोधी मित्रों को बार-बार एक पहाड़ी मुख्य मंत्री होने के समय यह कहते सुना है कि पहाड़ों के हित का सम्पादन नहीं होता। इस प्रकार की बातों से हम अपने तर्क से किसी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। सवाल इस समय विचार करने का है और मुझे याद आता है इलनर रूजवेल्ट ने एक बार लिखा था अपने एक सलाहकार को कि क्या करना चाहिये जब कि हम किसी क्राइसिस के समय पर हों। तो उसने उनको सलाह दी कि "When in difficulty follow your heart, not your mind." मैं अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि कृपा करके अपने दिल को टटोलें, क्योंकि राजनीतिक परिभाषायें करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिज्ञ तो बहुत सी बातें ऐसी कहता है जो संभवतः वह जानता है कि सही नहीं है। मैंने पढ़ा था कि चर्चिल ने एक बार यह कहा था कि "The politician is he who can predict future but when it does not come off, can conveniently explain it away." राजनीतिज्ञ वही है जो भविष्य के बारे में बहुत कुछ कह सकता है लेकिन जब वह पूरा नहीं होता तो बड़ी आसानी से सफाई दे कर उससे निकल भी सकता है। नियत की बातें तो बहुत कुछ कही गईं। हमारे माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने एक शेर भी कहा था। मैं भी नियत के बारे में एक पूर्वी जिले का आदमी होते हुये केवल यही निवेदन करूंगा कि:—

"हमारा साफ दिल है, हम तो मिलते हैं सफाई से,
अब इसको यार तू जाने कि तू किस दिल से मिलता है।"

अब यह तो अपने-अपने समझने की बात है लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि जरा इस मसले पर भौगोलिक रूप से विचार करें। जिस समय भगीरथ ने गंगा को इस सूबे में हमारे बीच में ला कर खड़ा कर दिया, उस समय से लेकर आज तक युगों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि बड़े-बड़े विदेशी नरेशों की आंखें इस उर्वरा भूमि पर लगी हुई थीं और भारतीय नरेशों ने भी कलिंग, अशोक, हर्षवर्धन इत्यादि ने सदैव इस बात की चेष्टा की कि गंगा के ऊपर और नीचे के भाग को मिला कर रखें। जिन लोगों ने यहां पर बहस की वे शायद भूल गये इस बात को। यदि फ्रांस के लोग वीर हो सकते हैं क्योंकि उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से दूसरे लोग देखा करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग भी वीर हो सकते हैं चाहे वे मेरठ डिवीजन के हों, चाह बलिया, गोरखपुर और गाजीपुर के हों। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ ऐसी बातें हैं, श्रीमन्, जो हमारे लिये विचारणीय हैं। क्यों पूरब गरीब है और क्यों पश्चिम धनी है? गंगा के दो हिस्से हैं: एक तो ऊपर का हिस्सा और दूसरा नीचे का हिस्सा। एक अपर गंगा और दूसरा लोअर गंगा। गंगा के लोअर डिवीजन की आबादी करीब सात करोड़ के है और यह ५ करोड़ ८१ लाख एकड़ भूमि में बसी हुई है। यह गंगा के नीचे का हिस्सा है और अगर यहां पर जमीन का बंटवारा कर दिया जाय तो पूर्वी जिलों में एक स्क्वायर मील में ८३२ आदमी पड़ते हैं। मैं इसलिये यह सब कह रहा हूं कि मेरे पूर्व वक्ता ने डेंसिटी की बात कही थी। अब आप इधर गंगा के ऊपरी हिस्से को ले लीजिये जिसे अपर गंगा डिवीजन कहते हैं। इसकी ३ करोड़ ८९ लाख के करीब आबादी है और यह हिस्सा फैला हुआ है ३ करोड़ १६ लाख एकड़ भूमि के क्षेत्रफल में। यदि इसमें भूमि का बंटवारा किया जाय तो एक स्क्वायर मील में ६१६ या ६३२ आदमी पड़ते हैं। लेकिन यदि अनुपात देखा जाय तो नीचे हिस्से के रहने वाले २०० आदमी ऊपर के रहने वाले आदमियों से प्रति स्क्वायर मील अधिक पड़ते हैं। इसलिये हम गरीब हैं और हमारी गरीबी रहेगी और इसके रहते हुये इस प्रश्न पर विचार करना शुरू करें तो इतिहास के विरुद्ध बात कौन कह रहा है, भूगोल के विरुद्ध कह रहा है।

श्रीमन्, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों ने प्रदेश की प्रगति की और उत्थान की बात कह डाली। कुछ लोगों को इस बात में संतोष हुआ इस बात के देखने में कि और जगहों के मुकाबले में हमारा उत्तर प्रदेश कितना नीचे गिर रहा है। मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा है। इस

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

बात को जाने दीजिये कि हम कितने आगे बढ़े हैं । उन्होंने इस बात को बताया कि हम कितने नीचे गिरे हैं और फैसला दे दिया गया कि हमारा प्रदेश नीचे गिर रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि चीन के आंकड़ों को वह समझने की चेष्टा करें, मैंने भी चीन के चेयरमैन के एक व्याख्यान को पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि हमारे यहां ७० ऐसी दवायें हैं जो इन्सान की जिन्दगी के लिए जरूरी हैं लेकिन आज उनमें से ४५ दवायें नकली हैं, फर्जी हैं । हमें यह परेशानी है और हमारे यहां आदमी मरते चले जा रहे हैं । वहां यह हालत है और हमारे यहां के लोगों को इतना तक पता चल गया कि चीन के अस्पतालों के कितने बेड्स हैं । हमें चीन के आंकड़ों को देखते समय याद रखना चाहिये कि वहां ४,७०० चीनी सिक्का हमारे यहां के एक रुपये के बराबर होता है ।

चीन की बात को जाने दीजिये । हम कहते हैं कि हम शिक्षा में कम हैं । हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रावनकोर-कोचीन और बड़ौदा की तरह हम निरंकुश शासक नहीं थे । ब्रिटिश प्रणाली ने हमें शिक्षित नहीं किया । लेकिन यह वही उत्तर प्रदेश है जब कि हम १९४९–५० में भूखों मर रहे थे और २०० करोड़ मन गल्ला बाहर से मंगा रहे थे । लेकिन आप को पता है कि इस प्रदेश ने उस समय से अब तक क्या किया ? उन्हीं दिनों ट्रावनकोर-कोचीन से भी कहा गया कि अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करो और जितना उन्होंने उत्पन्न किया वह आंकड़े हमारे सामने हैं । उनके अनुसार यदि १९४९–५० को बेसिक ईयर मान लें तो ३०. ६१ प्रतिशत कम था । यह ट्रावनकोर-कोचीन की उत्पत्ति है जो कि इतना शिक्षित था । उन्हीं दिनों बिहार की उत्पत्ति १९५४ में एक लाख २५ हजार टन कम थी । बम्बई ने उन्नति की और इसको १९४९–५० को बराबर मान लें तो १९५४ में तथा १९५५ में ४.५४ से अधिक यानी २ लाख ३२ हजार टन गल्ला अधिक पैदा किया । लेकिन हमारे समूचे देश में जो २०० करोड़ मन गल्ला बाहर से आता था उस को रोक दिया गया और इसका श्रेय केवल हमारे उत्तर प्रदेश को ही है । इसी हमारे उत्तर प्रदेश ने ९ लाख १२ हजार टन गल्ला अधिक पैदा किया । जिसको १९४९–५० का बेसिक ईयर मान लें तो इसकी पैदावार सब से अधिक है यानी ८.१७ प्रतिशत के करीब है । यही हमारा उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की यह रिपोर्ट है कि आजादी के बाद सबसे अधिक सड़कें उत्तर प्रदेश ने ही बनाई हैं । इसने ३ हजार मील लम्बी सड़क बनाई है जो भारतवर्ष के ८ प्रदेशों के कुल निर्माण से अधिक है । तो आखिर यह कहना कि उत्तर प्रदेश तो गिरता चला गया, शासन बहुत खराब होता चला गया और इन बातों को लेकर एक नये प्रदेश की रचना के बारे में बात कहना, मैं नहीं समझता श्रीमन्, कि कहां तक वांछनीय है, कहां तक उचित है और मुझे तो भाषावार प्रान्त की बात पर आश्चर्य होता है । पहले तो मैं इसका समर्थक नहीं हूं । जो लोग भाषावार प्रान्त बनाने की बात करते हैं वह संभवतः हमारे प्रदेश को ऐसा समझते हैं कि यह योरुप के देशों से भी गया गुजरा है । यदि भाषावार प्रान्त बनने की बात ही वहां अपनाई जाती तो स्वजरलैंड के चार भाग होने चाहिये । भोजपुरी की बात वे उठाते हैं जिनके समर्थकों का कहना था कि जर्मनी का बटवारा भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिये । वहां उनकी बात को सुनकर आश्चर्य होता है । उत्तर प्रदेश को अगर बांटा भी जाय तो लाभ किसका होगा और वह कहां से और कैसे लाभ करेंगे । मुझे तो बड़ा दुःख हो रहा था कि जब इस सदन में कुछ लोगों ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश का एक केन्द्रीय स्थान से बैठकर शासन का संचालन नहीं हो सकता है । डेमोक्रेसी का पता नहीं कौन सी परिभाषा उन्होंने पढ़ी है ? पता नहीं वह डेमोक्रेसी के विषय में जानते क्या हैं । पहले तो कोई कम्युनिस्ट इस बात को नहीं कहेगा क्योंकि मन्त्रियों का दौरा यदि कोई माप-दण्ड है, देश की प्रगति का तो यह मानना पड़ेगा कि हमारा प्रदेश एक उन्नत प्रदेश है । यदि प्रजातंत्र का वास्तविक संगठन हो जाय तो मन्त्रियों को दौरा करने की कतई जरूरत न होगी । मैं जानना चाहता हूं और अपने उन मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जो

कम्युनिस्ट सिद्धान्तों को बहुत ज्यादा मानते हैं कि वे जरा पता लगाकर बतायें तो कि मास्को के शासक कितनी जगह दौरा करते हैं? मैं पूछता हूं कि प्रजातंत्र के जानने वाले जरा इंगलैंड के मंत्रियों के दौरे का रेट लगा लें और बतायें कि वह क्या है। डेमोक्रेसी में सब से महत्त्वपूर्ण कार्य होता है नीति-संचालन, जो केवल मंत्रियों और लेजिस्लेचर्स को करना चाहिये। हम एम० पीज० और एम० एल० एज० अपने अधिकारों को ज्यादा समझते हैं। हां, यह कहना जरूरी है कि हमारा प्रजातंत्र अभी शैशव अवस्था में है। इसको उन्नत करना होगा और इसके साथ ही साथ हमको यह भी देखना होगा कि शासन का संचालन कैसे हो। जिन लोगों ने क्वीन्सलैंड की बात का खंडन किया वे जानते नहीं कि उसकी रचना कैसी है। श्री नरदेव शास्त्री जी ने बहुत से श्लोक निवेदन कर दिये। वह मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि—

"कः कालः कानि मित्राणि, को देशः कौ व्ययागमौ।
कश्चाहं का च मे शक्तिः, इति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः॥"

इसको यदि वे सदैव सामने रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अन्त में पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि भौगोलिक दृष्टि से, प्राचीन इतिहास की दृष्टि से और अपनी परम्परा की दृष्टि से इस विषय में उत्तेजित होकर विचार करना इस सदन की मर्यादा के विरुद्ध नहीं बल्कि इस उत्तर प्रदेश की मर्यादा के विरुद्ध होगा।

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी) (जिला गढ़वाल)—आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस राज्य पुनस्संगठन कमीशन को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुन्दर नकशा हमारे देश को राज्यों में विभाजित करने के लिये जो पेश किया है। मैं इसको भली प्रकार समझता हूं कि यह इतना बड़ा कठिन कार्य था कि जिसको सभी की इच्छा के अनुसार कर सकना एक दुर्लभ बात थी। उस पर हमारे उत्तर प्रदेश के संबंध में जो उन्होंने सर्वसम्मति से व्यवस्था की है वह मैं समझता हूं कि उन्होंने सब से उत्तम बात की है और उस पर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें इन शब्दों को इतने सुन्दर तरीके से उन्होंने रखा है कि "केवल ऐसे सीमा संबंधी छोटे-छोटे संधान को छोड़कर जो आवश्यक हों, हमारा राज्य उत्तर प्रदेश पूर्ववत् बना रहे" वह बहुत ही सुन्दर है। यद्यपि हम सब लोगों की यह भावना हो सकती है कि इसमें हम बघेलखंड को भी मिला लें, मध्य भारत का भी कुछ हिस्सा मिला लें या विन्ध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा मिला लें लेकिन ऐसी मांग खुले शब्दों में रखना हमारी नीति के विरुद्ध जाता है। जब हम अपने प्रदेश में से कुछ अंश भी छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं तो हम किस मुंह से इस बात को कहें कि हमारे प्रदेश में किसी दूसरे प्रदेश का इतना हिस्सा और जोड़ दिया जाय। तो इसको अच्छी तरह से रखने के लिये, यह कहा गया है कि पड़ोस के विलीन होने वाले प्रदेश के वे भाग जो हमारे लिये बहुत ही हितकर हों और जो समीपस्थ राज्य हैं, जो एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं, उनके लिये भी यह आवश्यक था। उनके लिये और हमारे लिए वह हितकर हो तो इस प्रदेश में मिला दिये जायें। उस तरीके से उन्होंने रखा है कि जिससे यह भावना हमारी कहीं पर प्रकट न हो कि हम दूसरे हिस्सों को हड़पना चाहते हैं। मैं एक बात आप के द्वारा इस सदन के सामने कह देना चाहता हूं कि जहां तक सीमाओं का सम्बन्ध है वह राष्ट्रीयता के आधार पर और नेशन के आधार पर देशों में होती है। परन्तु उनके अन्तर्गत राज्य के भाषावार प्रान्त बनें या और किसी तरह से प्राकृतिक रूप से वह एक हों तो इस पर मैं समझता हूं कि उचित-सा नहीं लगता है, क्योंकि भाषावार प्रान्त का बनना मैं तो एक प्रकार से संकीर्णता का पोषक समझता हूं। यह बात ठीक है जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि यह गलती किसकी है। कांग्रेस कमेटी ने बार-बार भाषावार प्रान्त बनाने का विचार जो देश के अन्दर रखा है वह तो समयानुसार निश्चय था। तो फिर शास्त्री जी ने अपने शब्दों में यह भी कहा कि पोलिटिक्स में सेटिल्ड फैक्ट नहीं माने जाते हैं, मैंने उनकी

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

दूसरी बातों को मान लिया है मैं उनसे कहूंगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो निर्णय दिया है भाषावार प्रान्तों को मानते हुये तो यह हमको एक मूलमन्त्र भी दिया कि इस प्रकार राज्यों का संगठन न हो, जिससे देश की एकता और हमारी उन्नति में बाधा आवे। और मैं समझता हूं कि इस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उन्होंने इन चीजों को आधार मानकर ही यह रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

परन्तु जहां तक यू०पी० का सवाल है, पणिक्कर साहब ने क्यों यह राय प्रकट की कि इसको भी दो हिस्सों में होना चाहिये । मैं उनके प्रति आदर का भाव रखता हूं किन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात कही है ऐसे विचारों को उचित विचार नहीं कहा जा सकता। हमें यह देखना है कि रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने कारण क्या-क्या प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने अपने मत के पक्ष में क्या-क्या तर्क दिये और बहस की । उन्होंने इस बात को कहा है कि पहाड़ी लोगों में और मैदानी लोगों में भिन्नता है। मगर जब उन्होंने अपना नकशा बनाया तो पहाड़ों को जोड़ दिया पूर्वी जिलों के साथ। मैं पूछना चाहता हूं कि बलिया, गाजीपुर पहाड़ों से ज्यादा दूर है या मेरठ ज्यादा दूर टेहरी-गढ़वाल, जो हिमांचल प्रदेश से मिला हुआ है उससे उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा बहुत दूर है बनिस्बत मेरठ या सहारनपुर के, फिर पणिक्कर साहब ने टेहरी-गढ़वाल को पूर्व के साथ जोड़ा। अगर शासन की कठिनाई की वजह से वह प्रदेश का विभाजन चाहते थे तो उनका यह तरीका मेरी समझ में नहीं आया कि टेहरी-गढ़वाल का हिस्सा भी पश्चिमी जिलों से उन्होंने क्यों नहीं मिलाया और क्यों पूर्व से मिलाया । किन्तु एक बात अवश्य है कि पहाड़ों के बगैर न तो पूर्व और न पश्चिम वाले जिन्दा रह सकते हैं। इसका कारण मैं आपको बतलाना चाहता हूं। यह बात जरूर है कि यह कृषि प्रधान देश है। मगर आपके देश की उन्नति के लिये हमको औद्योगिक उन्नति जरूर करनी पड़ेगी और औद्योगिक उन्नति के लिये कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। पश्चिमी जिलों के लिये जैसा कि पणिक्कर साहब ने अपने नकशे में बतलाया है उनमें रा-मैटीरियल कहां से आयेगा ? उसका उन्होंने प्रबंध नहीं किया है। जो उन्होंने नकशा बनाया है उसमें उन्होंने पहाड़ों को उसमें से निकाल दिया है। अगर उन्होंने एक शरीर बनाया तो उसमें सिर को नहीं बनाया है। पणिक्कर साहब के नकशे में सिर नहीं है। सिर के बिना कोई स्टेट चल सकेगी या नहीं यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं आपसे इस बात को कह सकता हूं कि इस बात को आप मान लें कि हमारे श्रीचन्द्र जी ने जो दूसरा नकशा तैयार किया है उसमें उन्होंने सिर के भी दो हिस्से कर डाले हैं। टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल को उधर अपने साथ रखा है और नैनीताल और अल्मोड़ा को पूर्व के साथ रखा है। इस तरह से मस्तिष्क के दो हिस्से कर डाले। हमारे गौतम जी ने यह जरूर बतलाया है कि दोनों स्थानों में खनिज-पदार्थों की आवश्यकता है, कच्चे माल की आवश्यकता है। सब कुछ बतलाते हुये भी अन्त में उन्होंने यह कह दिया कि शासन की दृष्टि से यह बड़ा मुश्किल होगा कि यहां से वहां तक ठीक-ठीक काम हो। इसलिए दो राज्यों में बांटना जरूरी है। मैं इस बात को मानता नहीं हूं, फिर अगर थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि ऐसे स्थान जहां के खनिज-पदार्थ और रा-मैटीरियल, जो उद्योग के लिये आवश्यक हैं पर्वतीय जिलों में प्राप्त होते हैं, वे सिवा पहाड़ और तराई के हमारे प्रदेश में कहीं भी नहीं पाये जाते हैं, तो अगर उनके भी दो हिस्से हो जायं तो न तो खनिज-पदार्थ या कच्चा माल इस स्टेट को मिल पायेगा और न उस स्टेट को मिल पायेगा और इस तरह से दोनों के दोनों ही कमजोर हो जायेंगे। पणिक्कर साहब ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में इस चीज को दिखलाया है कि इसकी आमदनी और डेफिसिट क्या होगी। तो मेरी समझ में नहीं आया कि वे क्यों उत्तर प्रदेश को पंगु बनाना चाहते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से यहां पर कहा गया है कि पहले आर्यावर्त था, फिर इसका क्षेत्र बढ़ा, फिर म्युटिनी के बाद ऐसा हुआ और सन् १८५७ के गदर के बाद इसका रूप ऐसा हो गया। यह भी कहा गया है कि आज नहीं तो भविष्य में जरूर बटेगा। मैं तो कोई

भविष्य वक्ता नहीं हूं जो इस बात को कहूं कि आज इस प्रदेश का विभाजन न भी हो तो कल हो जायगा। मगर एक बात मैं जरूर कहता हूं कि अगर इसका विभाजन कर भी लिया जाय तो यह अलग रह नहीं सकता है। ऐसा तर्क तो सुबह से शाम तक दिया जा सकता है और उसका उत्तर भी एक दूसरे को दिया जा सकता है लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो स्वयंसिद्ध होती हैं और जिन्हें तर्क से छिपाया नहीं जा सकता। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के नाते नहीं बल्कि समस्त देश के हित के नाते इस समय इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस होती है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो जिस वक्त समय होगा उसकी आवश्यकता के अनुसार बदलते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है और जिसकी पूरी तसवीर बन चुकी है, उस बनी-बनायी हुयी तसवीर को बिगाड़ना न उनके लिये हितकर होगा जो विभाजन चाहते हैं और न किसी के लिये हितकर होगा। अगर इस बात की नाराजी है कि इधर ज्यादा खर्च होता है हमारे यहां कम खर्च होता है तो इस सम्बन्ध में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सन् ३६, ३७ से मैं बराबर इस असेम्बली में सुनता आया हूं सन् ४६ तक बजटों की बहस के सिलसिले में कि कुल का कुल रुपया पश्चिमी जिलों में खर्च होता है, बिजनौर में सड़कें बन गयी हैं, पश्चिमी जिलों में इतना ज्यादा रुपया खर्च हो गया है। पूर्वी जिलों की बराबर यह शिकायत रही। मैं पहाड़ों की तरफ से हमेशा चिल्लाता रहा। अध्यक्ष महोदय को स्वयं पता होगा कि उस वक्त तक यह पुकार रहती थी बल्कि यहां तक लोगों की शिकायत बढ़ी कि गरीब और पिछड़े हुए पहाड़ी जिलों पर भी उनकी कोप दृष्टि पड़ी और उपेक्षित पहाड़ी जिलों पर भी इन शब्दों में फबती कसने लगे कि गंगा तो ऊपर से नीचे को बहती हैं लेकिन चांदी का दरिया नीचे से ऊपर को बहता है। पहाड़ी जिलों की यह बराबर शिकायत रही है कि प्लेन्स को ज्यादा रुपया मिलता है। मैं कहता हूं कि शिकायतें हैं मगर शिकायतों की वजह से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेना या अपना सर काट देना यह कहां की बुद्धिमानी है? यहां पर हमारी संस्कृति या सभ्यता की बात नहीं है लेकिन जहां तक आमदनी का सवाल है मान लीजिये कि किसी जिले की मालगुजारी की आमदनी कम है, या किसी की ज्यादा है, तो क्या उसका और कोई मूल्य नहीं है? मैं अपने जिले के ही विषय में बता दूं कि हमारे गढ़वाल में दो या ढ़ाई लाख रुपये की आमदनी मालगुजारी से होती है लेकिन हमारे जंगलों की आमदनी करीब ४० लाख है। गोरखपुर की आमदनी मेरठ के मुकाबिले में कम है लेकिन वहां गोरखपुर के जंगल की आमदनी ४० लाख रुपया है जब कि मेरठ की जंगल से आमदनी एक पैसा भी नहीं है। जहां तक आमदनी और खर्चे का सवाल है मैं इस बात का दावा नहीं करता कि पब्लिक एक्सचेकर तथा राज्य कोष से पहाड़ों को एक पैसा भी नहीं मिला लेकिन पहाड़ वाले अगर पहाड़ी भूमि में वनस्पति ही लगा दें तो फिर वनस्पति से करोड़ों रुपया स्टेट को दे सकते हैं। मैं कहता हूं कि ६ करोड़, १० करोड़ या २० करोड़ रुपया फ्लड के सम्बन्ध में खर्च हो रहा है तो वह कुछ भी नहीं है। अगर हम देश की रक्षा उत्तर तिब्बत की तरफ से कर सकते हैं तो हम इस देश और प्रदेश की सेवा करते हैं और वह सेवा सबसे बड़ी मानी जा सकती है। किसी भी प्रदेश में या किसी भी परिवार में सब आदमी एक तरह के नहीं होते, और जिस तरह से कि एक हिन्दू परिवार में कोई बुद्धि का काम करने वाला होता है, कोई हाथ का काम करने वाला होता है इसी तरह से इस स्टेट की चारों दिशाओं में भी हम उत्तर और पूरब-पश्चिम में पूरे शरीर के अवयवों की तरह काम करते रहे हैं। और अगर वह शरीर किसी ओर से भी कटता है तो हम अंगहीन हो सकते हैं और फिर कोई काम होना तो दूर जीवित रहना भी सम्भव नहीं हो सकता।

इसी तरह से प्रदेश का विभाजन कर ऐडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत की बात अब तक समझ में नहीं आयी। इस बात का माननीय हाफिज जी ने भी पहले जवाब दे दिया था कि अगर अब खराब है तो बटने के बाद और बदतर ऐडमिनिस्ट्रेशन हुआ तो हम किधर जायेंगे। इसकी कोई गारन्टी तो है नहीं कि छोटे होने पर ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो ही जायगा। पणिक्कर साहब ने जो कमियां बतायी हैं उनको पढ़ने वालों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि यह

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

प्रगति या अवनति शिक्षा या दूसरी चीजों में इन पांच-सात वर्षों की है या अंग्रेजों की शासन-व्यवस्था के जमाने की है। वह तुलना करें कि ४७ के बाद जब से स्वराज्य मिला है और हमारा सीधा शासन स्वतंत्र हुआ है तब से अब तक यहां अवनति हुयी है ? मैं तो समझता हूं कि इस बीच में पहले से प्रगति हुयी है। स्कूलों की और दूसरी चीजों की चौगुनी रफ्तार से उन्नति हुयी है और उसको और तेज करने की हमारी अभी योजना है।

श्री जोराबर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कमीशन की रिपोर्ट को पूरा पढ़ा और माननीय सदस्यों के भाषण को भी सुना और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कमीशन के सदस्यों के दिमाग में क्या चीज रही। उसमें एक तो वह सदस्य थे जो चाहते थे कि इस प्रदेश का बटवारा न हो और उन्होंने यह निर्णय कर लिया था और समझ लिया था कि इस प्रदेश को न हटाया जाय और न इसमें कुछ जोड़ा जाय और दूसरे वह सदस्य थे जिनमें पणिक्कर साहब थे कि जिन्होंने निर्णय कर लिया था कि किसी तरह उत्तर प्रदेश का बटवारा कराना है। इसी प्रकार यहां भी दो प्रकार के मत व्यक्त हुये एक तो कुछ पश्चिमी जिलों के लोगों का खयाल रहा कि प्रदेश का बटवारा हो, दूसरी ओर हमारी सरकार इस भय से कि कहीं प्रदेश बट न जाय इस प्रयत्न में रही कि प्रदेश वैसे ही जैसा है बना रहे। मेरा मत है कि सरकार इस विचार पर न होती तो गौतम जी ने जो बात कही थी और जो प्रस्ताव माननीय वीरेन्द्रशाह ने रखा है अगर वही मांग रखी जाती तो मैं समझता हूं यह अनुचित न होता। मेरी समझ में आज पश्चिमी जिलों के भाइयों ने जिस मांग को रखा है उन्होंने उसके कुछ आधार बताये हैं उनमें से एक यह और बताया है कि जो रुपया आधा हमारे यहां से लिया जाता है वह पूर्वी जिलों में व्यय होता है। दूसरे जैसे कि पणिक्कर साहब की राय थी कि कोई सूबा इतना बड़ा नहीं होना चाहिये जो दूसरों पर हावी रहे या सन्तुलन बिगाड़े, वह बात उन्होंने रखी है, लेकिन जहां तक बड़े और छोटे का प्रश्न है वहां मैं समझता हूं कि कमीशन ने इस बात में कोई बेसिस नहीं निश्चय किया कि वह प्रदेशों के बारे में कोई निर्णय कर सके कि एक सूबा कितना बड़ा होना चाहिये। जन-संख्या आदि के विषय में भी कोई निर्णय नहीं किया कि वह एक प्रदेश की अधिक से अधिक और कम से कम कितनी होनी चाहिये। उसका नतीजा हम यह देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिये जहां इस नोट आफ डिसेंट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और यह फेडरेशन में इम्बैलेंस क्रियेट करेगा। वहां हम देख रहे हैं कि बम्बई, राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्र में इतने बड़े प्रदेश बना दिये गये हैं जो उत्तर प्रदेश से कहीं अधिक बड़े हैं। मध्य प्रदेश तो क्षेत्र में इतना बड़ा बना दिया गया है कि मैं समझता हूं कि उस पिछड़े इलाके के उन लोगों के लिये जिन के हाथों में शासन की बागडोर होगी वे कदापि उसका शासन-भार नहीं संभाल सकते हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अभी मानसिंह का दौर-दौरा उसी मध्य प्रदेश और मध्य भारत में रहा जहां के क्षेत्रों को इस प्रदेश में मिला दिया गया है, जो कि इस काम के लिये बिलकुल अनुपयुक्त तथा असमर्थ सिद्ध हो चुका है। हमारी सरकार ने इसमें काफी बल दिया और उसी के प्रयत्न का परिणाम है कि मानसिंह का गिरोह बहुत कुछ खत्म हो चुका है। अब हमारे कुछ पश्चिमी जिले के भाई हैं, उनकी आज यह मांग है कि डिवीजन होना चाहिये। यह कहां तक ठीक है, यह तो इस सदन में बहुत कहा जा चुका है। मेरा ऐसा विचार है कि जैसा माननीय बालेन्दुशाह जी ने कहा था कि अगर उनकी यह मांग है तो उसका कुछ न कुछ आधार अवश्य होगा। उन मांगों से उन कारणों को अलग नहीं किया जा सकता है और अगर उनको अलग नहीं किया जाता है तो उनको दूर किया जाना चाहिये हम लोगों का ऐसा विचार है। इसके अलावा जो उन्होंने विरोध प्रकट किया है उसके बहुत बड़े कारणों में से यह भी है कि उत्तर प्रदेश में बनारस, लखनऊ और बिजनौर जिलों से वहां के दो-दो मिनिस्टर्स हैं। लेकिन बुन्देलखंड से जहां की स्थिति इस प्रदेश में और जगहों से बिलकुल भिन्न है वहां का कोई भी प्रतिनिधि कैबिनेट में नहीं है। इसी तरह से पहाड़ी प्रदेशों की बात है। पहाड़ी इलाकों की स्थिति उत्तर प्रदेश में और इलाकों से

बिलकुल भिन्न है फिर भी उनकी समस्याओं को समझने के लिये कोई भी मंत्री नहीं रखा गया। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिससे लोगों में यह भावना अवश्य होती है कि पूरे सूबे के लोगों के साथ जस्टिस नहीं होती। इसीलिये लोगों को ऐसी बातें कहने का मौका भी होता है।

दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि जो स्टेट्स मेनटेन करने वाले लोग हैं मैं पहले ही बता चुका हूं कि उनकी यह धारणा रही है कि कहीं हमारा प्रदेश बट न जाय, और इसीलिये उसी स्टेटस को मेनटेन करने के लिये वे प्रयत्नशील हैं और ऐसा करके वे उसी अंग्रेजी परम्परा को प्रतिपादित कर रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु सारे हिन्दुस्तान के नकशे को बनाया। फिर यही बात विन्ध्य प्रदेश वाले कहते हैं यही तो राजस्थान वाले कहते हैं जो आप चाहते हैं और कहते हैं कि विभाजन नहीं होना चाहिये। फिर क्या आधार है आपके यह कहने का या कमीशन के नियुक्त करने का कि इस देश के सूबों का पुनस्संगठन होना चाहिये। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की दलील देने वाले लोग ही इस कमीशन की अयोग्यता बैठाये जाने के लिये सिद्ध करते हैं कि इस कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में कमीशन की नियुक्ति ठीक की गयी है तो मैं माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं। हमको यह नहीं कहना चाहिये कि स्टेट्स मेनटेन रहे। मैं चाहूंगा कि मध्य भारत के जो चार जिले हैं भिंड, शिवपुरी, मोरेना और गिर्द (ग्वालियर) हमें उन जिलों को उत्तर प्रदेश में मिला लेना चाहिये और बघेलखंड को मिलाकर जो विन्ध्य प्रदेश बना हुआ है उसको भी मिला लेना चाहिये। बुन्देलखंड की बात मैं इसलिये कहता हूं कि झांसी कमिश्नरी के चार जिले आधा बुंदेलखंड का भाग हमारे यहां हैं और चार जिले दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर वगैरह आधा उधर हैं। अगर कमीशन का निर्णय यह होता कि पहले जैसा था वैसा रहना चाहिये तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आठ जिले एक हैं। वह चाहे जहां रहें एक हो कर रहें। जहां तक बघेलखंड की बात है उसके लिये तो स्वयं मुख्य मंत्री जी ने रखा है कि इसके हिस्से को मिला लेना चाहिये और उसका कारण वे बताते हैं कि रिहंद डैम बन रहा है और हम चाहेंगे कि उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन उसकी बाउन्डरी दो राज्यों की नहीं होनी चाहिये। अगर सचमुच में रिहन्द डैम ही इसका कारण है कि विन्ध्य प्रदेश का कुछ भाग यू० पी० में मिलाया जाय तो मैं चाहूंगा कि जो रंगवा डैम छतरपुर के पास है उसके लिये बुन्देलखंड के ४ जिलों को भी उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होना चाहिये। माताटीला डैम के लिये मध्य भारत के भिंड, मुरैना, गिर्द तथा शिवपुरी जिलों को उत्तर प्रदेश में मिलाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, कमीशन ने दलील दी है कि ये चारों जिले मध्य भारत में मिलने चाहिये। मैं समझता हूं कि ये जिले मध्य भारत में मिलाये जाने के लिये उपयुक्त नहीं हैं जितना कि उत्तर प्रदेश में मिलाये जाने के लिये उपयुक्त हैं। इस कमीशन की रिपोर्ट १३० पेज पर पैराग्राफ ४७४ से लेकर ४७७ तक इस सम्बन्ध में है। मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मुख्तसर में पढ़िये।

श्री जोरावर वर्मा—पहला प्वाइंट यह है कि यह पूर्ण हिन्दी बोलने वाला सूबा है। दूसरे ला और आर्डर की दृष्टि से यह अधिक अच्छा रहेगा कि इनको मध्य भारत में मिलाया जाय। तीसरे माताटीला डैम जो है, इसका बहुत कुछ हिस्सा मध्य भारत के चारों जिलों को सींचेगा। चौथी बात यह है कि इन चारों जिलों में मीन्स आफ कम्युनिकेशंस नहीं हैं लेकिन जो रेलवे बोर्ड है उसने इस बात की सिफारिश की है कि एक लाइन इस प्रकार की बनाई जायगी जिससे इन चारों जिलों में आने-जाने में सुविधा होगी। मेरी समझ में यह जो चारों बातें हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिये अधिक लागू होती हैं। उत्तर प्रदेश पूर्ण हिन्दी बोलने वाला सूबा है। ला एण्ड आर्डर में मध्य भारत से हमारा प्रदेश अच्छी स्थिति पर है। जहां तक माताटीला की बात है मैं पहले बतला चुका हूं कि उसका निर्माण हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है और जो मीन्स आफ कम्यूनिकेशंस की बात है, झांसी से ग्वालियर

[श्री जोरावर वर्मा]

तक, और ग्वालियर से शिवपुरी तक जो ग्वालियर स्टेट की रेल है वह चलती है। लिहाजा, भिंड, गिर्द, मुरैना और शिवपुरी ये चारों जिले हमारे उत्तर प्रदेश में मिलाये जा सकते हैं। बघेलखंड की मांग के प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि रेहन्द डैम तो इसका कारण है ही, दूसरी बात यह भी है कि जो चार जिले हैं उनमें बहुत कुछ रा-मैटीरियल भी पाया जाता है। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि जो बुन्देलखंड के चार जिले रह जाते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित कर लेना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बुन्देलखंड के लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा--- उन बुन्देलखंडियों के लिये जिन्होंने अन्तिम वक्त तक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ा। इसलिये उन्हें जहां भी वे रक्खा जाय एक साथ रक्खा जाय।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर और पूर्व का प्रश्न बजट की तरह छिड़ गया है। मैं नहीं चाहता कि पूर्व और पश्चिम के चक्कर में हम इस कमीशन की रिपोर्ट को डाल दें। मेरा तो यह विचार है कि हम मिल करके कोई ऐसी बात करें जिससे हमारा उत्तर प्रदेश जैसा है वैसा तो बना ही रहे लेकिन अगर हमको कुछ एडजेसंट एरियाज मिल सकते हैं तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिये बहुत अच्छा होगा और इस एरिया के मिलने से कोई बड़ा अन्तर भी नहीं पड़ता है। ये चार जिले भिंड, मुरैना, गिर्द और शिवपुरी हैं। इनका एरिया १२,२०२ वर्ग मील है और आबादी २१,६७,९५० है और जो विन्ध्य प्रदेश है इसका क्षेत्र २३,६०३ वर्ग मील है और आबादी ३५,७४,६९० है। अगर इस एरिया को मध्य प्रदेश से घटा कर उत्तर प्रदेश में जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्षेत्रफल जो उत्तर प्रदेश का १,१३,४१० वर्ग मील है उसमें ३५,८०५ वर्ग मील जोड़ देने से १,४९,२१५ वर्ग मील हो जाता है और आबादी जो ६ करोड़ ३२ लाख है उसमें ५७,४२,६४० और जोड़ देने से इसकी आबादी ६,८९,४२,६४० हो जाती है और जो मध्य प्रदेश की आबादी और क्षेत्रफल है वह इस हिसाब से कम हो जाता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल एक लाख ४० हजार ८ सौ १४ वर्ग मील और जनसंख्या २ करोड़ १० लाख ८ हजार ११७ रह जाती है। इस प्रकार यह प्रोपोर्शनेट हो जाता है क्योंकि इसमें जैसा मैंने पहले बताया कमीशन ने कोई ऐसी कसौटी नहीं रखी है कि किसी स्टेट की अधिक से अधिक कितनी जनसंख्या होनी चाहिये और कितना क्षेत्रफल होना चाहिये। हम देखते हैं कि कमीशन ने जो सिफारिश की है उसमें मध्य प्रदेश एक हाथी स्वरूप बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश शेर की तरह डटा है और दूसरी ओर विदर्भ एक चूहे की तरह बैठा दिया गया है। इस तरह से जब मध्य प्रदेश का इतना बड़ा क्षेत्रफल हो सकता है तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी यह जिले मिलाये जा सकते हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि राजा साहब का जो संशोधन है वह स्वीकार हो जाना चाहिये।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)---मैं एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। चूंकि बोलने वाले माननीय सदस्य बहुत ज्यादा हैं इसलिये मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि दस मिनट का समय हर सज्जन के लिये कर दिया जाय और ६ बजे तक आज सदन बैठे।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---मैं प्रथम खंड का तो विरोध करता हूं लेकिन दूसरे का समर्थन करता हूं कि आज हाउस का समय ६ बजे तक कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है, आज सदन ६ बजे तक बैठे इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

श्री केशवगुप्त--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय सरदार पटेल ने इस बिखरे हुये भारत को एकता के सूत्र में बांध कर हमारी आजादी को आभूषित किया और उसको चार चांद लगाये। इसके लिये देश का प्रत्येक व्यक्ति और देश का प्रत्येक अणु और कण उनका आभारी है। स्वर्गीय सरदार के इस महान् प्रयास को सुदृढ़ बनाने के लिये और देश की एकता की रक्षा करने और उसको बनाये रखने के लिये प्रयत्न करना हमारा परम कर्त्तव्य है। इसके लिये आवश्यकता थी और आवश्यकता है कि हम अपने आर्थिक और सामाजिक ढांचे को नये रूप से निर्माण करते और ऐसा नया ढांचा और व्यवस्था कायम करते, जिससे कि ऊंच और नीच का, छोटे और बड़े का, अमीर और गरीब का भेद भाव दूर होकर हमारे बीच में एक वर्गहीन समाज कायम होता जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल सकता। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुये अपने जीवन को सुख और शान्ति से बिता सकता। यह एक महान् प्रयास है और कठिन प्रयास है क्योंकि इसके लिये तो हमें एक नये समाज का निर्माण करना होगा, एक नयी इन्सानियत को अपने देश में जीवित करना होगा। हमने इस प्रयास को करने का, इसके महान् और कठिन होते हुये भी, संकल्प किया है और हम इस संकल्प की ओर बढ़ने वाले ही थे कि राज्य पुनर्संगठन कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने एक चट्टान के रूप में आकर खड़ी हो गई और इसने तमाम हमारे मार्ग को ओझल कर दिया। जिस वक्त यह आयोग नियुक्त हुआ था, उस समय हमने देश के तीन महान् व्यक्तियों को, जिनकी ईमानदारी और वफादारी में हमें विश्वास था, मुकर्रर किया था और यह आशा की जाती थी और हम ठीक तौर पर आशा करते थे कि जो निश्चय होगा वह पंच फैसले के रूप में देश को मान्य होगा। लेकिन इस रिपोर्ट के निकलने के बाद जो वातावरण देश का बिगड़ा और जो टेंडेंसी यहां उभरी उससे हमारी जितनी आशायें थीं वह निराशा में परिवर्तित हो गयीं, और हमें यह प्रतीत होने लगा कि अगर यह आयोग न बैठता तो वह देश के हित में होता। परन्तु जब कि रिपोर्ट निकल चुकी और अब वाद विवाद भी हो रहा है, मैं रिपोर्ट के दूसरे भागों को छोड़ कर समय के अभाव के कारण, छोड़ देता हूं केवल जितना उसका उत्तर प्रदेश से सम्बन्ध है उस पर ही विचार करना उचित समझूंगा। मैंने भी कुछ पोलिटिकल साइंस का अध्ययन किया, और हमारे दूसरे वक्ताओं ने भी किया है और जो लोग कि हमारे इस प्रदेश के विभाजन के हक में हैं उन्होंने भी इस बात को माना कि किसी देश या प्रदेश के विभाजन के लिये या नया बनाने के लिये यही आधार होते हैं--संस्कृति, उस देश की भाषा और उसकी भौगोलिक परिस्थिति। जो विभाजन के हक में हैं, वह भी इस बात को मान चुके, दीनदयालु शास्त्री जी भी इस बात को मान रहे हैं, गौतम जी भी मान रहे हैं और रावत जी भी मान चुके कि इन तीनों वैज्ञानिक आधारों के सहारे हमारे उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हो सकता बल्कि अगर इन तीनों को मान कर हम प्रदेश का निर्माण करें तो १५ करोड़ के लगभग का, ३६ करोड़ की आबादी में १५ करोड़ की आबादी का एक सूबा हमारा बनता है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, अम्बाला डिवीजन और बिहार को भी अपने अन्दर समावेश करता है। और मुझे कोई दुःख भी नहीं होगा अगर ऐसा सूबा बन जावे क्योंकि अगर रूस के अन्दर ११ करोड़ का एक यूनिट हो सकता है, चीन के अन्दर जहां कि आबादी ५० करोड़ के करीब है, वहां १ यूनिट हो सकता है, और वह उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है तो १५ करोड़ का सूबा हमारे यहां न हो सके, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। परन्तु चूंकि वातावरण ऐसा नहीं था, देश की एकता इस बात का तकाजा नहीं करती थी इसलिये आयोग के व्यक्तियों ने ऐसी सिफारिश नहीं की। यह ऐसे समय में ठीक ही किया। लेकिन जबकि हम यह मान चुके कि वैज्ञानिक ढंग से जो आधार उत्तर प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में हो सकता था वह तो मौजूद नहीं, तब दूसरे आधारों का आश्रय लेना पड़ रहा है यह बात कही गयी कि पश्चिमी जिलों की उपेक्षा की गयी और वहां पर उन्नति नहीं की गयी और इस कारण से हमें विभाजन करना आवश्यक है और विभाजन हो जाना चाहिये। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं कि पश्चिमी जिलों की उपेक्षा की गयी, लेकिन अगर मान लीजिये

[श्री केशव गुप्त]

थोड़ी देर के लिये कि उपेक्षा की गयी तो इसके लिय कौन जिम्मेदार है ? आज कैबिनेट में ११ मेम्बरों में से ५ मेम्बर पश्चिमी जिलों के मौजूद हैं, और पिछले जो मुख्य मंत्री थे वह भी पश्चिमी जिलों से सम्बन्ध रखते थे। यदि श्री सी० बी० गुप्त, जो कि अपने को अलीगढ़ का बतलाते हैं, उन्हें शामिल कर लें तो ११ में से ६ मंत्रिगण पश्चिमी जिलों के मौजूद हैं। १२ में से ६ उपमंत्री वेस्टर्न जिलों से संबंध रखते हैं और जो चार पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं, उनमें से ३ वेस्टर्न जिलों से सम्बन्ध रखते हैं। अगर इतने व्यक्तियों के होते हुए भी जिनके ऊपर शासन का भार है और जो प्रदेश की नीति को चलाते हैं, पश्चिमी जिलों की उपेक्षा हुई तो उसका कसूर किस पर है ? उस का कसूर हम पर है जिन्होंने इन को प्रतिनिधि के रूप में माना हुआ है। लेकिन मैं तो यह नहीं मानता कि कोई उपेक्षा हुई, बल्कि मैं तो मानता हूं कि किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि हमारी उपेक्षा करने की क्षमता रख सके या उपेक्षा कर के रह सके। केवल हमारे दृष्टिकोण में भेद है। हम प्रतिनिधियों को चूंकि प्रदेश को देखने का मौका नहीं मिलता और एक एक सीमित क्षेत्र से आते हैं, हमारी दृष्टि सीमित रहती है क्षेत्र तक ही और जो हमारी कैबिनट में मेम्बर्स होते हैं, चूंकि उनके सामने सारे सूबे की दृष्टि होती है, उनकी दृष्टि विस्तृत रहती है और उस विस्तृत दृष्टि से वह सारे सूबे को देखते हैं और हम सीमित दृष्टि से देखते हैं। इसलिये थोड़ा-सा विरोधाभास होता है। इसलिये मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं कि उपेक्षाभाव से हमारे पश्चिमी जिलों को देखा गया और यह कोई कारण विभाजन का हो भी सकता है।

यह कहा गया कि दक्षिण के लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उत्तर प्रदेश इतना महान देश उनके ऊपर प्रभुत्व करता है, उनको डामिनेट करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो यह बात कही जा रही है और दूसरी ओर से यह बात कही जा रही है वह भी हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वालों की तरफ से कि उत्तर प्रदेश इतना विशाल है और विशाल होने के कारण वह अपने हकों को केन्द्र से नहीं पा सकता और उसको जितना हक मिलना चाहिये उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए उसको छोटा हो जाना चाहिये। ये दो कारण जो उत्तर प्रदेश को छोटा होने के लिए पुटअप किये जाते हैं उनमें बहुत बड़ा विरोधाभास है और इससे पता चलता है कि दोनों कारण भी सत्य नहीं हैं और उनमें कोई तथ्य नहीं है। अगर हम यह बात मान भी लें कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की उपेक्षा की गयी, ऐडमिनिस्ट्रेशन में इनएफिशिएंसी है और भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा भाषा के ऐसे आधार विद्यमान हैं जिससे उत्तर प्रदेश का बटवारा हो जाना चाहिए तो तब भी मैं यह कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर एक ऐसा विशाल गुण मौजूद है जिससे उत्तर प्रदेश अविभाज्य रहना चाहिये, उसका विभाजन नहीं होना चाहिये और वह है उत्तर प्रदेश की उदारता और उसकी विशाल-हृदयता। क्या हम आज देश के चारों तरफ नहीं देखते कि पंजाब पंजाबियों के लिए है, बंगाल बंगालियों के लिए, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियंस के लिए, मद्रास मद्रासियों के लिए, उड़ीसा उड़ीसा वालों के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश किनके लिए ? उत्तर प्रदेश उनके लिये है जो कि उत्तर प्रदेश में आते हैं, यहां पर बसते हैं और यहां के जलवायु से लाभ उठाते हैं। "प्रत्यक्षं किम् प्रमाणम्"? इसी हमारे भवन में आप देखें कि एक तरफ हमारे पुलिन दादा हैं तो दूसरी तरफ नरदेव गुरु हैं। एक तरफ हमारे दीनदयालु शास्त्री हैं और ठाकुर फूलसिंह हैं जो कि पंजाब से आते हैं और हमारी प्रकाशवती सूद हैं जो कि लुधियाने से आती हैं। यहां हमारे सरदार शिव मंगलसिंह कपूर हैं जो कि प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं और हम उनमें और अपने में कोई मतभेद नहीं समझते। उनको भी हम वैसा ही नागरिक समझते हैं जैसा कि उत्तर प्रदेश के रहने वालों को समझते हैं। यह दूसरी बात है कि सरदार भाई कभी समय के वशीभूत होकर ऐसी बात कह देते हों जिससे वह अपने व्यक्तित्व को अलग बनाने की बात करते हों, लेकिन हम उनको एक मानते हैं और मानते रहे हैं। इसी उदारता का यह कारण है कि यद्यपि हमारे प्रतिनिधि केन्द्र में ज्यादा हैं, और जन-गणना के अनुसार लोक सभा और राज्य सभा में भी हमारे प्रतिनिधि ज्यादा

हैं, लेकिन हमारा विशाल हृदय है और उसके कारण हम इस बात की वहां कोशिश करते हैं कि हम अपने दूसरे भाइयों और दूसरे प्रदेशों को उदारता की दृष्टि से देखें। जैसे एक घर का बड़ा आदमी अपने छोटे भाइयों और बच्चों को खिला कर आनन्दित होता है और संतोष का अनुभव करता है उसी प्रकार से हम वहां विशाल हृदयता से काम करते हैं, पहले छोटों को जो कमजोर हैं, उनको बराबर में लाने की चेष्टा करते हैं क्योंकि हम यह समझते हैं कि उनकी कमजोरी हमारी कमजोरी है। इसलिये मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब हमारी यह विशाल हृदयता है तो यही इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश विभाजन के योग्य नहीं, न वह विभाजित होना चाहिये और न किसी में शक्ति है कि उसको विभाजित कर सके।

यहां पर कुछ ऐडमिनिस्ट्रेशन की बातें भी कही गयीं। मैं मानता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में कमजोरी है, यही नहीं, सारे देश में कमजोरी है। देश में भ्रष्टाचार भी है। यह कह देना कि छोटे प्रदेश का प्रबन्ध अच्छा हो सकता है यह भी सही नहीं है। कल ही मेरे एक महानुभाव ने कहा कि दिल्ली का प्रबन्ध देख लीजिये, वह कौन-सा अच्छा है, अजमेर का प्रबन्ध देख लीजिये, वह कौन-सा अच्छा है। इसलिये छोटा और बड़ा होना एफिशियन्सी का सबूत नहीं हो सकता है। आज अगर गरीबी है तो सारे देश में गरीबी है, आज अगर बेकारी है तो सारे देश में बेकारी है। इसलिये मैं अपने भाई श्रीचन्द जी और अपने भाई अतहर साहब से यह विनय पूर्वक विनती करूंगा कि वे इस बटवारे वाले पचड़े को छोड़ दें और समाज के नये ढांचे को बनाने की चेष्टा में लग जायं जिससे हम, आप सब का उत्थान हो और हमारे सब भाग उन्नति कर सकें। जंजीर की जो मजबूती है वह उसकी सबसे कमजोर कड़ी से नापी जाती है। अगर कोई भी कड़ी कमजोर रहती है तो सारी जंजीर कमजोर रहती है। याद रखिये, जब तक आप अपने देश के वातावरण को ठीक नहीं करते, समाज के ढांचे को ऊंचा नहीं बनाते, वर्गहीन समाज की स्थापना नहीं करते उस समय तक यह आशा करना कि हमारे देश से भ्रष्टाचार दूर हो, हमारे देश से जातीयता और साम्प्रदायिकता का नाश हो, हमारे देश से धर्म-धर्मान्तरों का नाश हो यह एक झूठी आशा करना है। इसलिये मैं सब भाइयों से जो यहां बैठे हैं, निवेदन करूंगा कि इस बटवारे के प्रश्न को थोड़ी देर के लिये आंखों से ओझल कर दें। इस प्रश्न को लाकर ऐसा मालूम होता है कि हम अपने संविधान को भी भूल बैठे। हमारा संविधान ऐसा नहीं जैसा कि रूस का संविधान है। रूस के संविधान में तो सब यूनिट्स स्वतंत्र हैं वे जब चाहें अपने को संघ से अलग कर लें। लेकिन हमारे यहां यूनिट्स को यह स्वतंत्रता नहीं है। इसलिये हमारे यहां अगर आयोग बैठा था तो वह रिआर्गेनाइजेशन के लिये बैठा था, रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिये नहीं। लेकिन अब तो यह मालूम होता है कि प्रत्येक सूबा यह समझ रहा है कि वह एक इंडिपेंडेंट हैसियत से इस संघ का यूनिट है। इसलिये हमारी आंखों से रिआर्गेनाइजेशन का प्रश्न ओझल हो गया। इसी वजह से आज हमारा वातावरण विषाक्त हुआ। इसलिये मैं अपने सब भाइयों से प्रार्थना करूं कि इस प्रश्न को आंखों से ओझल कर दें। जो सबसे पहला प्रश्न है वह यह है कि जब तक आप अपने सामाजिक ढांचे को ऊंचा नहीं करेंगे, जैसा कि परसों गेंदासिंह जी ने कहा था और जब तक आप अपने साधनों को नहीं जुटायेंगे तब तक आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, नहीं मालूम कितने टुकड़े देश के हो जायं, ऐसी मुझे आशंका है। लेकिन अगर आपका आर्थिक और सामाजिक ढांचा ऊंचा होगा और हर व्यक्ति की आवश्यकतायें पूरी हुईं और हर एक को सुख और शांति मिली तो याद रखिये ये सब प्रश्न पीछे पड़ जायेंगे और हम सब एक साथ रह कर सुख और शांति से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा सुनहरा मौका आपके जरिये इस हाउस को कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने का मिला है। सूबों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता को देखते हुये एक कमीशन की नियुक्ति हुई और वह रिपोर्ट आज इस सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है। अब हमें देखना है कि देश की सुरक्षा, एकता और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयपाल सिंह]

देश की शक्ति बनी रहनी चाहिये तो फिर ऐसे कमीशन की आवश्यकता है या नहीं। लेकिन यह एक माना सिद्धान्त है और बहुत दिनों से पहले इस बात को मान लिया है और संविधान ने भी स्वीकार किया है कि देश का ऐसे सूबों में बटवारा किया जाय जिससे वहां के रहने वाले लोगों की तरक्की के लिये, इंतजाम के लिये, बेहतरी के लिये, माली हालत को अच्छा करने के लिये अधिक सुविधायें और साधन उपलब्ध हों।

अब सवाल रह जाता है कि जहां दूसरे सूबों का बंटवारा वहां की जुबान, तहजीब और तमद्दुन और रस्मो रिवाज को देखकर किया गया है वहां हमारा उत्तर प्रदेश अंग्रेजी जमाने से नहीं बल्कि पहले से ही ऐसी परिस्थितियों से गुजरता हुआ आया है। आज से साढ़े तेइस सौ वर्ष पहले हिन्दुस्तान की हिस्ट्री को यदि देखें तो मालूम होगा कि हिन्दुस्तान के सिर्फ उस समय ५ हिस्से थे यानी सारा हिन्दुस्तान केवल ५ सूबों में बंटा हुआ था। तो ऐसी अवस्था में हम यह कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान के वही हिस्से होने चाहिये, ज्यादा की जरूरत नहीं है, और हो सकता है कि हमारे पूर्वज ज्यादा योग्य रहे हों और वह इंतजाम कर सकते रहे हों। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गयीं देश का विभाजन होता गया और आज हमार सामने विभाजन की समस्या है। हम नये सिरे से आजाद हुये हैं और हमें देखना है कि हमारा निजाम कैसे बेहतर और खूबसूरती से चल सकता है। यह समस्या हमारे सामने है। ऐसी अवस्था में जब उत्तर प्रदेश का सवाल उपस्थित होता है तो एक भाषा के रहते हुये हम कह सकते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और अम्बाला डिवीजन तथा देहली के आसपास के कुछ जिलों को मिलाकर एक भाषा-भाषी प्रांत बना दिया जाय। लेकिन ऐसी बात नहीं सोची गई कि एक भाषा-भाषी प्रांत होना चाहिये लेकिन सोची यह बात गई है कि किस खूबसूरती के साथ इन्तजाम किया जा सके और वह दृष्टिकोण हमारे सामने है।

अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें विन्ध्य प्रदेश का हिस्सा मिलाने की बात उन्होंने रखी है। कई एक सदस्यों ने भी उसको मिलाने की मांग की है। झांसी के पास के ८ जिलों को मिलाने के लिये मांग की है। तो ऐसी अवस्था में यह प्रदेश बढ़ाया जाय यह मांग की गई है। हमारे श्रीचन्द्र जी ने अम्बाला डिवीजन, दिल्ली तथा पेप्सू से महेंद्रगढ़ आदि लेकर पश्चिमी जिलों को मिलाकर एक सूबा बनाने की मांग की है। मैं कह सकता हूं यह एक इकाई रह सकती है और यह होना नामुमकिन नहीं है जिन्होंने तस्लीम किया है कि यह हिस्सा मिला दिया जाय यदि इसको कबूल कर लिया जाय तो यह ठीक है वरना यह बंटवारा होना लाजमी है, निश्चित है। आज नहीं तो कल यानी एक न एक दिन होना है। ऐसी अवस्था में सवाल यह रह जाता है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के दोष देखे जायं तो हम कह सकते हैं कि आज यदि सही रूप में डेमोक्रेसी को कायम करना है तो जितनी छोटी इकाई होगी उतनी ही अच्छी और मजबूत डेमोक्रेसी होगी और राजनीतिक सिद्धांत भी यही है कि जितनी छोटी इकाई होगी उतना ही अच्छा इन्तजाम हो सकेगा। इससे वहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है और सही इन्तजाम हो सकता है। हमारे मंत्री लोग जो यहां के रहने वाले हैं वह क्या इस सूबे की सब तहसीलों में पहुंच चुके हैं, क्या वह सूबे के सब गांवों का दौरा कर चुके हैं, वहां की हालत देख चुके हैं कि वहां क्या हालत है, कैसे लोग रहते हैं और कैसे उनकी तरक्की की जा सकती है। मैं यह कह सकता हूं कि यहीं तक नहीं, हमारे जो सदन के सदस्य हैं वह भी नहीं जानते हैं कि कितनी तहसीलें हमारे प्रांत में हैं सिवाय इसके कि हम अपनी अपनी कांस्टीट्यूयेंसी में ही जायं और देखें। वास्तविकता तो यह है कि सारे सदस्य वहां के भी प्रत्येक गांव तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी हालत में मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा अपना सूबा होने के कारण हर जगह हमारे अफसरान का पहुंच पाना नामुमकिन है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब हम वहां जा नहीं सकते और वहां की हालत देख नहीं सकते तो वहां का इन्तजाम क्या कर सकेंगे। इन्तजाम की हालत आज हमारे सामने है और हम देख रहे हैं कि कैसा इंतजाम हो रहा है। एक

आध साहब ने यह कहा और एक नहीं कई बार इस बात को दोहराया भी गया कि उत्तर प्रदेश का शासन बहुत ऊंचा रहा है। बाहरी मुल्कों के लोग भी ऐसा कहते हैं कि १९३७ से लेकर आज तक का यहां का शासन बहुत सुन्दरता के साथ चल रहा है, लेकिन आज एक उदाहरण मौजूद है कि जो बताता है कि यहां का शासन कैसा है। बाराबंकी जिले में एक पब्लिक मीटिंग में ५०० आदमियों ने एक आदमी को कत्ल करने के लिये हमला किया और वे उसको कत्ल कर डालते हैं। एक दूसरे आदमी को, जो उसका बचाने वाला था, वे इतना मारते हैं कि वह किसी काबिल नहीं रहता और फिर उसे ले जाकर जिन्दा जला डालते हैं। इस बात की चरचा जहां होती है तो वहां इस बात का कोई यकीन नहीं करता। लोग कहते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ है। जो बाहरी राजदूत हमारे देश में हैं उनके दिमाग में भी यह बात नहीं आती है कि इतनी सुन्दर व्यवस्था में ऐसा कैसे हो पाया। यह बात एक ही जगह नहीं बल्कि मैं तो कह सकता हूं कि हालत यहां तक पहुंच गई है कि हमारे मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज इंतजाम नहीं कर सकते हैं। कारण यह है कि एक ऐसा माहौल बन गया है कि जो उनके बस के बाहर हो गया है, वह ठीक अप्रोच नहीं कर पाते। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो शासन में, उसकी प्रणाली में कमियां हैं उनको दूर होना चाहिये और वह नहीं हो रही है।

हमारे बहुत से सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां प्रांतीयता नहीं है। अगर प्रांतीयता नहीं है तो जातिवाद (रेशनलिज्म) यहां मौजूद है। माननीय हुकुम सिंह जी यहां बैठे हैं। जब वे हमारे यहां एक गांव में राजपूत हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन करने गये थे तो वहां एक राजपूत लड़के ने एक हरिजन औरत को इतना मारा था कि वह खून से लथपथ थी। वहां के कलेक्टर डी० डी० शाही और ठाकुर फूलसिंह जी वहां मौजूद थे। उसकी तरफ जब उनकी तवज्जह दिलाई गई तो उन्होंने देखा तक नहीं और एक तरफ को चल दिये। तो यह हालत है हमारे समाज की कि वह दूसरे के दुख को दुख नहीं समझता, दूसरे की तकलीफ को तकलीफ नहीं समझता। आप यह कह सकते हैं कि आपके यहां प्रांतीयता नहीं है। लेकिन उसकी जगह आपके यहां जातिवाद है और वह बढ़ता जा रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। मैं तो आज यहां तक कह सकता हूं कि आज कांग्रेसमैनों का भी ऐसे तत्वों से संबंध है कि जो सांप्रदायिकता में विश्वास रखते हैं, जो जातिवाद में विश्वास रखते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो हुकूमत करने वाली पार्टी है उसका भी जब यह हाल हो गया है और उसकी भी जब ऐसी अवनति हो गई है तो यह हमारी शासन-प्रणाली कैसे सुरक्षित रह सकती है। आज हमारे सामने देश और सूबे की सुरक्षा का सवाल है। अगर हमारे सूबे की सुरक्षा खतरे में है और हम देखते हैं कि हमारा शासन अच्छी तरह से नहीं चल सकता है तो ऐसी अवस्था में हमें कहना पड़ेगा कि व्यक्ति की एक सीमित शक्ति होती है। वह अपनी ताकत भर ही काम कर सकता है। अगर इतने योग्य व्यक्ति होते हुये भी इतने बड़े प्रांत पर ठीक से शासन नहीं कर पाते तो हमें यह कहना पड़ेगा कि इसके एरिया को कम कर दिया जाय ताकि हम छोटे एरिया में कामयाबी के साथ शासन कर सकें। इसके लिये जरूरत इस बात की है कि इस प्रदेश के दो हिस्से बनाये जायं और दो हिस्से उस प्रकार बनाये जायं जैसा कि श्री श्रीचन्द्र जी ने सुझाव दिया है। मैं उनके प्रस्ताव की ताईद करता हूं। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह हिस्से मिला दिये जायं, उससे मुझे कोई उज्र नहीं है। वह जरूर मिलाये जायं लेकिन जो झांसी के इर्द गिर्द के हिस्से हैं, उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि वह कुछ अम्बाले का जिला, करनाल का जिला और उत्तर प्रदेश के १६ जिले मिलाकर एक प्रांत बना दिया जाय। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि हमारी सुरक्षा कायम रहेगी और धनदौलत भी बढ़ेगी और हमारी एकता भी कायम रहेगी उसमें किसी प्रकार से कमी नहीं आयेगी।

आज यह कहा जाता है कि हमारी आर्थिक अवस्था किसी हद तक कमजोर हो जायेगी। जब हम दो-तिहाई हिस्से को पैसा दे सकते हैं तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि चन्द जिलों को मिला कर हम पैसा नहीं दे पायेंगे। आज भी जो हमारे पूर्वी जिले हैं उनसे टैक्स १ रुपया फी आदमी लिया जाता है और पश्चिमी इलाके से १।। रुपया फी आदमी टैक्स लिया जाता है। लेकिन आप खर्चे को देखिये कि उतना खर्च नहीं होता है। हम वहां पर खर्च कर सकते हैं तो जब यह जिले

[श्री जयपाल सिंह]

मिल जायेंगे तो इनका खर्चा भी हम चला सकते हैं। हम अपन नजदीक के लोगों के लिये खर्च नहीं कर पायेंगे यह नामुमकिन बात है। आज हमारे सामने सवाल आता है कि विभाजन नहीं हो सकता है और उसमें बड़ी कठिनाइयां हैं। लेकिन हमने देखा कि रोजमर्रा हर चीज का विभाजन होता है। एक परिवार में एक भाई अगर पहलवान है, वह अगर यह कहे कि वह अपने कमजोर भाई को दूध नहीं देगा और सब अपने आप ही पियेगा या कमजोर भाई कहे कि वह सब पियेगा पहलवान भाई को नहीं देगा तो यह चलने वाली बात नहीं है। दोनों को बराबर मिलेगा तो उचित यही कहा जायगा। इसी प्रकार से अगर आप पच्चिमी जिलों की अवहेलना करें तो मैं यह समझता हूं कि यह अननेचुरल बात है और यह नहीं हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चहता हूं कि जहां तक सोशल और कल्चर की यूनिटी का सवाल है वह हमारे सामने है, उस प्रांत का जो नकशा बनाया गया है वह तो नकशा ऐसा बनाया गया है कि वहां की रहन-सहन और उसमें कोई अन्तर नहीं आता है। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि पच्चिम के किसान को आप देखिये जो कभी बाहर नहीं गया है और उसके साथ आप पूर्व के किसान को बैठा दीजिये और उनको बातें आपस में करने दीजिये। अगर वह अपनी आपस की बातें समझ लें तो मैं समझ लूंगा कि उनका रहन-सहन एक और उनकी भाषा एक है किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है।

इसी तरीके से शासन प्रणाली की बात है। जब हमारे सामने ट्रांसफर का प्रश्न आता है तो कहा जाता है कि जो जहां पर रहता है उसको वहीं पर रहना चाहिये। ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि जब उनकी यह हालत है तो इससे हमारे प्रांत को एक सुविधा होगी और मैं तो यह कहता हूं कि हमारे इस डिवीजन से देश की एकता और बढ़ेगी और इसमें मजबूती आयेगी और कोई भी इस तरीके की बात पैदा नहीं होगी जिससे यह समझा जाय कि देश कमजोर होगा और वह मजबूत नहीं होगा। करीब ३ करोड़ की आबादी का यह प्रांत बनेगा। मैं यह नहीं कहता कि मध्य प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश होगा उसमें से कुछ हिस्सा देने की बात की जाय ताकि वह इतना बड़ा प्रदेश न रह जाय। तो ऐसी हालत में म यह निवेदन करूंगा कि यह इस तरीके से सोचने की बात है। मध्य प्रदेश जो है वह बड़ा है और उनके बड़े होने की वजह से उसमें से कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय तो यह संभव हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की यह समस्या है इस पर ठंडे दिल से विचार करने की बात है और हमको इस पर ठंडे दिल से विचार करना पड़ेगा। आज हालत यह हो गयी है कि हमारे यहां जनता अन्दरूनी सुरक्षा नहीं महसूस कर रही है और एक तरीके से यह अन्दर आग सुलग रही है। अगर प्रदेश की सुरक्षा करनी है तो अन्दरूनी आग को बुझाना होगा। आज हालत यह हो गयी है कि हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। गांवों की हालत यह हो गयी कि कोई सुरक्षा का अनुभव नहीं करता है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, जो स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट आज इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है और जिस पर माननीय मुख्य मंत्री और सदन के सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं उसके विषय में सदन में काफी विचार-विनिमय हुआ है। सदन के बहुत से सम्मानित सदस्यों ने जिस तरह से के० एम० पणिक्कर के ऊपर अपना क्रोध प्रकट किया है उसको भी सुनने का मुझे मौका मिला। मैं श्रीमन्, यह समझ सकने में असमर्थ रहा हूं माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव को देखकर कि और उनके तर्क को सुनकर कि क्यों उत्तर प्रदेश का रिआर्गेनाइजेशन न किया जाय। हमने श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी के जितने तर्क देखे उनमें मुझे कोई भी मौलिकता प्रतीक नहीं हुयी जिससे यह बात समझ में आती कि उत्तर प्रदेश का पुनस्संगठन क्यों न किया गया। श्रीमन्, मैं एक वाक्य में अपनी इस भावना को अवश्य कह देना चाहता हूं कि यदि मेरा वश चले तो जो यह रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पर बहस करने की तकलीफ किसी को न दूं। क्योंकि ये तीनों सम्मानित सदस्य, श्री फजले अली, श्री हृदय नाथ कुन्जरू और श्री पणिक्कर विद्वान् हैं और अनुभवी भी हैं। मगर इस सारी रिपोर्ट को देखने के बाद, श्रीमन्, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि इस तरह की रिपोर्ट इस सदन में

प्रस्तुत न होती तो अच्छा था। इस रिपोर्ट में मौलिकता कुछ भी नहीं है और न कहीं ब्रेन टेक्स किया गया है। कौन-सी बात इसमें नयी निकाल कर रख दी गयी है? केवल इधर-उधर बाउन्डरी ऐडजस्टमेंट की सिफारिश कर दी गयी है और देश की सुरक्षा कैसे हो, देश की समृद्धि कैसे हो, देश अच्छी तरह से विकसित कैसे हो इन तमाम बातों के ऊपर कहीं भी रोशनी नहीं डाली गयी है।

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि जिस तरह से स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट है, कुछ बाउन्डरी ऐडजस्टमेंट के साथ वे उसे मानने को तैयार हैं। क्यों? केवल एक तर्क है, श्रीमन्, कि सूबे को फिर से रिआर्गेनाइज न किया जाय, चूंकि जब एक चीज बन गयी है तो फिर उसको पुनर्संगठित करने में हो सकता है कि दिक्कत पेश हो, परेशानी आये। इसलिये जब वह बना हुआ है तो हमें उसी को लेकर चलना चाहिये। इस तर्क को तो मैं समझ पाता हूं लेकिन यह कह देना कि माननीय पणिक्कर ने जितनी बातें अपनी रिपोर्ट में लिखी हैं वे सब हवाई हैं, मैं समझता हूं कि यह अपनी बुद्धि के साथ धोखा करना है श्रीमन्, मुझे ज्यादा खुशी है कि इस सम्मानित सदन में साढ़े तीन वर्ष तक जिन तर्कों को मैंने प्रस्तुत किया आज उन तर्कों का सहारा बहुत से माननीय सदस्यों ने लिया है। क्या यह असत्य है श्री पणिक्कर का कहना कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की कमी है? यह सत्य है। क्या श्री पणिक्कर का यह कहना असत्य है कि यहां ऐडमिनिस्ट्रेशन और ला एन्ड आर्डर मेनटेन करने का जो तरीका है उससे अच्छा दूसरे सूबों में ला ऐन्ड आर्डर मेनटेन हो रहा है और कम खर्चे में हो रहा है? श्रीमन्, उनका कहना यह है कि यहां सोशल वेलफेयर पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वह बहुत कम है। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल सत्य है कि दूसरे सूबों के मुकाबिले में सोशल वेलफेयर पर उत्तर प्रदेश में कम खर्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश का ऐडमिनिस्ट्रेशन अन्य सूबों की बनिस्बत खराब है। शिक्षा की व्यवस्था जो किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिये सबसे बड़ी चीज कही जा सकती है, हमारे यहां शिक्षा की कमी है। फिर माननीय परिपूर्णानन्द जी ने दूसरी बात कह दी कि खाद्य में हमारे प्रदेश ने बड़ी तरक्की की है यदि सन् १९४९ के आंकड़े को आधार मान कर देखा जाय। मैं उनके आंकड़े को भी गलत समझता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि श्रीमन् कि सरकारी किताबों में जो विभिन्न अवसरों की रिपोर्ट है अगर उनके आधार पर आंकड़े प्रस्तुत करें तो सारे के सारे आंकड़े सरकारी तर्क से ही कटते चले जाते हैं। देखा यह जाना चाहिये कि रिआर्गेनाइजेशन होना आवश्यक है या नहीं आवश्यक है। श्रीमन्, माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जो तर्क दिया उनकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं जो उन्होंने सौ और डेढ़ सौ वर्ष की बात कह दी। अगर हम बुनियाद में जाना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि राम और कृष्ण को क्यों अलग किया जाय? अयोध्या और मथुरा को क्यों अलग किया जाय? काशी और हरद्वार को क्यों अलग किया जाय? नरदेव शास्त्री जी ने जो तर्क दिया उसको भी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था मगर हमको प्राचीन इतिहास की तरफ देखना चाहिये। मसलन चाहे संस्कृति को लें, चाहे कल्चर को लें, चाहे सभ्यता को ल, आज कृष्ण की संस्कृति, कृष्ण का कल्चर उत्तर प्रदेश के तमाम पश्चिमी जिले से लेकर क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश तक नहीं है? क्या बिहार तक नहीं है? क्या राम का प्रभाव क्षेत्र बिहार और इस प्रदेश में सबमें नहीं है या श्रीकृष्ण का प्रभाव क्षेत्र मध्य भारत या राजपूताना व और प्रदेशों तक नहीं है? तो यह भी आधार माना जा सकता है तो इस आधार पर फिर जाने की क्यों कोशिश नहीं करते? मैं कहता हूं कि जाना चाहिये और अध्यक्ष महोदय, मैं तो सुझाव दूंगा कि इस बात की आवश्यकता है कि पुनः कोई अच्छी कमेटी बैठे और वह अच्छी तरह से तमाम समस्याएं, जो इस समय खड़ी हो रही हैं उन पर विचार करे और उनका समाधान करे और मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट बिलकुल अधूरी है और इसमें देश की और समाज की, आज की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है और न उस ओर कोई प्रयत्न है।

जो बटवारे की बात कही गयी मैं उसके लिये बटवार शब्द का प्रयोग नहीं करता और पश्चिम के जो मित्र बटवारे की बात करते हैं उनसे मैं कहूंगा कि

[श्री राजनारायण]

वे भी "बटवारे" शब्द का प्रयोग न करें और इसको केवल रिआर्गेनाइजेशन कहें, यह केवल पुनर्संगठन है, और कोई बटवारा जैसे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का हुआ वह चीज नहीं है। देश के विकास के लिये, यहां की उन्नति और समृद्धि को ध्यान में रख कर अगर प्रदेश का पुनर्संगठन होना आवश्यक है, जिससे यहां की जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा होती हो, अधिक सामाजिक और आर्थिक उन्नति होती हो और सुरक्षा अधिक हो सकती हो और जनता अधिक आसानी के साथ अपने हितों को प्राप्त कर सके तो क्या यह गलत बात होगी? लेकिन मुझे दुख है कि इस रोशनी में विचार करने की कोशिश न तो कमेटी के सदस्यों ने की है और मुझे दुख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी नहीं करते और यहां के आफिशियल ग्रुप के लोग तरह-तरह से जायज और नाजायज तरीके से प्रदेश की अखंडता के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिये मैं कहूंगा कि गलत आधार, गलत बुनियाद से चीजों को बहुत दिनों तक नहीं देखा जा सकता, हमको सही तत्व को सामने रखना होगा। इस अवसर पर मैं एक प्रश्न और उठाना चाहता हूं और वह यह है कि क्यों स्टेट्स ही आवश्यक तौर पर रहें, अगर इस समय स्टेट्स को रिआर्गेनाइज करने की बात है तो वर्तमान स्टेट ही क्यों रहें, एक सेंटर रहे और छोटे-छोटे रीजन्स में देश को बांट दिया जाय और उनको एकोनामी आदि में पूरी आजादी दे दी जाय और वह अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सकें। क्या इस प्रकार की व्यवस्था इस समय नहीं हो सकती?

इस समय जो देश के मौलिक प्रश्न और समस्यायें हैं उनको तो इन कमीशन के सदस्यों ने छुआ तक नहीं, वह विद्वान हो सकते हैं, लेकिन विद्वता के यह अर्थ नहीं होते कि पुरानी किताबों को पढ़कर उन्हीं तक एक दायरे में अपने को सीमित रखा जाय, उनको नई आवश्यकताओं, नयी समस्याओं, सामाजिक, आर्थिक ढांचे को समझकर इस प्रश्न को देखना था। आखिर इतना पैसा खर्च हुआ। सारे देश का उस कमेटी ने भ्रमण किया और यह रिपोर्ट उसके फलस्वरूप हमारे सामने आयी। हम तो आशा करते थे कि नयी जिन्दगी देश को उससे मिलती, नयी परिस्थितियां सामने आतीं और उनका कुछ अच्छा समाधान बताया जाता, लेकिन न किसी विषय को उसमें पणिक्कर साहब जिनका बहुत चर्चा है उन्होंने, या श्री फजले अली साहब ने या श्री कुंजरू ने छेड़ा है और न उन समस्याओं को हल करने की कोशिश की है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो थोड़ी सी सीमा में हेर-फेर करने के बारे में कहा और दलीलें दीं उनको भी थोथी दलीलें कहा जा सकता है। उनको साफ कहना चाहिये था कि जिस तरह से रिपोर्ट पेश की गयी है उस रिपोर्ट से हमारे देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और हमको आज फिर से सारे देश की परिस्थिति का अध्ययन करने के लिये एक ऐसी प्रभावशाली कमेटी की स्थापना की मांग करना चाहिये कि जो नवीन जनतांत्रिक प्रणाली को सुचारुरूप से प्रतिष्ठित करने के लिए सुन्दर सुझाव दे सके और देश की सुरक्षा की गारन्टी जिसकी रिपोर्ट में रहे।

एक बात और कही गयी थी और जिम्मेदार व्यक्तियों की ओर से कही गयी थी कि इस रिपोर्ट को ज्यों का त्यों लागू कर दिया जायगा, लेकिन आज यहां वह भी नहीं किया जा रहा है, आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बैठकर कहती है कि बम्बई सिटी की अलग स्टेट बननी चाहिये। क्या तर्क है? क्यों बम्बई को अलग स्टेट बनावें, क्यों बम्बई महाराष्ट्र के साथ न जाय, क्या औचित्य है? कुछ नहीं केवल पावर पालिटिक्स। अपनी जगह पर अपना प्रभुत्व स्थित रहे, स्थायी रहे इसके फेर में पड़कर सारी बातें हो रही हैं।

जब आज एस० आर० सी० पर पुनर्विचार हो रहा है और उसमें रद्दोबदल हो रहा है तो जब तब्दीली हो तो अच्छी तरीके से विचार-विनिमय करके सारे देश के लिये क्यों न हो और क्यों न उसके लिये एक नई समिति बनायी जाय।

हमारे माननीय मित्र माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने एक प्रस्ताव पेश किया और अगर कोई यह कहता है कि उनके प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं है तो वह ठीक नहीं कहता बल्कि मैं तो कहता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के तर्क से माननीय वीरेन्द्र-शाह जी का तर्क बहुत ऊंचा है, इसलिये कि वे केवल विंध्यप्रदेश के उस

हिस्से को लेने का प्रयत्न कर रहे हैं जो इस प्रान्त के लिये लाभकर हो और एक ऐसे हिस्से का जो अविकसित है उसको छोड़ देना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को लकर आज मशविरा दे रहा है चाहे वह चीफ मिनिस्टर हो, चाहे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हों और चाहे एक्स मिनिस्टर हों। आज जब हम इतने बड़े प्रश्न का विचार कर रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि भावावेश में न आवें। स्टेट्स छोटे होकर भी रह सकते हैं और बड़े होकर भी रह सकते हैं, छोटे स्टेट के पक्ष में भी तर्क हो सकते हैं और बड़े के पक्ष में भी तर्क हो सकते हैं। बड़े स्टेट से भी सिक्योरिटी हो सकती है और छोटे स्टेट की सिक्योरिटी भी हो सकती है, बशर्ते कि हम उसका मूल्य तय कर देते हैं कि हम किस मूल्य को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। आज सही मानों में जो हम साढ़े तीन वर्षों से कह रहे हैं चौखम्भा राज्य की बात है उसके सिद्धान्त को अन्य लोग भी प्रतिपादित कर रहे हैं। अगर उस चौखम्भा राज्य के सिद्धान्त को मानते होते तो आज यह सारी बातें न होतीं। अगर आगरा जिले की, मथुरा जिले की, या मेरठ जिले की जितनी आमदनी है उसकी चौथाई आमदनी वही की जिला कमेटी को दे देते और वह उस चौथाई आमदनी में बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के रहते हुये अपना सारा कार्य चलाते तो यह सब बातें न होतीं। आज हम क्यों डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसकी कल्पना की जा सकती है कि एक ही स्टेट के अन्दर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा लेजिस्लेचर क्यों रहे? दो-दो तीन-तीन जिलों को लेकर रीजन की बुनियाद पर, भाषा की बुनियाद डाइलेक्ट्स् भी उसमें आजायें, क्यों न पुनस्संगठित किया जाय ताकि उसमें पूरी आटानामी भी सुरक्षित रहती। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं अगर उसको हम आटानामी देते, कानून बनाने का अधिकार देते, पुलिस रखने का अधिकार देते और डेवलपमेंट करने का काम दे देते तो वह सारा काम स्वयं अपने क्षेत्र का कर लेते। आज लोगों का जो यह आक्षेप है कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी जब से मुख्य मंत्री हुये तब से बनारस के घाटों का निर्माण शुरू हो गया। हालांकि मैं तो यह कहता हूं कि जब से माननीय सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री हुये हैं तब से बनारस का अहित हुआ है, लाभ नहीं हुआ है। खैर, वह दूसरी बात है। जो लोग आज आगरा को राजधानी बनाकर अपने प्रदेश में कुछ जिलों को ले लेना चाहते हैं, दूसरे और कहीं कुछ लेकर अपना प्रदेश बनाना चाहते हैं तो वह हमको कहां के लिये छोड़ देंगे। हमारे ऐसे ख्याल के लोगों को वह कहां रखेंगे?

श्री अध्यक्ष—वह आगरा में आप को रखेंगे। (हंसी)

श्री राजनारायण—आखिर बाराबंकी (जहां घृणित ढंग पर नर हत्यायें हुईं) वह तो लखनऊ के अन्दर रहेगा। जौनपुर जहां दो बजे से ५ बजे रात तक गिरफ्तारियां हुयीं वह तो लखनऊ के रहेगा। तो समस्या का समाधान मूल रूप से सोचा जा रहा है तो वह इस तरह से नहीं हो सकता है। समस्या के समाधान के लिये आवश्यक है कि पुनः एक कमेटी का निर्माण किया जाय और वह सारे एक भाषा-भाषी रीजन को एक करके उसका ठीक से फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन करे। इसलिये इस सारे मामले को जो अच्छी तरह से देखे और विचार करे ऐसे कार्य के लिये एक कमेटी पुनस्संगठित होनी चाहिये, यह हमारा मत है।

श्री कालिकासिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक माननीय पणिक्कर जी की असहमति की टिप्पणी है उसके बहस के लिये मैं समझता हूं कि लोक सभा में यह बहस अधिक महत्वपूर्ण होगी। हमारे प्रदेश का जो सदन है इसमें एक मत से हम लोग यह राय देंगे कि इस उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होना चाहिये और न इसकी अभी कोई समस्या प्रकट हुई है। जो संकेत पणिक्कर जी ने लिखा है वह लोक सभा के लिये दिया है अर्थात् लोक सभा में जब मत लिया जाता है जहां

[श्री कालिकासिंह]

कि ४९९ सदस्य हैं, तो इन ८६ सदस्यों का वहां बहुमत है इसलिये वे वहां प्रभावशाली हैं और इन ८६ के कारण लोक सभा से जो उत्तर प्रदेश चाहता है करा लिया करता है। उन्होंने शायद यही समझा होगा कि यह असहमति टिप्पणी जो हमने दी है यह लोक सभा में कारगर हो जायगी। यह कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था प्रभावशाली होने के लिये। अगर उन्होंने और और चीज रखी होती तो वह चीज एक युक्ति की चीज कही जा सकती थी, लेकिन यह युक्ति कि वहां पर ८६ सदस्य बैठते हैं कोई युक्ति नहीं है। हां, तो सम्पूर्ण देश में ६ या ७ लाख के ऊपर एक सदस्य गया है। उसमें कोई कमीबेशी नहीं हो सकती। न उससे किसी क्षेत्र का या किसी प्रदेश का कोई प्रभाव अधिक या कम होता है। किन्तु उनका जो संकेत उस असहमति टिप्पणी में है उस से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश के जो ८६ सदस्य हमारी लोक सभा में हैं उनके लिये एक दिक्कत पैदा हो और दूसरे प्रदेशों के लोग उनकी इस कमजोरी का फायदा उठायें—वह संकेत निराधार है। उनकी जो ८६ की संख्या है जिसकी वजह से उनका प्रभाव बड़े-बड़े व्यक्तियों पर है या और चीजों पर जो प्रभाव है उस प्रभाव को हम खत्म कर सकें—ऐसा उनका सोचना भी निराधार है। आज हमने बहुत ही सहायता की होती इन ८६ सदस्यों की जो लोक सभा में हैं अगर विभाजन की समस्या को यहां पैदा न किया गया होता। उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग प्रदेश में जनता की तरफ से नहीं हुई। अगर ऐसी बात हुई होती तो जनता की तरफ से अखबारों में लेख निकलते। जहां तक मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश के बाहर भी कहीं कोई ऐसी आवाज नहीं आई। जिस ईर्ष्या और डाह का जिक्र पणिक्कर जी ने किया है और लिखा है कि पंजाब, बंगाल और मदरास में इस तरह की डाह और ईर्ष्या की भावना है उस डाह की भावना की झलक भी कहीं भाषणों में या लेखों में नहीं आई। इसके विपरीत यह देखता हूं कि प्रेम की भावना है उत्तर प्रदेश के प्रति। लोग सभा में जितने सदस्य हैं सब ने पं० जवाहर लाल जी को सम्मान दे रक्खा है। श्री गोविन्द बल्लभ पन्त, डाक्टर कैलाश नाथ काटजू, श्री लाल बहादुर शास्त्री और मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो सम्मान दे रक्खा है या और जो भी उत्तर प्रदेश से जाते हैं उनको जो सम्मान दे रक्खा है उसको देख कर मैं तो यही समझता हूं कि सम्पूर्ण देश में उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के प्रति प्रेम की बड़ी भावना है। दूसरी बात जो सरदार पणिक्कर जी ने कहा है मैं उसे बिल्कुल असत्य समझता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रभावशाली है और अपने इस प्रभाव का वह दुरुपयोग कर सकता है।

दूसरी बात हमें यह देखनी है अगर ऐसी बात होती तो हमें उस प्रभाव का कुछ अनुचित लाभ प्राप्त हुआ होता। प्रथम पंचवर्षीय योजना में १,२४१ करोड़ रु० केन्द्रीय व्यय रक्खा गया था उसमें से २६६ करोड़ मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स जैसे दामोदर वेली, भाखरा, नंगल और हीराकुण्ड आदि के लिये रक्खा गया था, लेकिन उस सेंट्रल व्यय में जो रुपया खर्च किया गया उसमें से एक पैसा भी उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। बहुत कहने पर जो ५ मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स और जोड़े गये उनमें एक रिहन्द डेम उत्तर प्रदेश का भी जोड़ दिया गया उसमें ३५ करोड़ रुपये मिलने चाहिये थे, लेकिन ७ करोड़ रुपये की रकम ही मिली और वह भी कर्ज के रूप में। इसके मानी यह हैं कि २६६ करोड़ रुपये में से एक पैसा भी उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। ८९ करोड़ रुपया २१ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स सम्पूर्ण भारत में खोलने के लिये केन्द्रीय व्यय में रक्खा गया, लेकिन एक भी उनमें उत्तर प्रदेश में नहीं रक्खा गया। अब बड़े-बड़े एक्सपर्ट लोगों की राय है कि उत्तर प्रदेश में भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स खुल सकते हैं। जहां तक कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का संबंध है, हमारे देश में पहले पहल ५५ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स खोले गये, लेकिन ५५ में केवल ६ हमारे यहां खुले जब कि ९ होने चाहिये थे। इस तरह से और और चीजों में भी, रेलवे के २६० करोड़ पोर्टट्रस्ट में, जितना भी विकास का काम हुआ और केन्द्र ने जो १२४१ करोड़ रुपया खर्च किया उसमें उत्तर प्रदेश को उसका हिस्सा नहीं के बराबर मिला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी हम देख रहे हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो कमी रह गयी थी, उसका पूरा करना तो

दूर रहा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जबकि सम्पूर्ण देश का उद्योगीकरण होने जा रहा है और जिस पर १४ सौ करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश के ३३६ करोड़ रुपये के प्लैन में सिर्फ १७ करोड़ रुपया रखा गया है। ६ करोड़ रुपया बेसिक इंडस्ट्रीज के लिये और १०–११ करोड़ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये। इससे मालूम हो रहा है कि भारत के २६ प्रतिशत उद्योग व्यय में से केवल चार-पांच प्रतिशत, उद्योगीकरण के लिये हमारे प्रदेश को दिया जा रहा है। अगर केन्द्र के ऊपर हमारा प्रभाव होता तो उद्योगीकरण में अवश्य फायदा हुआ होता।

उन्होंने जो असहमति की टिप्पणी लिखी है, उसमें से कुछ बातों का जिक्र मैं कर देना चाहता हूं।

जहां तक भाषा का प्रश्न है, भाषा को सभी लोगों ने मान लिया है और मेरे ख्याल में पणिक्कर जी ने भी मान लिया है कि इसका कोई प्रश्न उत्तर प्रदेश में नहीं है। हमारे संविधान में जो १४ भाषाएं दी हुई हैं केवल इन भाषाओं के आधार पर भाषावार प्रान्त बनाये जा सकते हैं। जहां तक हमारे प्रदेश का संबंध है हमारे यहां चार भाषाएं हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत––ये चार भाषाएं उन १४ भाषाओं में हैं, जिन १४ भाषाओं के आधार पर भाषावार प्रान्त बनाये जा सकते हैं। इन्हीं आधार पर केरल, कर्नाटक की मांग है और हैदराबाद का विघटन हो रहा है। इन १४ भाषाओं को लेकर पुनस्संगठन हो रहा है न कि ब्रजभाषा और खड़ी बोली आदि। इस तरह से भाषा का प्रश्न पैदा नहीं होता।

उन्होंने इतिहास के सम्बन्ध में भी कहा है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास केवल सौ वर्ष का ही होता है। इतिहास में हमने क्या सीखा ? उसमें हमने यही सीखा कि हमारे प्रदेश में जो छोटे-छोटे राज्य पहले पैदा हो गये थे, कहा भी गया पांच-छः पहले भी थे––पांचाल, कौशल, चेदि आदि। लेकिन इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कहीं हम रिवाइवलिज्म की स्प्रिट में न चले जायं। कहीं पांचाल वाले अर्थात् बरेली के लोग कहने लगें कि कुरु वंश के लोगों ने द्रोपदी का चीरहरण किया था, अगर यह रिवायवलिज्म की स्प्रिट आ गयी तो छोटे-छोटे राज्य आपस में लड़ने लगेंगे। इतिहास से हमें यह सीखना चाहिये कि जिन पुरानी बातों से हमारा नुक्सान हो गया था, उनको हम छोड़ दें। इन सौ वर्षों के अन्दर, जैसा कि पणिक्कर जी ने कहा है, उत्तर प्रदेश एक हो गया, उसी एकीकरण की तरफ हम बढ़ें तो कल्याण भारत का है।

इसमें पणिक्कर जी ने एक बात और कही है कि उत्तर प्रदेश बड़ा है। उन्होंने अपने नोट में भी लिखा है––

"In most federal constitutions though wide variations exist in respect of the population and resources of the unit, care is taken to limit this influence and authority of the larger states."

कांस्टीट्यूशन भारत में यूनिटरी है। सरदार पटेल जी ने जब कि संविधान परिषद् में इसका प्रश्न पैदा हुआ था उन्होंने इसको फेडरल न मान कर यूनिटरी बनाया था, यानी रेजिडुअरी पावर केन्द्र में रखी थी न कि प्रदेशों में। इसलिये फेडरल का जो उदाहरण दिया है वह उदाहरण ठीक नहीं है। यूनिटरी मान कर के अगर देखा जाय तो प्रदेश का बटवारा उनके तर्क के अनुसार ही नहीं होना चाहिये।

पश्चिम और पूर्व के ऊपर खुद ही उन्होंने मान लिया है कि विकास में पश्चिम और पूर्व में कोई फर्क नहीं है। हमारे पश्चिमी भाइयों ने यह प्रश्न पैदा कर दिया कि हम लोगों ने पूर्व के ऊपर जो खर्च किया है वह बहुत ज्यादा खर्च किया है। लेकिन हमने देखा है कि पश्चिम की अभी कोई भी रकम हमारे बजट में ऐसी नहीं आयी जिसमें यह कहा जाय कि हमारे पश्चिम के लोगों ने पूरब के विकास के लिये कोई

[श्री कालिकासिंह]

रक़म दी हो। डेवलपमेंट लेवी जो लगाने वाले थे हम वह लगी नहीं। न कोई बेटरमेंट लेवी ही लगी, न वाटर रेट ही यहां पर लगाया गया। ऐसी हालत में यह कहा जाना कि पश्चिम के जिलों से कोई रकम लेकर पूर्व के जिलों का विकास होने जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि इसके बरअक्स यह कहा जा सकता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने छः सात करोड़ से बढ़ाकर २३ करोड़ रुपया सरकारी मालगुजारी कर दिया है और छः करोड़ रुपये जो इर्रीगेशन रेट का मिला है उस सबको मिलाकर करीब ३६ प्रतिशत इस वक्त जमीन के ऊपर भार है और उस ३६ प्रतिशत का भार सब पर समान रूप से है। वह पूरब के ऊपर भी पड़ता है और पश्चिम पर भी पड़ता है। ऐसी हालत में यह कहा जाना कि कोई ऐसी रक़म पश्चिम के लोगों ने विशेष रूप से पूरब के लोगों के लिये दी हो, यह ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात अभी आयी नहीं है। जहां तक कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास का सम्बन्ध है, जो पावर प्रोजेक्ट हमारे यहां हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्व में हो शारदा खटीमा पावर हाउस है, ११-१२ करोड़ रुपये उस पर खर्च हुये हैं। कोई दूसरा पावर प्रोजेक्ट वहां बना नहीं। मुश्किल से मऊ में दो हजार किलोवाट का बना हुआ है और गोरखपुर में दो हजार का है। लेकिन जो ४० हजार और ६० हजार किलोवाट का पावर हाउस है, जो कि १६ पश्चिमी जिलों में बिजली दे रहा है उसके बराबर का कोई दूसरा नहीं है।

इसके अतिरिक्त दूसरी पंचवर्षीय योजना में जमुना और रामगंगा पर जो प्रोजेक्ट बनने वाले हैं वह दोनों पश्चिमी जिलों के दिये गये हैं। एक रिहैन्ड डैम रह जाता है। रिहैन्ड डैम की योजना ४५-४६ में बन चुकी थी और अब तक उसको रोका गया और बराबर रोका गया, यहां तक कि आज ५५ तक भी उस पर काम शुरू नहीं हुआ और उसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डाल दिया गया। इस तरह से भी हम देख रहे हैं कि पावर प्रोजेक्ट के विभाजन में भी पूर्वी जिलों में अब तक कोई काम नहीं हुआ। एक चीज और है, नहर की समस्या। उत्तर-प्रदेश में आगरा नहर ईस्टर्न जमुना और अपर गंगा और लोअर गंगा नहरें हैं, इन नहरों को हम गंगा और जमुना के बीच में काट देंगे अगर विभाजन करेंगे। इसी तरह से शारदा नहर भी कट जाती है। रिपोर्ट में भी यह दिया हुआ है कि विकास का काम नहीं रुकने पावे। भारत की एकता, सुरक्षा और उसका विकास इन तीनों में कोई बाधा न पड़ने पावे। हम फ्री हैं अपना बटवारा करने के लिये, हो सकता है कि कारण भी हों, लेकिन अगर किसी तरह से भारत की एकता, उसकी सुरक्षा और उसके विकास पर कोई असर पड़ता है तो उसके लिये समय नहीं है अभी कि ऐसा विभाजन करके ऐसी चीज पैदा की जाय। इसलिये कोई भी वजह ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर हम यह कह सकते हों कि उत्तर प्रदेश का विभाजन इस समय किया जाय जब कि इसके लिये कोई उपयुक्त अवसर नहीं है। इसके लिये रिपोर्ट के अन्दर भी कहा गया है, हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं ने भी यह कहा है और हैदराबाद में जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें भी यह चीज कही गयी थी और इस पर जोर दिया गया था कि कोई भी ऐसी प्रवृत्ति न पैदा की जाय, भीतर या बाहर, जिससे कि वातावरण विषाक्त हो जाय और जिससे कि भारत के निर्माण, उसकी सुरक्षा और एकता में किसी तरह की रुकावट पैदा होती हो। इसलिये मैं यह समझता हूं कि किसी भी प्रकार उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग सामयिक है ही नहीं और न कभी हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरे टुकड़े दक्षिण में हैं उनको अगर हम बिना आपत्ति के ले सकते हैं, तो हमें आपत्ति नहीं है।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---श्रीमान अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से इस सदन में राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों पर वाद-विवाद चल रहा है। बहुत से भाइयों ने अपने विचार प्रकट किये। बहुत से सदस्यों ने अपने विचारों में दोनों पक्षों के लिये काफी मसाला दिया और जहां तक मैंने सुना है, समझा है दोनों पक्षों के लिये ही पक्ष में और विपक्ष में चीजें आयी हैं।

परसों माननीय हाफिज इब्राहीम जी ने भी एक गालिब का शेर पढ़ा। उस वक्त बदकिस्मती से मैं सदन में हाजिर नहीं थी, लेकिन मैंने अखबार में उसको पढ़ा जरूर और पढ़ने के बाद मेरी बुद्धि में भी थोड़ा सा कविता के रूप में उसका जवाब देने की प्रवृत्ति पैदा हुयी। मैंने भी एक छोटी सी कविता अपनी ओर से बनायी है। "मर कर चैन पाना नहीं हाथ अपने। रहा जाना मरने के बाद ऐ गालिब, दैव जिधर भेजे उधर ही जाना बस में।"

मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि शास्त्रों में भी यह चीज सिद्ध है कि मरने के बाद मनुष्य चैन स्वयं ही पा जाता है। सांसारिक दुखों से छूट जाना मात्र सब से बड़ा प्रमाण है, और "मर कर भी किधर जायेंगे ?" यह तो मेरी एक छोटी सी बुद्धि में भी नहीं घुस पाया कि जब इन्सान मर जाता है तो अपने संस्कारवश या कर्मवश जो उसके सुसंस्कार या बुरे संस्कार होते हैं उन्हीं के वश उसे आना-जाना पड़ता है, आवागमन के सिद्धांत के अनुसार हमारा साहित्य और शास्त्र यह सोचने के लिये कभी भी राय नहीं देता कि मरने के बाद इन्सान जाने के लिये सोच सकता है। मेरे ख्याल से यह हमारा सदन एक पवित्र भूमि है और यहां पर ऐसी बातें जो अवसर पर घटती हों या न घटती हों उनको कहना तो ठीक नहीं है और जहां तक मेरी बुद्धि को अनुमान है यह गालिब का शेर अवसर के म्वाफिक़ नहीं उतरता है।

मुख्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव यहां भवन में प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने में मैं अपने आप को असमर्थ पा रही हूं। अच्छा यही होता कि और भी भाइयों की तरह से मैं भी हृदय से उसका समर्थन करती, किन्तु जहां तक मेरी समझ में बात आती है, मैं उसमें असमर्थ अपने को पाती हूं, मैं इस बात को मानती हूं कि कभी कोई चीज न अमर रही है और न कभी आगे रहेगी। केवल एक सत्य ऐसी चीज है जोकि सदा अमर रहेगी और सत्य मानी जायगी। सत्य से डर कर हम यदि आज इस भवन के सामने कोई गलत बात कहने में विवश हो जाते हैं तो हम चाहे दूसरों के सामने अपराधी न समझे जायं, लेकिन अपनी आत्मा के आगे हमको झुकना पड़ेगा और अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। आज देश के सामने एक ऐसी समस्या है, आज प्रतिनिधियों के सामने भी एक ऐसी जटिल समस्या है जिसको सुलझाने के लिये भारत की जनता की आखें लगी हुई हैं और वह अपने प्रतिनिधियों तथा कणधारों से यह मांग करती है कि वे उसकी मांग और राय पर यहां निर्भीकता से विचार प्रकट करें। आज अगर मानव को लक्ष्मी पूजा के डर से, और पद लोलुपता के कारण, कुछ डर है तो मैं समझती हूं कि उसका जन्म निष्फल हुआ। मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य को ही सामने रख कर बात करनी चाहिये। ऐसा सत्य-पथ का राही किसी से डर नहीं सकता। जो ईश्वर का चोर होता है वह हमेशा सुख और चैन नहीं पाता। जब से विभाजन की मांग करी गयी है तब से जो कुछ भी दबाव वगैरह हो सकता था वह बहुत ज्यादा डाला गया और बहुत से भाइयों ने जो डर कर बात करी है वह गलत करी है और मैं यह मानती हूं कि बहुत से भाइयों ने आत्मा के विरुद्ध भी बात करी है।

श्रीमन्, अब मैं एक बात और आगे कहना चाहती हूं कि आजकल हमारे भाई "राष्ट्र" शब्द का प्रयोग बड़े उत्साह से करते हैं। लेकिन मैं सोचती हूं कि इस "राष्ट्र" शब्द के माने का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने या समझने की पर्वाह वे नहीं करते कि "राष्ट्र" शब्द क्या चीज है। शास्त्रों और राजनीति के पंडितों के अनुसार "राष्ट्र" के माने एक विशाल समुदाय है, जिसमें कि मनुष्य एक अटूट सूत्र में बंधे हुये सुख और शांति से रह सकें। जिस सम्बन्ध में बंध करके आदमी दुःख अनुभव करे या असंतोष प्रकट करे उस राष्ट्र के कोई माने नहीं माने जाते और न ही हम उसको राष्ट्र कह सकते हैं। अब राष्ट्र के लिये मैं कुछ बातों का जिक्र करती हूं, जोकि राष्ट्र का मुख्य अंग हो सकती हैं। इसमें ७ अंग आते हैं, जोकि एक राष्ट्र को बनाने में सहायक होते हैं। सबसे पहले देश सम्बन्धी एकता, दूसरा राज्य की एकता, तीसरा भाषा की एकता, चौथा धार्मिक एकता, पांचवां वर्ग की एकता, छठा हानि लाभ की एकता और सातवां जिस देश में ऐतिहासिक पूर्वजों के कारण तथा अन्य ऐसे ही कारणों से गौरव उत्पन्न हो, वह भी एकता मानी जाती है। अब हम इन बातों को लेकर विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे भारत में ये सब चीजें नहीं हैं। अगर देखा जाय तो हमारे भारतवर्ष में ये चीजें बहुत ही भिन्नता के रूप में पायी जाती हैं। तो भारत का एक राष्ट्र होना कदापि सत्य नहीं हो सकता। लेकिन जहां यह सवाल है वहां पर यह भी मैं

[श्रीमती चन्द्रवती]

मानने को तैयार हूं कि इन सब भिन्नताओं के होने के साथ ही साथ हिन्दुस्तान एक राष्ट्र माना गया है और यह भारतवर्ष के गौरव, उसकी महानता और उदारता का द्योतक है। यहां पर बहुत से काल, जैसे बौद्ध काल, गुप्त काल आदि हुये और जिनका कि समय-समय पर उनका अपना इतिहास रहा। इस तरह से सभी इतिहास का अगर मैं विश्लेषण करूं तो उसमें १५ मिनट तो क्या मैं समझती हूं १५ घंटे भी थोड़े होंगे। इसलिये उन्हें विस्तारपूर्वक न कह कर सूक्ष्म रूप से ही कहना मैं पसन्द करूंगी। बौद्धकाल में इस उत्तर प्रदेश में १६ स्वतंत्र राज्य थे, और हर्षवर्द्धन का और अशोक का राज्य सब से बड़ा राज्य माना जाता था, इसमें भी यह राष्ट्र एक सूत्र में नहीं बंध पाया। सबसे पहली बात यह कही गयी कि उत्तर प्रदेश एकता में बंधा हुआ है और इसका विभाजन करना इसकी अखंडता को तोड़ना है। मैं इसको मानने के लिये कदापि तैयार नहीं हूं। यह केवल कुछ वर्षों की बात है जब हमने जिन जिलों की मांग सही समझते थे, की थी और यह हमारी एक पुरानी मांग है जो १९२१ में राष्ट्रपिता गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा की गयी थी और १९२८ से लेकर १९३३ तक बराबर यह मांग जारी रही और यह मांग बराबर प्रभावशाली रही। अब मेरी समझ में नहीं आता कि अगर इस बात को आज दोहराया जाता है तो मांग करने वालों को गद्दारी का खिताब दिया जाता है और उनकी वफादारी पर शक किया जाता है। यह एक ऐसी बात है कि अगर दिन को दिन कहना मुनासिब नहीं तो रात को रात कहना भी मुनासिब नहीं हो सकता है। यह तो एक ऐसी बात हो गयी जहां सब अंधे बैठे हों और एक को दिखता हो तो जैसी चीज वह बतला देता है उसी को सबको मानना पड़ता है, क्योंकि अगर उनके आंखें होतीं तो वह देखकर त्रुटि बतला सकते कि यह चीज नहीं है, फिर तुम क्यों बतला रहे हो कि यह चीज ऐसी है। वरना सही मांग करते समय यह कहना कि यह गद्दारों की मांग है और ऐसी मांग है जिससे गलत भावना जाग्रत होती है यह कदापि सत्य नहीं है।

आज यदि मैं भाषा का विश्लेषण करूं तो उसमें काफी समय लगेगा। इस संबंध में १९२१ की भाषा के सर्वे के अनुसार थोड़ा सा निवेदन करना चाहती हूं और वह यह कि जब सर्वे हुआ था तो उस समय सारे हिन्दुस्तान में १८८ भाषायें बोली जाती थीं और अगर बोली का इसमें मिश्रण किया जाय तो ५४४ से भी अधिक भाषायें हो जाती हैं। इसलिये यह भी चीज गलत है। दूसरी चीज है शासन व्यवस्था, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इसको सोचने के लिये काफी गम्भीरता की जरूरत है। शासन का प्रबन्ध जितना नजदीक से अच्छा हो सकता है उतना दूर से नहीं हो सकता है। क्या मैं किसी माननीय मंत्री जी से पूछ सकती हूं कि उन्होंने सारे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर लिया है और पूरा निरीक्षण करके उनको जानकारी है कि कौन-कौन से जिले की तहसील में क्या चीज होती है और वह कैसे उसका प्रबन्ध कर सकते हैं।

अब मुझे ऐतिहासिक घटना की बात याद आ गई है। जिस समय महा भारत हो रहा था तो विपक्षी दल की शक्ति क्षीण करने के लिये यह सोचा गया कि धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया जाय तभी काम हो सकता है तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के लिये धर्मराज से यह कहलाया जाय कि वह मर गया तो उनका कार्य सिद्ध हो सकता था। धर्मराज ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन उनको कहा गया कि आप सत्य ही कह दो और वह सत्य जिस समय कहा गया तो उस समय हाथी मरा या आदमी आदि शब्दों को सुनने के लिए युद्ध के बाजों से इस प्रकार दबा दिया गया कि दूसरे वाक्य के अंतिम अंश को न सुनने के लिये विवश से हो गये। इस तरकीब से द्रोणाचार्य की मृत्यु निश्चित थी इस प्रकार उन्होंने अपने प्रिय जन, अपने पुत्र की मृत्यु का संवाद सुना था और वह मर गये। जब उस समय ऐसी बात धर्मराज युधिष्ठिर से भी कहलाई जा सकती थी तो मैं सोचती हूं कि आज संसार में कोई उनकी समानता कर सके ऐसा मैं किसी को नहीं देखती, तो मैं झूठ बोलने वालों और बुलवाने वालों की संख्या को कहां तक गिना सकती हूं। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहती हूं कि यह मांग आज समय की मांग है और इसको टालना एक बहुत बड़ी गलती होगी और यह कभी भी टलने वाली नहीं है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य पुनस्संगठन आयोग की जो सिपारिश है और उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी का जो प्रस्ताव है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझे दुख है कि हमारे कुछ भाइयों ने आवश्यक समझा कि उस प्रस्ताव के विरुद्ध कुछ कहें और उसमें संशोधन पेश करें। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कई मानों में और कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश हमारे सारे देश में अगुवा रहा है और यही नहीं, हमारे देश की जो सालीडीटी व सेक्योरिटी है उसकी उत्तर प्रदेश रीढ़ है और उसकी एकता का प्रतिविम्ब है।

पिछले १८ महीनों में जो यह उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग ने ज्यादा जोर पकड़ा, उसकी जो गतिविधि हुई, उसकी कुछ थोड़ी-सी जानकारी मुझको भी है और उसके सिलसिले में मैं चन्द बातें भवन के सामने रखना चाहता हूं। पिछले साल अप्रैल के महीने में जब कि कुछ सदस्यों ने अपना पहला मेमोरेन्डम तैयार किया तो कुछ की मुझ से भी बातचीत हुई थी। मुझको यह बताया गया कि चूंकि पश्चिम के जो जिले हैं उनका स्टेट रेवेन्यू ज्यादा होता है और डेवलपमेंट के काम में ज्यादा खर्च ईस्ट में होता है, इसलिये हम चाहते हैं कि ईस्ट वेस्ट का विभाजन कर दिया जाय। जब मैंने यह कहा कि यह बड़ा खतरनाक मूव है और इससे जो डिसइंट्रीगेटिंग फोर्सेज हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा तो मुझ से यह कहा गया कि असल मंशा हमारा यह नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े करायें बल्कि हम केवल इसे सौदे के रूप में मुख्य मंत्री जी के पास भेजेंगे कमीशन के पास नहीं.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह अप्रासंगिक है।

श्री नवलकिशोर—ठीक है। तो मैं यह कह रहा था कि उस समय उनका यह विचार था जो उन्होंने बताया वह बात यह थी और संभव है कि उसके पीछे यह आइडिया भी रहा हो कि इसको बतौर एक बारगेन के इस्तेमाल करें क्योंकि उनके विचार से पश्चिमी जिलों की तरफ उतना अटेंशन नहीं होता है जितना कि होना चाहिये। अतः इस तरह पर ही सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाय। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं यह जरूर कहूंगा कि इस भवन में हमारे एक साथी ने यह कहा कि ९७ परसेंट साथी हमारी इस मांग के पीछे हैं लेकिन सरकार की तरफ से और कुछ मंत्रियों की तरफ से इस किस्म का दबाव डाला गया कि जिस की वजह से कुछ लोग पीछे हट गये। मैं चाहता था कि यह ९७ परसेंट की बात यहां न आती। इस संबंध में अधिक न कह कर इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से ९७ परसेंट लोगों से बहका कर दस्तखत कराये गये वह भी कोई ज्यादा अच्छी कहानी नहीं है। इस तरह का कोई आक्षेप करना मेम्बर दबाव में आकर इस मांग से पीछे हट गया, मैं समझता हूं कि यह कोई प्रजातांत्रिक विचार नहीं है और उन साथियों के आत्मसम्मान के विरुद्ध है। मैंने इस संबंध में यह भी देखा कि जब यह मांग उठाई गई तो उसका पहला दफ्तर दिल्ली में खोला गया और रिपोर्ट के आने के बाद भी यह दफ्तर वहीं है। एक बड़ा दिल्ली राज्य बनाने के लिये एक कमेटी और उसकी एक्जीक्यूटिव बनाई गई। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस मांग के पीछे कुछ पोलीटिकल ऐम्बीशन था। मैंने यह भी देखा कि तीन मैमोरेन्डम पेश किये गये और तीनों की यदि हम सीमाओं को देखें तो भिन्न-भिन्न पाई जाती हैं। मैं इससे यह नतीजा निकालता हूं कि विभाजन के विषय में हमारे इन साथियों के सामने नये प्रदेश की कोई रूपरेखा नहीं है। वे चाहते हैं कि जिस तरह से भी हो, यू० पी० का विभाजन होना चाहिये। यही वजह है कि जिस समय कमीशन की रिपोर्ट जनता के सामने आई तो इन साथियों ने एक माननीय मेम्बर सरदार पणिक्कर साहेब के नोट को अपना आधार बना कर उस मांग को चलाना शुरू किया। मैं माननीय पणिक्कर साहेब की शान के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्वाइंट आफ व्यू से स्टेट अनवील्डी है और संख्या के कारण इसका इनडाइरैक्टली सेन्टर पर असर पड़ता है, जिससे दूसरे प्रदेशों को हानि होने की संभावना हो सकती है। मैं दूसरे देशों की बात न कहते

[श्री नवलकिशोर]

हुये इतना कहूंगा कि सीमाओं क हिसाब से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान होता है। बम्बई, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये तीनों उत्तर प्रदेश से कहीं बड़े हैं। ऐडमिनिस्ट्रेशन के अनवील्डी होने के बारे में कोई मिसाल नहीं दी गई है। सेंटर पर दबाव पड़ने के बारे में बहुत से साथियों ने आंकड़े देकर इस बात को साबित किया है कि बावजूद इसके कि हमारे बड़े-बड़े मंत्री सेन्टर में हैं फिर भी उत्तर प्रदेश की अवहेलना होती आई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सेन्टर का पूल २,२०० करोड़ का है जिसमें से केवल २६५ करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है जैसा कि आज के अखबारों में छपा है। अगर आबादी का कोई लिहाज हो तो मैं समझता हूं कि ४०० करोड़ से अधिक यू० पी० को मिलना चाहिये। बावजूद इसके कि हमारे यहां से ८६ मेम्बर केन्द्र में जाते हैं उन्होंने और हमारे मंत्रियों ने कभी अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। बल्कि इस बड़प्पन के कारण नुकसान ही हमेशा उत्तर प्रदेश को रहा है।

हमारे देश में पुनस्संगठन की आधारशिला भाषा ही थी, लेकिन अब इसमें कुछ और भी बातें शामिल कर दी गई हैं। कुछ भाइयों ने कहा कि हमारे प्रदेश में ४ डाइलेक्ट्स हैं, लेकिन भोजपुरी, अवधी व्रजभाषी, बुन्देलखंडी और गढ़वाली और हिन्दी मिला कर ६ तो हमारे ही सामने आ गये हैं। डाइलैक्ट किसी प्रान्त के बटवारे का आधार नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसे भी माना जाय और मैमोरैन्डम का नक्शा हम देखें तो जो हिस्से मिलाये गये हैं उनका भी एक डाइलैक्ट नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में हर दस मील पर कुछ न कुछ अन्तर बोली में हो जाती है। एक साथी ने विरोध किया कि उत्तर प्रदेश जो गंगा जमुना का बेसिन है उसकी संस्कृति एक नहीं है। १९१४ से आगरा और अवध को मिला कर अंग्रेजों ने यू० पी० नाम रखा। अंग्रेजों ने हमें कुछ भी नाम दिया हो लेकिन इन्डो-गैन्जीटिक प्लेन की संस्कृति तो हमेशा से एक है। कोई साहब कहते हैं कि बाराबंकी, कानपुर और सहारनपुर में इन्तजाम नहीं है, वहां इन्तजाम की कमी है। बाराबंकी यहां से १०, १२ मील कानपुर ४५ मील है और सहारनपुर ज्यादा दूर है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि कैपीटल से पास या दूर होने से इन्तजाम में कोई फर्क पड़ता है। श्रीचन्द्र जी ने कहा कि एग्रीकल्चर विभाग में ५,७ डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं और यदि उनकी अपनी अलहदा स्टेट हो जाय तो उसमें एक ही रखेंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि डुप्लीकेट स्टेट होने से डुप्लीकेट गवर्नमेंट हो जायगी और हर चीज डुप्लीकेट होगी, जैसे २ स्पीकर, २ डिप्टी स्पीकर और हर विभाग के अलग अलग मिनिस्टर होंगे। छोटी स्टेट होने से अधिक खर्चा होगा। यह छोटा-सा उसूल इकोनामिक्स का है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। बड़प्पन की बात कही गई। बड़प्पन सीमाओं से नहीं होता है। बल्कि आबादी अधिक होने से होता है। बड़प्पन वहां के मनुष्यों के विचार और ऐप्रोच से होता है। उत्तर प्रदेश का कासोपोलीटन आउटलुक है और इसलिये हमारे प्रदेश का बड़प्पन है। सरदार पणिक्कर साहेब ने कुछ उन भावनाओं को भी प्रोत्साहन, चाहे उनकी इच्छा हो या न हो, दिया कि जो कभी-कभी दिल्ली में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की बात पाई जाती है। जैसा कि गेंदासिंह जी ने कहा था, हमारे देश में जितने भी नेता हुये राजनीति या आर्ट या किसी और लाइन में सदैव सारे देश ने उन्हें अपना नेता माना है। सरदार पटेल हमारे अद्वितीय नेता थे और वह गुजरात से आते थे। गुजरात एक छोटी सी स्टेट बनने जा रही है। आज हमारी सारी शक्ति देश की एकता बनाये रखने में लगती चाहिये। ईस्ट और वेस्ट की बात बार-बार नहीं होनी चाहिये। इस उत्तर प्रदेश को पूरब या पश्चिम या जैसा कुछ भाइयों ने कहा कि बीच का, इस प्रकार बांटने से कोई लाभ होने वाला नहीं है बल्कि इससे आपसी कटुता व वैमनस्य ही बढ़ता है।

मेरा ख्याल है कि हमारे जिन साथियों ने विभाजन की मांग की है वे किसी भी पहलू से, भाषा, संस्कृति या कैसा भी हो, अपना केस नहीं बना पाये हैं। यह भी कहा गया है कि हमने शराफत बर्ती और एजीटेशन नहीं किया, तो यह नहीं समझना चाहिये कि हमारे पीछे ताकत नहीं है।

यहां के माननीय सदस्य जनता के ही प्रतिनिधि हैं और हम जानते हैं कि जनता या यहां के प्रतिनिधि क्या चाहते हैं। भवन में जो भाषण हुए हैं वे इसके सबूत हैं। मेरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता प्रदेश का विभाजन नहीं चाहती है। कुछ मध्य भारत और विन्ध्य प्रदेश के जिलों के मिलाने की भी बात कही गई है हम उन पर कोई बात थोपना नहीं चाहते हैं और वे समझते हैं कि उनका हित हमारे साथ शामिल होने में है तो वे शामिल हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि सारे देश की एकता बनी रहे, यही हमारी आशा है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव इस भवन में उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। आज तीन दिन से हमारे इस प्रदेश के विभाजन के ऊपर विचार हो रहा है। तब से मैंने अपने बहुत से माननीय सदस्यों का भाषण बहुत ध्यान से सुना। मेरे विचार से जो विभाजन के पक्ष में है या विपक्ष में हैं दोनों की नीयत पर कभी भी एक सेकिन्ड के लिये मेरे मन में यह भावना नहीं उठती कि उनके दिल में अपने प्रदेश की हमदर्दी नहीं या वह अपने प्रदेश का विभाजन करने के लिये, उसको टुकड़े करने के लिये किसी स्वार्थ के वश में हैं। स्वप्न में भी यह खयाल मेरे मन में नहीं उठ सकता। इस आदरणीय भवन में बैठने वाले व्यक्ति चाहे वह पक्ष में हों या विपक्ष में हों दोनों इस प्रदेश के रहने वाले तथा इस प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले माननीय सदस्य हैं। अभी मुझे अपनी एक बहन का भाषण सुन कर बहुत अफसोस और दुख हुआ। कभी-कभी ऐसा मालूम होता है कि किसी प्रभाव में आकर अपने मन के विचारों का दमन करके इस भवन के अन्दर कोई माननीय सदस्य बोल सकता है। मुझे याद आता है अंग्रेजी हुकूमत का जमाना जब इस भवन के बैठने वाले व्यक्ति कभी अंग्रेजी हुकूमत से नहीं डरे। कभी उस वक्त स्वार्थ के वश होकर गलत चीज नहीं की। तो आज इस देश के रहने वाले इस भवन के अन्दर नुमाइन्दे होकर बैठने वाले किसी प्रभाव में आकर बह जायेंगे और इस तरह से भाषण दे डालेंगे, यह कैसे हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से यह कहना चाहती हूं क्योंकि आपने मेरे पहले क भाई को रोक दिया था इसलिये मुझे डर हुआ कि माननीय अध्यक्ष शायद मुझे भी रोक दें। मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि विभाजन के पक्ष में मेरे बहुत से साथियों के जो हस्ताक्षर थे उनमें मैं भी एक थी जिसने उस प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। किसी डर से नहीं और किसी के प्रभाव से नहीं और यदि मैंने हस्ताक्षर को वापस ले लिया तो किसी के प्रभाव में आकर वापस नहीं लिया। मेरी ईमानदारी से राय यह थी कि क्योंकि हम प्रान्त में जनता के नुमाइन्दे हैं इसलिये जनता को सन्तुष्ट करने के लिये, उनकी मांग को ऊपर उठाने के लिये और अपने जिले का निर्माण करने के लिय हम यह अवश्य चाहते थे कि हम अपने मुख्य मत्री से यह कहें--अपना नेता होने के नाते उनसे लड़ें या उनसे झगड़ा करें कि हमारे जिलों का उत्थान करने के लिये और हमारे जिलों में काम को बढ़ाने के लिये ज्यादा खर्च होना चाहिये या हमारे ऊपर ज्यादा टैक्स लगाये जायं। इस बात के लिये भी यहां हमको पूर्ण अधिकार है कि हम अपने मुख्य मंत्री जी से जाकर बहस करें, झगड़ा करें, उनकी खुशामद करें और उनको मनायें या अपने जिलों की दिक्कतों को या कष्टों को उनके सामने रखें। किसी के प्रभाव में आकर हमने अपने हस्ताक्षर को वापस नहीं लिया था। जिस समय मुझसे हस्ताक्षर कराये गये थे उस समय बताया गया था कि यह मुख्य मंत्री जी के सामने हमको भेजना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सद्भावना से अपने माननीय सदस्य भाइयों और बहनों से यह अपील करना चाहती हूं कि हमारा यह प्रदेश हमारे इस देश के अन्दर सूरज की तरह से चमकता रहा है। सन् १८५७ से लेकर उसने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है और आजादी को प्राप्त किया। सदा उसने अपनी शान और अपनी मर्यादा को ऊंचा रखा है। आज हम इसको दो टुकड़ों में बांटकर कमजोर करना चाहते हैं। मुझे तो अफसोस होता है जब मैं यह सुनती हूं कि दूसरे प्रदेश के रहने वाले इस प्रदेश के ऊपर यह ईर्षा करेंगे तो उनकी बात

[श्रीमती प्रकाशवती सूद]

सही समझ में आती है। यदि यह कहें कि यहां के नुमाइन्दे पार्लियामेंट में ज्यादा हैं, यहां के मिनिस्टर वहां बहुत बैठे हैं तो इसमें तो हमें शान मिलती है, इसमें हमें मान मिलता है और इससे हमारा सर ऊंचा होता है। यह उत्तर प्रदेश जब कुर्बानी देने का समय था उसने सबसे बड़ी कुर्बानी दी और आज जब देश के निर्माण का समय आया है तो मुझे यह भी विश्वास है कि यह उत्तर प्रदेश उसी तरह से चमकता रहे जैसा कि सदा चमकता रहा। लेकिन हम तभी अपने प्रदेश का निर्माण कर सकते हैं जब पूरब और पश्चिम के सब भाई और बहन मिल कर इस देश का निर्माण कर सकें। जहां इस हुकूमत के मंत्रिगण, वे चाहे पूरब के रहने वाले हों या पश्चिम के रहने वाले हों, मुझे यह सुन कर भी खुशी हुई है और हर भाई ने यह कहा कि जब वे इस मंत्रिगद पर बैठ जाते हैं तो सारे प्रदेश को एक ही दृष्टि से देखते हैं। कुछ मेरे भाइयों ने यह भी कहा है कि रुहेलखंड का तो एक भी मंत्री नहीं है और हमारे मेरठ जिले के तीन मंत्री हैं, लेकिन फिर भी वे इसका विभाजन चाहते हैं। मुझे यह सुन कर बड़ी खुशी हुई और मेरा सर ऊंचा हुआ कि मेरे मेरठ जिले के रहने वाले मंत्री सारे प्रदेश के जिलों को उसी तरह से देखते हैं जिस तरह से मेरठ को देखते हैं। मुझे उन मंत्रिगण से कोई शिकायत नहीं है। यदि वे एक बार मेरठ जिले को इगनोर भी कर दें और दूसरे जिलों की उत्थान के लिये वे सहायता कर दें तो मैं कम से कम उनमें हूंगी कि उनकी पीठ ठोंक कर यह कहूं कि आपने हमारी वह शान रखी जो शुरू में पहले अपने प्रदेश और देश के लिये त्याग करने के लिये शान रखा करते थे। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस भवन के माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहती हूं कि इस राम और कृष्ण की भूमि को एक रख कर उस गंगा और यमुना के बीच में बसने वाले प्रदेश को खंडित न करें और उन शहीदों के खून की याद करें, मैं उन रानी झांसी की याद दिलाना चाहती हूं जिसने इस प्रदेश की शान और आन को ऊंचा उठाने के लिये अपना बलिदान दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा न कहते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा) (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन बदनसीब आदमियों में से हूं जिन्हें पश्चिम का होने का अवसर मिला है। जब से यह चर्चा चली तब से मुझे इस बात को सुन करके और अनुभव करके कि इस प्रदेश के टुकड़े होने की कल्पना की जा रही है सचमुच में आन्तरिक कष्ट हुआ। वह दिमाग से ताल्लुक रखता था या नहीं रखता था मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन वह बहुत अन्दर तक मुझे चोट करती थी और बहुत पुराने जजबात को ठेस पहुंचाती थी, इतना मैं निर्भीक होकर सच्चाई के साथ कह सकता हूं। मैंने बहुत ध्यान से वह दलीलें सुनीं जो इसके पक्ष में दी गयी हैं और जितने ज्यादा जोर के साथ, जितना अपने अन्दर भाव भर कर उन दलीलों को दिया जाता था मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि मेरा सर शर्म से नीचे झुकता चला जाता था। लोगों ने कहा कि पश्चिम का पैसा पूरब में खर्च हुआ। थोड़ी देर के लिये मैं इसको मान लेता हूं कि ऐसा हुआ लेकिन किसी भाई ने यह न कहा कि पश्चिमके लोग भूखों मरते थे, नंगे फिरते थे, उनकी भूखमरी और नग्नता का खयाल न करके पूरब के लोग जो मौज में रहते थे उनके लिये यह किया गया और उनके साथ पक्षपात किया गया और इस तरह से उनको ऐश आराम से रखा गया। सब जानते हैं और हमारे पूर्वी जिलों की यह बदकिस्मती है कि वह बहुत गरीब हैं, वहां दुख ज्यादा है, विपत्ति है, कष्ट है और अगर हम एक प्रदेश, एक राष्ट्र होने का दम भरते हैं तो फिर विपत्ति के समय जो हमारे में अच्छे हैं, धनी हैं वह उन गरीबों की मदद के लिये नहीं दौड़ते हैं तो फिर यह उपहास नहीं है तो क्या है? और क्या हम फिर एक होने का दावा कर सकते हैं? जितनी ही यह बात दोहराई जाती है उतनी ही हमारी मानवता को ठेस लगती है और हमें शर्म मालूम होती है अगर केवल यही कहा जाता कि पश्चिम में लोगों को कष्ट है, उधर निगाह नहीं की जाती है, अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, तो बात किसी हद तक समझ में आ सकती थी, लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि पश्चिम की तकलीफ को नजर-

अन्दाज किया गया और पूरब में ही सारी हमदर्दी और सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दिया गया। जब यह सब बातें की जाती हैं तो लोग यह भूल जाते हैं कि वास्तव में यह सरकार दस साल की अभी मुश्किल से हुई है और उस दस साल के भी कुछ साल प्रारम्भ के लड़ाई झगड़े और मारकाट में खत्म हुये और उसको रोकने में हमारा काफी समय और धन व्यय हुआ। बहुत सी शिकायतें की गईं और कहा गया कि हमारे यहां शिक्षा नहीं हुई और यह नहीं हुआ, बहुत सी इसी तरह की शिकायतें की जाती हैं। तो कम से कम मैं यह कह सकता हूं कि शिक्षा के ही क्षेत्र में इसी सरकार ने पांच-पांच हजार स्कूल एक-एक साल में खोले हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां इस सरकार के जमाने में खोली गईं? अगर इस सरकार के जमाने में खोली गईं तो एक और वह भी रुड़की में खोली गई। मैं फिर यही कहूंगा कि इस प्रकार का दृष्टिकोण नीचे ले जा सकता है जब दोनों भाई बराबर के हों और एक भाई की थाली में अगर दो चीजें अधिक आ जायं तो एक भाई कह दे कि अब हम भाई-भाई न रहेंगे, एक न रहेंगे लेकिन यह बात उचित नहीं हो सकती और यह सरासर गलत चीज है। यह नहीं हो सकता कि एक भाई को कमजोर होने के कारण ठोकर मार कर निकाल दिया जाय और इस तरह से हमेशा के लिये और सदियों के लिये प्रदेश के टुकड़े करने की बात सोची जाय।

यह कहा गया कि और देशों में तीन-तीन चार-चार करोड़ की बड़ी-बड़ी नेशन्स हैं, इंगलैन्ड है, फ्रांस है, जर्मनी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा इसके दूसरे पहलू को भी देख लें कि सौ-सौ साल तक उन देशों की लड़ाई चलती रही कभी-कभी वह लगातर ३०-३० और ७-७ साल तक चलती रही और आज भी चलती रहती है। जर्मनी की हुकूमत को भी एक करने की बात सोची गई। यह जो हम तीन-तीन करोड़ के टुकड़े बनाने की बात सोचते हैं लेकिन उसको बनाने में दिलों के भी टुकड़े हो जाते हैं, दिमागों के भी टुकड़े हो जाते हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं। यह माननीय सदस्य जिस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से काम करते हैं उनकी नजर संकीर्ण हो जाती है और जिस समय वह यहां आ कर बैठते हैं तो उन्हीं के दिल और मेंटल होराइजन विस्तृत हो जाते हैं। इन छोटी-छोटी चीजों में अगर हम जायेंगे और रात दिन उनका मनन करेंगे और सोचेंगे तो यह बदकिस्मती की बात होगी। हेयूमेन नेचर ऐसी है कि हम खुद भी छोटे हो जायेंगे। अगर मेरा बस चले तो १६ तो क्या मैं तो सात आठ से अधिक प्रदेश बनाना नहीं चाहूंगा मेरी यह राय अपनी जगह पर है। सौभाग्य से हम आज बड़े प्रदेश के नागरिक हैं और मैं यह दावा और चैलेंज कर सकता हूं कि बड़े-बड़े प्रदेशों का प्रबन्ध छोटे प्रदेशों से बहुत अच्छा रहा है, जिस समय हमारे पड़ोस में मारपीट हो रही थी उस समय यू० पी० ने पंजाब को बचा लिया और जिस समय दिल्ली में गदर मचा उस समय भी यदि यहां के लोग मदद को न जाते तो शांति का स्थापित होना नामुमकिन था। सूबा बड़ा था उसके रिसोर्सेज काफी थे इसी वजह से हम अपना कुछ योग ऐसे समय में दे सके यह हमें न भूल जाना चाहिये। इसके अलावा और दूसरे तर्क दिये गये हैं। मैंने उन्हें भी बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश की।

इस मूवमेंट के सबसे बड़े नायक हैं हमारे माननीय श्रीचन्द्र जी। मैंने खास-तौर से उनके प्रवचन को बड़े ध्यान से सुना। लेकिन किस कदर विरोधों का उसके अन्दर समावेश किया गया, और उनके जैसा योग्य आदमी इसे न देख सके यह आश्चर्य की बात है। लेकिन मेरे खयाल में सिवाय इसके कि एक बात की लगन जब लग गई तो सब चीज उसमें ठीक मालूम होती है। दूसरा कारण इसका मैं कोई नहीं समझ सका। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि रेल, तार और हवाई जहाज के जमाने में बड़ी आसानी से यातायात की सुविधा प्राप्त हो सकती है। श्रीचन्द्र जी ने जवाब में फर्माया कि यह सब चीजें मिनिस्टरों के लिये ही काम में आ सकती हैं। दूसरे क्षण उन्होंने कहा कि मिनिस्टर एक जगह से दूसरी जगह बड़ा प्रदेश होने से आ जा नहीं सकते हैं। और इसीलिये सूबा अलग होना चाहिये। अगर यह सुविधायें उनको सुलभ हैं तो क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। कितने आदमी यहां पर आते हैं हम लोगों से मिलने के लिये क्या वह दूर होने की वजह से कम आते हैं?

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

जो यहां आते हैं, वे कितने फीसदी हैं उसके मुकाबिले में जो लोग जाते हैं अयोध्या, मथुरा में, कुम्भ मेले में, जो हरिद्वार जाते हैं, प्रयाग जाते हैं वे लाखों की तादाद में, साल भर में इधर से उधर जाते हैं। तो अगर यातायात का सवाल है अगर वह दिक्कत है तो वह दिक्कत दूसरी जगह ज्यादा है बनिस्बत राजनीतिक मामलों में। फिर जिस समय मध्य भारत और मध्य प्रदेश की बाबत कहा गया कि जो सूबा होने जा रहा है उसे बड़ा दें तो श्रीचन्द्र जी कहते हैं कि बड़ा सूबा आबादी से होता है विस्तार से बड़ा नहीं होता है। साथ ही कहते हैं कि यातायात के कारण साधनों की कमी है। इससे उत्तर प्रदेश के दो हिस्से होने चाहिए। यातायात के साधन तो मध्य प्रदेश में तो कहीं कम है। उन सूखे इलाकों में, उन रेगिस्तानी इलाकों में यातायात की ज्यादा मुसीबत है। अगर वहां बड़ा राज्य बनना ठीक हो सकता है तो उत्तर-प्रदेश जहां रातों रात एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, तो उसके बड़ा सूबा बनने में कोई कठिनाई की बात नहीं है। एक भाई तो यहां तक कह गये कि उत्तर प्रदेश के टुकड़े इसलिए होने चाहिये कि हमारे कौंसिलर्स रेजिडेंस का सैनिटेशन खराब है यानी सड़क के इस पार एक राज्य और सड़क के उस पार दूसरा राज्य। तो यह दूरी का तर्क कोई तर्क नहीं हुआ। एक भाई मैठाणी साहब ने कहा कि पहाड़ों पर कुछ काम नहीं हुआ, न मालूम कितने सालों में १० मील की सड़क बनी है। मैंने सोचा सचमुच बड़ा अन्याय हो रहा है बेचारे गरीब पहाड़ियों के साथ, वे मारे गये। मैं भी बदकिस्मती से पहाड़ का हूं। तो मैंने उसी समय आंकड़े निकलवाये, और देखे। मैं देखता हूं कि जो सारा खर्चा हुआ है उसका १० फीसदी पहाड़ों पर खर्चा हुआ है जबकि वहां की आबादी मुश्किल से सब मिलाकर ३०, ४० लाख से ज्यादा नहीं होती है। अब आप खयाल कीजिये कि कहां तक हमारे विचार चले जाते हैं। हमारे दीनदयालु जी ने फर्माया कि हिन्दी बोलने वाला अम्बाला का प्रांत है और न मालूम कितनी मुसीबत उन पर आ रही है और जब इस समय एक भाषा के लोगों को एक जगह रखना चाहते हैं तो क्यों नहीं हम उन गरीबों का खयाल रखते हैं? वे बहुत सताये जा रहे हैं, वे ज्यादा तकलीफ में हैं, लेकिन वे उसी क्षण भूल जाते हैं कि दूसरे हिन्दी वाले भी हैं जिनका संबंध सिख और पंजाबी एरिया से पड़ता है जो बाकी वहां बच जायेंगे उनका क्या हस्र होगा और पंजाबी सूबा अगर बनाना पड़ा तो आप उन्हें इस शेर के मुंह के सामने कर देंगे। यह जायज नहीं है। उनके साथ शायद इंसाफ नहीं होना चाहिये। सिर्फ थोड़े से जो अम्बाला डिविजन में हिन्दी बोलते हैं उन्हीं के साथ इन्साफ हो। वे भी हिन्दी बोलते हैं जो आज आन्दोलन कर रहे हैं कि पंजाबी सूबा न बने, उन लोगों के लिये अम्बाला के भाइयों की वजह से राहत है, उन्हें कुछ हिम्मत बंधी हुई है। अगर उन्हें भी निकाल लेंगे तब तो बिल्कुल ही ऐसा हो जायगा जैसे शेर के सामने बकरी को छोड़ दिया जाय। तब आपका दिल और मुहब्बत करना कहां चला जाता है। अगर उन्हें आप बुरा समझते हैं तो इस दृष्टि से मेरे भाई देखें। मेरे भाई जो बगल में बैठे हैं गौतम जी ने भी एक बड़ा भारी तर्क दिया कि जो जिस जगह का मिनिस्टर होता है वह वहां का खयाल ज्यादा रखता है। शायद उनका अनुभव ऐसा ही हो।

श्री मोहनलाल गौतम—वह वहां की बातों को ज्यादा समझ सकता है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शायद ऐसा ही कहा हो। मैं कभी-कभी थोड़ा गलत समझ जाता हूं। बदकिस्मती से इसका श्रेय हमारे मुख्य मंत्रीजी को नहीं है। यह तो फाइल मुद्दत से चल रही थी। इसकी मांग चल रही थी। उनके सौभाग्य से उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी स्वीकृति आ गई और मैं भी उन्हीं दिनों नया-नया पी० डब्ल्यू० डी० में गया था। मेरा भी उसमें थोड़ा हाथ था, तो मैंने उद्घाटन के समय कहा था कि यह तो मुख्य मंत्री जी का और मेरा सौभाग्य है कि यह जो वर्षों से चीज लटकी हुई थी उनके जमाने में हो गई और उनको श्रेय मिल गया। बनारस वाले यह समझेंगे कि वे मुख्य मंत्री हो गये इसलिये हो गया लेकिन सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। वर्षों से फाइल चल रही थी और एक तरह से बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया। मिनिस्ट्री का उसमें क्या था। बहन प्रकाशवती जी की एक बात इतनी प्रिय लगी कि जो मिनिस्टर होता है वह किसी

खास जिले का मिनिस्टर नहीं होता, वह किसी खास पार्टी का मिनिस्टर नहीं होता। जहां तक उचित मांगों का सवाल है वह सारे प्रदेश का है। हर एक का उसके ऊपर अधिकार है। कोई यह नहीं कह सकता कि तुमने मेरे खिलाफ वोट दिया था लिहाजा तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कोई मिनिस्टर यह नहीं कह सकता और अगर यह आर्ग्युमेंट है कि हम किस डिस्ट्रिक्ट के हैं और किस के नहीं तो फिर ५१ डिस्ट्रिक्ट हैं, ५१ मिनिस्टर बना लीजिये। आपके हाथ में है। बजाय ५१ के १०० बना लीजिये। जहां पर दो हों उनमें से एक देहरादून चला जायगा और एक किसी दूसरी जगह से चुना जायगा। यह कोई मुश्किल बात नहीं है। ये चीजें बड़ी आसानी से हल हो सकती हैं। कोई इसमें कठिनाई नहीं है। अगर एक विचित्र नारायण को खत्म करके या दूसरे को हटा करके सूबा रह सकता है तो कौन शर्म की बात है, कौन आंसू बहाने की बात है। मिनिस्ट्री चली जायगी यह बहुत नीची बात है। यह खयाल तो आपके दिमाग में भूल कर भी नहीं आना चाहिये था। मैं समझता हूं कि जो खास-खास बातें सार की उधर से कही गई थीं, वैसे तो बहुत-सी बातें कही गईं और उन सबका जवाब देना एक आदमी के लिये मुमकिन नहीं है और न मैं समझता हूं कोई जरूरी भी है। लेकिन इतने व्याख्यान सुनने के बाद जो सार मुझे लगा मैं समझता हूं कि उसमें उनका जवाब हो जाता है और मैं चाहूंगा कि हमारे भाई इस दृष्टि से इसको देखें। इस समय किसने कितनी गलती की और किस मिनिस्ट्री की मार्फत इंसाफ नहीं हुआ, ये सारी बातें ऐसी हैं जो आर्जी हैं, थोड़े समय की हैं, स्थायी नहीं हैं---जमाना बदलता रहेगा और पार्टी पोलिटिक्स के हिसाब से चीजें होती रहती हैं---दूसरी मिनिस्ट्री आ गई तो दूसरी तरह से चीजों को देख सकती हैं, लेकिन सूबा आपने एक दफा बांट लिया, अपनी ताकत को घटा लिया तो फिर दोबारा आप नहीं जोड़ सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से बराबर उठक-बैठक के बाद जो मुझे आपने इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रश्न पर विचार करने का समय दिया उसके लिये मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे हार्दिक दुख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के इस राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रस्ताव का मुझे विरोध करना पड़ रहा है।

मैं हर्गिज भी माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध न करता, यदि मुझे उनका भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ होता। यदि प्रस्ताव का स्वरूप ज्यों का त्यों होता जिसमें उन्होंने कहा कि पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें थोड़ा बहुत हेरफेर के बाद, उन्हें रिपोर्ट स्वीकार है। लेकिन छोटे-मोटे हेर-फेर में इन १६ जिलों की मांग को जो सन् १९२० से गांधी जी, नेहरू जी और जयप्रकाश जी के सामने रही, जिसके लिए यह कमीशन मुकर्रर हुआ। जब यह कमीशन नियुक्त हुआ तो हमें आशा थी कि वह हमारी इस पुरानी, ऐतिहासिक और आवश्यक मांग पर जरूर विचार करेगा। मैं यह समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे इन १६ जिलों की मांग को ही अपने प्रस्ताव में रखे हुए हैं। लेकिन जब मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के विस्तृत भाषण को सुना, मैं इस पूर्व पश्चिम के झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। यह पूर्व पश्चिम का सवाल तो मंत्रियों ने स्वयं पैदा कर लिया है और इस सवाल को उठा कर, इस गम्भीर और ऐतिहासिक प्रश्न को इस विधान सभा में उलझा दिया है। यह हमारी रांड निपूती की लड़ाई है। यदि भगवान को यही मंजूर है कि हमें रहना पड़ा तो बजट के अवसर पर और दूसरे अवसरों पर लड़ते झगड़ते रहेंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की उन दलीलों को जरूर यहां काटना चाहूंगा, जो उन्होंने इस हैसियत से दी कि पश्चिमी जिलों की नहरों पर पहले ही रुपया

[श्री रामचन्द्र विकल]

लगा दिया गया है। मुझे दुःख होता है कि मुख्य मंत्री जी ने सच्चाई से कोसों दूर अपने को रखा है और साथ में एक तुर्रा और लगा दिया। उन्होंने कहा कि यदि विभाजन हुआ तो वह कर्जा तुम्हें देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, होशियार दीवालिया यही किया करता है। वह सारी सम्पत्ति अपने बेटे, अपने बेटे की बहू और अपनी बेटी के नाम लिख देता है। फिर दीवालिया बन कर कह देता है कि हम गरीब हो गये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सच्चाई को छिपाने में जरा भी संकोच नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप कृपा करके जानबूझ कर ऐसा आक्षेप मत करें।

श्री रामचन्द्र विकल--माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो हमारी नहरों की आमदनी है उसको उन्होंने छिपाने की कोशिश की।

श्री अध्यक्ष--मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें नीयत पर हमला होता है। सच्चाई छिपाने की कोशिश की या झूठ बोले, इस तरह के शब्द नहीं आने चाहिए।

श्री रामचन्द्र विकल--मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि जब हमारी नहरों से आमदनी है इसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यदि तुम्हें यहां से जाना पड़ा तो वह घाटा किन जिलों के नाम लिखा जायगा। चाहे वह किन्हीं कारणों से आज तक कर्जा नहीं दिया, मैं सहर्ष यह बात कहने के लिए तैयार हूं कि इस ऐतिहासिक और आवश्यक मांग को अगर स्वीकार किया जाय तो भले ही वह कर्जा कितना हो, हम उस कर्जे को देने में समर्थ होंगे।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात और कही जिसकी चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूं। उन्होंने कहा कि विन्ध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा हमारे सूबे में मिला दिया जाय। उन्होंने यह भी चर्चा की कि वहां की जनता बराबर दिल्ली जा रही है, वहां के नेता बराबर जा रहे हैं, इसलिए उनकी यह मांग मालूम होती है कि उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। लेकिन इन तीन दिनों में इस सदन में जितने भी माननीय सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया कि विन्ध्य प्रदेश का वह हिस्सा उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय, वहां की जनता यह चाहती है, इसके लिये उन्होंने कोई जनमत नहीं लिया। कैसे चाहती है। और हम १९२० से बराबर एजीटेशन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, लेकिन हम से कहा जाता है कि जनता की यह मांग नहीं है। जुलाई, १९४६ में एक कानफ्रेंस शाहदरे में हुई थी, जयप्रकाश जी की अध्यक्षता में। वहां पर पूज्य बापू भी विराजमान थे, उस सभा में, करीब २५ हजार के हाजिरी थी। उसमें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ था कि दिल्ली के डेढ़ सौ मील के चारों तरफ के एरिया को मिला कर एक नया राज्य बनाया जाय। और मुझे यह कहने में दुःख होता है कि हमारे पश्चिमी जिलों की इस मांग को, जिसका स्वर्गीय आसफ अली और देशबन्धु गुप्त ने समर्थन किया, इसको उचित और सही समझा था और कांग्रेस के हाई कमांड ने हमेशा इस बात को उचित कहा। जैसा कि गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि जब हमारा प्रदेश पूर्ण स्वतन्त्र हो जायगा तो यह राज्यों के पुनर्गठन का सवाल, जो कि एक घरेलू सवाल है, इस घरेलू सवाल को घर में बैठकर हल कर लेंगे। गांधी जी के इस आश्वासन के बाद, हमारी इस ऐतिहासिक मांग पर हमें पूरी आशा थी कि कमीशन गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास था।

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ लोगों ने जनमत सम्बन्ध में बातें कहीं मैं उनके चैलेंज को स्वीकार करता हूं। ९७ विधायकों के हस्ताक्षर को किन कारणों से वापस कराया गया। मैं कहता हूं वहां के जनमत की राय वह है, जो हमारे पश्चिमी जिले के विधान सभा के मेम्बर ने दस्तखत करके दिये। उनकी सचमुच राय वही है जिस पर उन्होंने

दस्तखत किये। अगर कोई भी विधायक यह कहता है कि मैंने भूल से हस्ताक्षर किये, मैंने अनजाने में हस्ताक्षर किये, तो मैं समझता हूं कि वह सच्चाई से बिल्कुल दूर है। हमारे मुख्य मंत्री का वह कार्टून, जो हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे, पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त, वह मेरे पूज्य हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उनका वह कार्टून जो अखबार में निकला था, जिसमें वह लंगोट बांधे हुए हैं और हाथ में डंडा लिये हुए हैं, वही इन हस्ताक्षरों को वापस कराने वाले थे। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उनके भारत के गृह मंत्री होने की बात चल पड़ी। आज इस सदन के अन्दर भाई-भाई का उदाहरण दिया गया, घरेलू झगड़े की बात का उदाहरण दिया गया। मैं हर चीज को घरेलू मसला नहीं समझता, न भाई-भाई के सम्बन्ध का मसला इसमें आता है और यदि आता है तो मैंने पूछा था पंत जी से, उनसे मैंने दिल्ली में कहा था कि पन्त जी, यह पूरब, पश्चिम नाम के दो बेटे हैं, एक जगह रहने में इमकान नहीं नजर आता, होशियार व समझदार बाप का यह काम है कि अलहदगी की भावना पैदा हो जाय तो उन्हें वह झगड़े का मुंह न देखने दे, अदालत में न जाने दे, किसी किस्म का झगड़ा पैदा होने के पहले ही वह उन्हें खुद अलग कर दे।

(इस समय ४ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

क्या इसमें दिक्कत है? कुछ लोगों ने इस सवाल को विभाजन कह कर पाकिस्तान से इसकी मिसाल जोड़ने की कोशिश की, यह बड़ी बेजा होशियारी की बात है। मैं इसको पुनर्गठन कहता हूं और इस पुनर्गठन में देश की एक इकाई होकर हम रहेंगे। देश से बाहर चले जाने वाली तो कोई बात है नहीं। मुझे भारत के गृह मंत्री व प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और कांग्रेस अध्यक्ष श्री धेबर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मेरी समझ में नहीं आता कि इस कमीशन के सदस्य सरदार पणिक्कर को, जो इतिहास का सच्चा ज्ञाता है, जो देश के भविष्य का सच्चा ज्ञाता है, जो किसी के प्रभाव में नहीं आ सका, उसको यहां चाणक्य और क्या-क्या उपाधियां दी गईं और जो अन्य मेम्बर हैं जिनमें कुंजरू साहब मौजूद हैं, फजल अली साहब बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं बिहार के बारे में राय देने में असमर्थ हूं, क्योंकि मेरा यहां से सम्बन्ध रहा है, मगर कुंजरू साहब आगरे से सम्बन्ध रखते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा, बल्कि जब मैं लखनऊ में कुंजरू साहब से मिला था तो मोदी-नगर की फैक्ट्री की मिसाल उन्होंने मेरे सामने दी थी और उन्होंने गवर्नमेंट की वह लिस्ट मेरे सामने रख दी। मैंने कुंजरू साहब से यहां लखनऊ में कहा था कि रहने दीजिए इस लिस्ट को, मुझे यह सब अच्छी तरह मालूम है। मैं जनता के बीच में भी रहता हूं और सरकार के बीच में भी रहता हूं, यह जो लिस्ट बना कर सरकार ने आपको दी है फर्जी है, इसका चौथाई आइटम भी सही नहीं है जो जनता के बीच काम हुआ है। यह तो जब से यह एक मांग पैदा हुई है तब से अखबारों में और रिपोर्टों में मन्त्रियों ने यह बेजा तौर पर प्रचार किया है। यह मैंने उनसे कहा था। कुंजरू साहब से मैंने साफ-साफ कहा था कि हमारी बात ध्यान से सुनकर आपको हमारे खिलाफ फैसला देने का हक है। मगर जब मुझे मालूम हुआ सबसे पहले दफा अखबारों से कि कमीशन से पंडित जवाहरलाल नेहरू, पं० गोविन्द वल्लभ पन्त और श्री धेबर साहब मिल चुके हैं, रिपोर्ट जाहिर करने से पहले ही, तो उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी संकीर्णता है, यह मेरा एक बहुत छोटा खयाल है, मैंने उसी वक्त सैकड़ों लोगों से कहा था कि कमीशन अब निष्पक्ष नहीं रह गया है क्योंकि मुझे पन्त जी का यहां का रवैया मालूम था।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अगर आक्षेप के तौर पर कुछ न कहें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रामचन्द्र विकल---इससे बड़े-बड़े आक्षेप पणिक्कर साहब पर हो चुके हैं, लेकिन उससे बड़े सबूत मैं देता हूं। मैं जिस आधार पर यह कहता हूं·····

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं जो बातें रिपोर्ट में नहीं हैं उनको नहीं कहना चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल---उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन·····

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, मैं समझता हूं कि चेयर से जो आपको आज्ञा दी जाती है उसको मान लेना चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल---कोई ऐसी बात तो इसमें नहीं है। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिला, २७ अक्तूबर को, मेरे साथ और भी साथी थे जब हम उनसे मिले। मैंने एक सवाल किया था आखिर में उठते वक्त, कि पंडित जी आज से दो-तीन साल पहले आपने एक बयान दिया कि यू० पी० के दो टुकड़े हो जाने चाहिये, आपकी क्या राय है। उन्होंने हंसते-हंसते यह कहा कि मेरे से यू० पी० के चार टुकड़े हो जायं, मुझे कोई परवाह नहीं है। और उसके बाद पं० जवाहरलाल नेहरू ने सूरत में जाकर अभी एक भाषण दिया, उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि यू० पी० के चार टुकड़े और दो टुकड़े हो जायं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं मानता हूं, लेकिन पंडित जी की इस खुली हुई राय के बावजूद आज उत्तर प्रदेश की उस ऐतिहासिक मांग के खिलाफ फैसला होता है, तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि पंडित जी की आज इस देश में चलती नहीं है ? यह बात तो बिल्कुल तथ्यहीन होगी, अगर कोई यह कह दे कि उनकी नहीं चलती, वह जो चाहें कर सकते हैं। मैंने तो स्वयं पंडित जी से कहा था कि पंडित जी, कमीशन की रिपोर्ट से हमारी जनता में जरा भी उद्विग्नता, उच्छृंखलता और असंतोष नहीं है। मैंने २७ तारीख को उनसे कहा था कि जनता ने सुप्रीम कोर्ट आपको समझ लिया है और वह चुपचाप बैठी है। काश, अगर आपका फैसला हमारी जनता की स्वाभाविक मांग के खिलाफ हो गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो चुपचाप बैठ जायेंगे, तुम जानो और तुम्हारी जनता जाने, हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन बावजूद इसके हमारे यहां आज यह सवाल पूर्वी और पश्चिमी जिलों का उठाकर उस झगड़े में फंसा देना है। यह कि हम संकीर्ण हैं इन झगड़ों में, देश के वफादार नहीं हैं, फौजों में बुरी भावना फैलेगी, इस प्रकार के झगड़े खड़े किये जाते हैं।

मैं आज यह कहना उचित समझूंगा कि आज हमारे वित्त मंत्री ने पश्चिम के होने का दावा किया, हमारे विचित्र नारायण जी ने पश्चिम का होने का दावा किया और एक नागरिक होने का दावा किया, मगर जब कमीशन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स और मेरठ में दौरा कर रहा था तो एक-एक मिनिस्टर ने क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं, मुझे दुख होता है। और जब विचित्र भाई की शर्म से आंखें गिरती हैं, वह उस चीज को भूल गये। मैंने हाफिज इब्राहीम के खत पढ़े हैं, जिनको पढ़कर उनकी आंखें शर्म से गिर गयीं। उन्होंने मैजिस्ट्रेट और दूसरे मुसलमान सज्जनों को क्या-क्या लिखा है ? उसको पढ़कर उनकी आंखें ऊंची नहीं हुईं। हमारे पश्चिमी मंत्री, जिन्होंने हरिजनों के सामने क्या, हिन्दू के सामने क्या, मुसलमान के सामने क्या, इस किस्म की भावनाएं भड़काईं, जिससे देश का पाप हो सकता है या देश का कलंक हो सकता है। आज इस प्रदेश में प्रांतीयता नहीं है, इस प्रदेश में संकीर्णता नहीं है, इस प्रदेश के लोगों में बेजा उदारता है, इस प्रदेश के लोग दूसरों को जगह देने वाले हैं, ये तमाम बातें कही गईं। आज केंद्र में कितने मंत्री हैं, यह आज उपाध्याय जी ने चर्चा की, अन्य लोगों ने भी चर्चा की। मुझे और उपाध्याय जी को यहां उस पर गर्व हो सकता है कि केंद्र में हमारे इतने बड़े मिनिस्टर हैं, मगर क्या देश के सभी लोग इसी भावना से सोचते हैं जिस भावना से मैं और उपाध्याय जी सोचते हैं ? सारे देश की पुकार है कि उत्तर प्रदेश के लोग सारे देश पर राज्य शासन करते हैं और इन भावनाओं की वजह से सारे देश में एक विषमता पैदा हो गयी है। तो क्या उत्तर प्रदेश के अन्दर बैठ कर हम यह सोचें कि हम तो उत्तर प्रदेश के इसलिये बड़े हैं कि हमारे केंद्र में पंडित नेहरू हैं, पंडित पंत जी हैं, कैलाशनाथ काटजू, अजित प्रसाद जैन, महावीर त्यागी और सतीश भाई वहां पर मौजूद हैं और फलां-फलां मिनिस्टर मौजूद हैं। इसलिये

यह हमारे लिये ठीक नहीं है कि हम अपनी मांग रख सकें, इस चीज को हम अपने घर में बैठ कर सोचते हैं, दूसरे लोग इसका दूसरा रूप लेते हैं। वह अपनी योग्यता के आधार पर चुने गये हैं, यह और वह अपनी और बातों के आधार पर चुने गये हैं, मगर जब हम इस दृष्टि से सोचते हैं तो दूसरों को इस दृष्टि से सोचना पाप क्यों समझते हैं। साथ ही साथ जब हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं और अपनी तारीफ करते हैं तो दूसरों को स्वाभाविक ईर्षा होती है, जब हम कहते हैं कि पंडित नेहरू हमारे यू० पी० ने पैदा किये हैं इस कारण से दक्षिण में लोगों के अन्दर एक दुर्भावना पैदा हो गयी, जिसको रोकने का उपाय हमको सोचना पड़ेगा कि हमें इस प्रदेश को, देश को, इसलिये ऊंचा रखना है कि हम इस देश को इकट्ठा रख सकें। जहां तक निर्माण के कामों की आज चर्चा की गयी, मेरा यह निश्चय मत है कि देश का निर्माण जितना छोटी इकाइयों में आज हो सकता है, बड़ी इकाइयों में देश का शासन ठीक नहीं चल सकता और न उतना चल रहा है।

आज सड़कों की चर्चा की गयी और अपनी तारीफ की गयी। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर अपनी तारीफ मुझे भी अच्छी लगती है, मगर क्या आज वह सड़क इस योग्य है कि दिन में भी उन पर चला जा सके। आज अपने मुंह मियां मिट्ठू भले ही कोई बन ले, लेकिन मुझे तो वही कहावत उचित मालूम होती है कि अवगुण अपने देखो और गुण दूसरों के देखो, तभी उत्थान होगा। आप यहां बैठ कर दूसरों की बुराई करते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, हम बहुत बड़े हैं, हमारे कारनामे बहुत बड़े हैं, यही एक चीज है जो इस उत्तर प्रदेश के शासन में सुधार नहीं होने देती। आज मैं अनेक बातें निर्माण की और दूसरी रखने को तैयार हूं। तो मैं बहुत अदब से इस सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यह एक ऐतिहासिक मांग है, यह कोई पाकिस्तानी मांग नहीं है, यह बटवारे का सवाल नहीं है, यह भाई-भाई के जुदा होने का सवाल नहीं है। हम इस नये प्रदेश को देश की इकाई बनायेंगे और इस देश के झंडे के नीचे रहेंगे। और यदि देश के साथ वफादारी का कोई पैमाना आप रखना चाहते हैं तो मैं इसी समय बलिदान का एक अहदनामा लिखने को तैयार हूं। फौज में भरती होने की जरूरत हो तो हमारा बुलन्दशहर जिला हिन्दुस्तान में मशहूर है मगर उससे चार गुना फौज के लिये सिपाही देने को तैयार हूं। देश पर कोई आर्थिक संकट हो तो मैं अपने गरीब जिले से धन देने को तैयार हूं, मगर इन दलीलों से हम बहकने वाले नहीं हैं।

*श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं दो दिन से जो कमीशन की रिपोर्ट सदन के सामने उपस्थित है उसके बारे में जो वाद विवाद हो रहा है उसको सुन रहा था। उपाध्यक्ष जी, मुझे दुख होता है और दुख के साथ में थोड़ा सा क्रोध भी आता है। क्रोध का लफ्ज मैं इसलिये इस्तेमाल करता हूं कि उसका भुक्तभोगी मैं स्वयं हो चुका हूं। जिस समय देश के बंटवारे का प्रश्न, पाकिस्तान के बनने का सवाल पेश था तो सर्वप्रथम प्रयाग में बटवारे का पदार्पण हुआ। जब हमारे यहां आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जलसा हो रहा था उस समय यह सवाल इलाहाबाद में माननीय राजगोपालाचार्य जी ने कमेटी में रखना चाहा था। उस समय तक मैं कांग्रेस का पूरा हामी था। मेरा पूरा सहयोग कांग्रेस के कार्य में था। परन्तु जिस दिन मुझे यह मालूम हुआ कि बटवारे का प्रश्न प्रयाग से शुरू होगा उस समय से मैंने उसका विरोध शुरू किया और विरोध यहां तक हुआ कि मुझे स्टेशन के ऊपर उसी दिन काले झंडे से स्वागत करना पड़ा और तीन दिन तक संघर्ष रहा। तो मैं जब कभी बटवारे का शब्द सुनता हूं तो मुझे वे पुरानी घटनायें याद आ जाती हैं। इसलिये पूर्व और पश्चिम के नाम पर जो बटवारे का नाम लिया जाता है वह अगर न लिया जाय तो अच्छा होगा। हां, प्रांत के पुनर्गठन का शब्द अगर इस्तेमाल होता तो अच्छा था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्याण चन्द मोहिले]

श्रीमन्, शिकायत का जहां तक प्रश्न है तो सबसे ज्यादा शिकायत हमारे प्रांत के लोगों को होनी चाहिये न कि पूर्व और पश्चिम को कि हमारे प्रांत के ८ मंत्री लोक सभा में बैठे हुये हैं मगर हमारी मांगों को ठीक तरीके पर वहां नहीं रखते हैं। यह शिकायत अगर होती और उसकी चर्चा सदन में होती तो बहुत अच्छा था। परन्तु इसको छोड़कर हम दूसरी उलझनों में उलझ गये हैं और जो बहस हुई उसका नतीजा इस प्रांत में किस रूप में भुगतना पड़ेगा और पता नहीं इस प्रांत की क्या दशा होगी? मुझे इससे बहुत क्लेश होता है। श्रीमन्, जहां तक प्रांत का प्रश्न है, प्रांत का बटवारा होना किसी भी दशा में ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रांत जैसा कि पणिक्कर साहब ने भी कहा है सब से बड़ा है। शिक्षा के संबंध में जरूर कहा कि यहां बहुत कमी है। इसका दारोमदार किसके ऊपर है। इसका दारोमदार हुकूमत के ऊपर है, हमारे नेताओं पर है। अब जो शासन चल रहा है, मैं चाहूंगा अपने शहर या जिले के दृष्टिकोण से न देखकर प्रांत के दृष्टिकोण से देखना बहुत ही सुन्दर होगा।

श्रीमन्, शिकायत तो हमें होनी चाहिये कि हमारे जिले के चार-चार मिनिस्टर हों लोक-सभा में वहां की दशा दिन प्रति दिन गिरती चली जा रही है। वहां पर जो दफ्तर हैं उनको हटाया जा रहा है और हाई कोर्ट की शाखायें खोल रहे हैं, इन सबकी शिकायत अगर हो सकती थी तो हमको हो सकती थी परन्तु हमने शिकायत के रूप में न रख कर उसके विरुद्ध दूसरा तरीका अपनाया और जनता का मत संग्रह किया। यहां पर पश्चिमी जिले वालों की जो नीति है अगर जनता का मत होता तो इस चीज के यहां आने की आवश्यकता ही न होती, श्रीमन्, मैं ज्यादा न कह कर यह कहूंगा कि जिन हाथों में हुकूमत की बागडोर है अगर उन्होंने अपना दृष्टिकोण ठीक रखा होता तो यह पश्चिमी जिलों की शिकायत ही न होती। अंत में मैं यह कहूंगा कि जो सुझाव विन्ध्य-प्रदेश को मिलाने के लिये आया है, तो अगर वह हिस्सा चाहता है तो अवश्य मिला दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह) (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न इस आदरणीय सदन में पिछले कई दिनों से विचाराधीन है, वह बहुत महत्व का है। ऐसे ही प्रश्न पर थोड़ा सा विचलित हो जाने से जो पिछले कुछ सालों में हुआ, देश का बटवारा हुआ और जो खून-खराबी हुई, उससे सब वाकिफ हैं। इसी प्रश्न पर बम्बई प्रांत में थोड़ी सी गर्मी आ जाने से जो कुछ हुआ उससे भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति कभी भी गौरव प्रतीत नहीं करता। इस प्रश्न पर ठंडे दिल से विचार किया जाय और निर्णय किया जाय तो देश की उन्नति में यह सहायक हो सकता है। इसलिये इस प्रश्न पर बोलने में थोड़ा संकोच होता है कि कहीं ऐसा न हो कि आवेश में कोई ऐसा शब्द निकल जाय जिसका दुष्परिणाम हो। बहरहाल जो प्रश्न सामने हैं उसमें मुख्य संशोधन भाई श्रीचन्द जी का है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न कमीशन के सामने उपस्थित हुआ। कमीशन ने अपना निर्णय उन साथियों के विरुद्ध किया। फिर यह प्रश्न कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने गया और उसने भी अपना निर्णय उन साथियों के विरुद्ध दिया। आज इस आदरणीय सदन में इस प्रश्न की स्थिति ऐसी है, जैसी कि किसी सेकिन्ड अपील की हो और जब तक कोई बहुत ठोस दलायल इस विभाजन के पक्ष में न हों, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को न मान कर मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव को ही स्वीकार करें।

श्रीमन्, मुख्य बात यह है कि इस प्रश्न के पीछे कितनी जनता है। मेरे मित्रों में तो कई मित्रों ने यह कहा कि प्लेबिसाइट हो जाय और तमाम जनता इसके लिये परेशान है। यह कहना उचित नहीं है कि उन्होंने ठीक बात नहीं कही है, लकिन मैं केवल इस प्रश्न की हिस्ट्री का ब्यौरा देना चाहता हूं। बहुत चर्चा यहां हुआ कि पूज्य बापू जी का आशीर्वाद प्राप्त

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था इस मांग को। पिछली दफा जयपुर सेशन में कांग्रेस की एक कमेटी बैठी थी जिसके मेम्बर श्री जवाहरलाल जी, वल्लभ भाई पटेल और डा० पट्टाभिसीतारमैया थे। उस कमेटी ने इस बात की चर्चा स्पष्ट रूप से की है कि शुरू में जब कांग्रेस ने यह निर्णय दिया कि भाषावार प्रान्त बनाये जायं उस समय उसके सामने इस प्रश्न की प्रेक्टिकल दिक्कतें नहीं थीं, चुनाचे जो आश्वासन कभी पहले कांग्रेस ने दिया होगा उस कमेटी ने उसको मोडीफाई किया और फिर उस कमटी की रिपोर्ट को आल इंडिया कांग्रेस ने मंजूर किया। तो मैं नहीं समझता कि यह कहां तक मुनासिब है कि हम हर बात में गांधी जी को जामिन बना लें।

यह कहा जाता है कि यह आंदोलन बहुत पुराना है। बहरहाल, श्री पणिक्कर जी ने, जो इस विभाजन के सपोर्टर हैं, अपनी रिपोर्ट में केवल दो बातें लिखी हैं। एक तो यह कि इस विभाजन के पक्ष में भी कुछ लोग हैं। उन्होंने यह नहीं लिखा कि बहुमत इसके पक्ष में है। और दूसरे यह लिखा है कि यह मांग नयी है। यह नहीं कहा कि यह पुरानी मांग है। बहरहाल, वह संस्था जिसका जिक्र इस भवन में कई बार हुआ और जो सन् २० से इस विभाजन की मांग करती चली आई हो, जिसको पूज्य बापू का आशीर्वाद प्राप्त रहा हो कैसे इतनी कम मशहूर रही कि जिसका पता उसके, इस विभजन के चीफ सपोर्टर साहब को भी नहीं रहा। मुझे मालूम है, एक कमेटी थी दिल्ली में, लेकिन उसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के विभाजन से नहीं था। स्वर्गीय आसफ अली साहब उसके कार्यकर्त्ता थे। लेकिन मैं अपने मित्रों से पूछता हूं कि कब उसकी मीटिंग हुई, उनका स्वर्गवास हुए तो बहुत दिन हुए।

एक सदस्य—आप उसके मेम्बर थे या नहीं ?

श्री फूलसिंह—नहीं था। आप थे। सन् ४६ का चर्चा भी हमारे कुछ साथियों ने किया। सन् १९४६ में मैंने और चौधरी चरणसिंह जी ने निमंत्रण भेजा था कि एक प्रान्त इस प्रकार का बनाया जाय। इसके लिये मीटिंग कांस्टीट्यूयेन्ट असेम्बली में हुई और उसमें यह निश्चय हो गया था कि बड़ी गलती हो गई यह मीटिंग बुला कर। उस मीटिंग में मैंने तो तोबा कर ली कि आइन्दा ऐसा नहीं करूंगा। मेरे बहुत से साथी उस मीटिंग में से चले आये मगर मेरे दोस्तों को यह गुमान रहा कि इस पक्ष के यू० पी० में बहुत लोग हैं। चुनांचे मैंने तो झगड़ा नहीं किया। अब तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तक बात है, उस मीटिंग में गांधी जी तक बात पहुंच गई थी। दोबारा मीटिंग मेरठ में हुई। मैं और मेरे साथी वहां नहीं गये, लेकिन वे उस मीटिंग में हार गये और वह दफन हो गई। इतना सपोर्ट विभाजन का उन जिलों में प्राप्त है। कौन-कौन जमातें देश में विभाजन के पक्ष में हैं ? सूबा कांग्रेस कमेटी तो है नहीं। किसी जिला कांग्रेस कमेटी ने भी ऐसा प्रस्ताव पास करके नहीं भेजा। सोशलिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी, जन संघ, क्रिश्चियन्स भी विभाजन के पक्ष में नहीं है। लेकिन हमारे कुछ दोस्त पश्चिमी जिलों के हैं। दो कमेटियां बैठी थीं एक तो लिन्गुइस्टिक प्राविन्सेज कमेटी जो कि कन्स्टीट्यएण्ट एसेम्बली ने बनाई थी जिसका नाम दर कमेटी था। उसने सन् ४८ में निर्णय किया कि अगर किसी विभाजन के पक्ष में मैजारिटी भी हो और एक स्ट्रांग माइनारिटी खिलाफ हो तो विभाजन नहीं होना चाहिये। दूसरी एक कमेटी कांग्रेस ने मुकर्रर की थी जिसके सदस्य पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डा० पट्टाभि थे। उन्होंने कहा कि अगर नये सूबे बनाते भी हों और उसके किसी इलाके के किसी मुताल्लिक दो राय हों तो उसे निकाल देना चाहिये। अगर यह भी मान लिया जाय कि उनका मत बहुत अधिक है तो कौन से उसूल पर आप कहेंगे कि नया प्रान्त बना दिया जाय। कांग्रेस वाली कमेटी ने यह तय किया कि अगर नया प्रान्त बनाने में यह निश्चय हो कि नया प्रान्त बनाने से सारे देश का बड़ा भारी उपकार होगा बावजूद उन कठिनाइयों के, जो नया प्रान्त बनाने में पड़ती हैं, तब यह कदम उठाया जाय। क्या माननीय सदस्य बिलकुल यकीन करते हैं कि इस नये कदम से बड़ा भारी उपकार होने वाला है ?

यह कहा गया कि यू० पी० डामीनेट करता है। इसके मुख्य सपोर्टर पणिक्कर साहब हैं। वे विभाजन चाहते हैं इस प्रदेश का। उन्होंने अपने सारे नोट आफ डिसेन्ट में कुल ४–५

[श्री फूलसिंह]

लाइन लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि यू० पी० डामीनेट करता है, डामेनेशन के दो मानी हैं। एक तो यह कि इनकी संख्या ज्यादा है और अपनी वोटों का नाजायज फायदा उठाते हैं, पार्लियामेंट में। इस तीन दिन की बहस में कोई एक मिसाल ऐसी नहीं बतलाई गई कि जिससे यह शुबहा होता कि यू० पी० ने फलां नाजायज फायदा उठाया और न पणिक्कर साहब ने कुछ लिखा। क्या यू० पी० के पन्त जी या पंडित जवाहर लाल नेहरू सेण्टर में डामीनेट करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि सूबा कट जाने से क्या उनका असर कम हो जायगा? इन्टरनेशनल वर्ल्ड, रूस और अमरीका में कौन मेम्बर यू० पी० के हैं, जो वहां उनका इतना आदर होता है? आदमी का बड़प्पन सूबे की आबादी से नहीं होता है। वह उससे बंधा हुआ नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो कुछ पणिक्कर ने लिखा वह एक हसद की बात थी, यू० पी० से। हमारे दोस्त भी यदि यह कहते हैं कि हमको भी पाकिस्तान समझ लो तो पाकिस्तान वाले भी तो यही कहते थे और उसका नतीजा हमने भुगत लिया। यह दलील शोभा नहीं देती कि तकसीम ही हर चीज का इलाज है।

दूसरी दलील है कि सूबा बड़ा है। ये मेरे मित्र जो पश्चिमी जिलों के मेम्बर हैं वे पहले दिल्ली प्राविन्शियल कांग्रेस कमेटी के मम्बर थे। मेरठ व मुजफ्फरनगर दिल्ली सूबे के मेम्बर थे, तब यू० पी० प्राविन्शियल कांग्रेस कमेटी का आफिस इलाहाबाद में था। अब जब यू० पी० में आ गये तो क्या अब लखनऊ, इलाहाबाद से दूर पड़ता है? अगर उनको दिल्ली में रहना पसन्द नहीं था और यू० पी० में आना पसन्द था तो बावजूद इसके कि यू० पी० का हेड क्वार्टर इलाहाबाद में था तो आज कौन वजह हो गई कि ये साथी फिर यू० पी० गवर्नमेंट से भागना चाहें जब उसका हेड क्वार्टर लखनऊ हो गया? एक मेरे मित्र जयदेव यात्री थे जो २ दिन से ज्यादा कहीं नहीं ठहरते थे। अगर मेरे मित्रों के साथ भी ऐसी बात है तो दूसरी बात है। भाषा की बात कही गई। मेरे मित्र शास्त्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। अम्बाला और सहारनपुर की एक जबान है और मेरा घर अम्बाला में है। बहुत पुरानी बात है। मगर उसके बावजूद भी मैं अपन मफाद को सूबे के ऊपर नहीं लगाना चाहता हूं। शास्त्री जी का अम्बाले में घर अभी हुआ है, मेरा बहुत पुराना है। यह बात अम्बाले और सहारनपुर में ही है या यू० पी० के सरहद के सारे जिले की जबान दूसरे सूबों से मिलती जुलती है। यदि ऐसा है तो क्या सबको शामिल करने का इरादा है? क्या यह वाकया नहीं है कि हिन्दी स्पीकिंग प्राविन्सेज कितने ही हैं? तो क्या इन सबको, राजस्थान, यू० पी०, बिहार इत्यादि को मिला कर एक सूबा बनाना है? तो यह दलील बहुत या कुछ भी असर रखने वाली नहीं है।

एक बात और मुख्य कहने वाली है कि यह भी कहा गया कि रिआयत होती है। मैं इसकी तरदीद नहीं करता हूं, लेकिन अगर रिआयत की बिना पर तकसीम चाहते हैं तो क्या हमारे साथी इस बात के लिये तैयार हैं कि वे नये प्रदेश में किसी जिले या तहसील की ऐसी शिकायत नहीं होने देंगे? यदि ऐसी शिकायत उनके नये प्रदेश में हुई तो क्या वे उस इसी बिना पर महज फिर और बांट कर कुछ नये प्रदेश बनाने के लिये तैयार होंगे? ये तमाम बातें हमारे वास्ते सोचने की हैं। मेरे साथी मुझे बतलावें कि अगर बेइन्साफी पश्चिमी जिलों के साथ ही होती है तो क्या इसका यही इलाज है कि अलग-अलग हो जावें? इस विभाजन के बाद आपको फिर उन जिलों का पेट भरना पड़ेगा। किसी ने कहा था चुनाव के समय कि यह कांग्रेस वाले बहुत रिश्वत खाते हैं और उनको वोट की मदद न दी जाय। तो फिर जवाब किसी ने दिया था कि इनको ही वोट देना चाहिये नहीं तो जो नये अयेंगे उनका भी पेट भरना होगा। इस प्रकार से हमेशा पेट ही भरते रहोगे। तो जो जिले मिलायें जायेंगे उनको भी खिलाना होगा। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि अभी कुछ दिन तक और उन पूर्वी जिलों का पेट भरते रहें जिनके लिये आपने अभी तक रियायत की है बजाय उनके जिनको आप अपन में शामिल करना चाहते हैं। इसलिये मेरा खयाल है कि जो दलील इसके लिये दी गयी है उसमें कोई तथ्य नहीं है। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि

यह प्रश्न जिन्दगी और मौत का सवाल है। दुनिया के सब लोग यह देखना चाहते हैं कि ८ साल के अमन व अमान से क्या वह यह भूल गये कि सन् १९४७ में क्या हुआ था? हम लोगों को दुनिया आज देखने लगी है और थोड़ी सी तरक्की में हमको मगरूर नहीं हो जाना चाहिये जिससे एक साथ भी न बैठ सकें। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी साथी इस प्रश्न पर बहुत ठंडे दिल से विचार करेंगे और इत्तिफाक़ करने की कोशिश करेंगे। यह तो यहां तक हुआ कि हमें इस देश में कोई आदमी ऐसा मालूम नहीं पड़ता जो निष्पक्ष हो, तो फिर भगवान् के ही फैसला करने का काम है। मेरे खयाल में जो भी किसी के विचार हों, राय हों और तजवीज़ हो उसको बहुत संयम के साथ रखने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं चीफ मिनिस्टर के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर बहस होते हुये तीसरा दिन है और माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार की रायें प्रकट की हैं, लेकिन जो तथ्य और सार इस बहस का निकल रहा है वह बहुत निराशाजनक है और वह सार भावना प्रधान ज्यादा है और उसमें तथ्य की कमी है। श्रीमन्, आज यह सदन एक अजीब परेशानी से गुजर रहा है। आज तक रवैया इस बात का रहा है कि जो कोई बात इस सदन के सामने रखी गयी है उसकी मुखालफत अपोजीशन की तरफ से सिद्धान्तत होती थी और आज यह नई बात प्रतीत होती है कि अपोजीशन वाले जनरली इसको सपोर्ट कर रहे हैं और अपोजीशन कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ता जाता है। कांग्रेस का दल उसका विरोध कर रहा है।

(इस समय ५ बज कर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आज तीन प्रकार की भावनाओं का परिचय इस सदन में दिया गया। एक दल इस बात के पक्ष में है कि विभाजन किया जाय। दूसरा दल इस पक्ष में है कि विभाजन न किया जाय और कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरन अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते यद्यपि वे दिल से विभाजन के पक्ष में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी बात को छिपाना या दबाना गलत बात होगी। मैं कोई मोटिव लेकर आक्षेप के रूप में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। यह स्पष्ट है कि पूर्वी जिलों के लोग विभाजन के पक्ष में नहीं हैं और जहां तक मैं स्पष्ट समझता हूं वे इस बात को महसूस करते हैं कि अगर विभाजन हो गया तो इन पूर्वी जिलों के जो पिछड़े हुये हिस्से हैं उनको इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी कि आज वे पा रहे हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी कैबिनेट के जितने मंत्रिगण हैं वह सब विभाजन के विपक्ष में हैं। तीसरी बात को विकल जी ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के अन्दर रहने पर और विचारधारा के अलग हो जाने पर किस तरह से उनको गुजरना पड़ता है। किस तरह से पहले पश्चिमी जिले के लोगों ने दस्तखत किये और फिर वापस लिये। यह परेशानी हमारे सामने मौजूद है तो दो बातें स्पष्ट मालूम पड़ती हैं कि विभाजन के विपक्ष में यहां की एक पावर पालिटिक्स काम कर रही है और दूसरी स्वार्थ की भावना। पुराने मुख्य मंत्री (पन्त) जी ने तो यह कहा था कि यह राम कृष्ण की भूमि है इसका विभाजन नहीं हो सकता। उसके बाद जो कृषि मंत्री जी का भाषण हुआ उसमें उन्होंने कहा कि यहां छोटे और बड़े भाई की बात है कि छोटे भाई को बड़े भाई को नहीं छोड़ना चाहिये। मैं नहीं समझता कि ऐसी भावनापूर्ण दलीलें इस सदन के सामने देने का क्या मतलब है। श्री पणिक्कर की रिपोर्ट की बाबत बहुत सारी बातें कही गयी हैं, लेकिन विभाजन के लिए जो आवश्यकीय दलील है उसमें किसी ने छींटाकशी या आक्षेप नहीं किया है। सारी दलील यह है कि श्री पणिक्कर साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यू० पी० का केन्द्र में ज्यादा बहुमत है और इससे सब लोग नाराज हैं। लेकिन श्रीमन्, उसके संबंध में इस सदन में यह भाषण दिया गया है कि लोक सभा में बावजूद हमारे प्रतिनिधियों के होने के भी हमारे राज्य को पूरी इमदाद नहीं दी गयी है। आर्ग्यूमेंट के लिये अगर कहा जाय तो इस

[श्री सत्यसिंह राणा]

बात को कह सकते हैं कि फिर क्या जरूरत है कि वे प्रतिनिधि वहां बहुमत में रहें। बहरहाल यह दलील कोई ज्यादा असर नहीं रखती। मैं सिर्फ इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि श्री पणिक्कर साहब ने जो शिक्षा और सोशल सर्विसेज पर, पर कैपिटा एक्सपेंडीचर की बातें कही हैं उसका प्रतिवाद किसी ने भी नहीं किया है। श्री विचित्र नारायण शर्मा जी ने बतलाया कि एक साल में ५ हजार स्कूल खुले लेकिन स्थान का नाम उन्होंने नहीं बतलाया। श्री परिपूर्णानन्द जी ने सड़कों के बनने की बात कही लेकिन वे सड़कें कहां बनीं, कितनी बनीं इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं बतलाया और इस सम्बन्ध में भी कुछ नहीं बतलाया कि आज भी बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां सड़कों का निर्माण बिल्कुल नहीं हो सका है, वह क्यों नहीं हो पाया? यह भी कहा गया है कि डिवीजन के लिये यहां के लोगों की डिमांड ही नहीं है। इस कमीशन की रिपोर्ट को लेकर विन्ध्य प्रदेश और बम्बई में जैसा हाल हो रहा है अगर यह असेम्बली लखनऊ में न बैठ कर कहीं मेरठ में बैठती तो आपको मालूम हो जाता कि असलियत क्या है। मैं तो चाहूंगा कि इसी प्रश्न पर रेफरेंडम करा लिया जाय, प्लेबिसाइट करा लिया जाय कि पब्लिक की पापुलर डिमांड क्या है। मैं समझता हूं कि पब्लिक की पापुलर डिमांड को ठुकराना घातक है? रूस के उदाहरण दिये गये हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब अपने फायदे की बात होती है तब तो रूस आदि कम्युनिस्ट कंट्रीज के उदाहरण पेश कर दिये जाते हैं और जब अपने फायदे की बात नहीं होती है तो उन कम्युनिस्ट कंट्रीज की निन्दा की जाती है। वहां पर तो टोटलिटेरियम गवर्नमेंट है। लेकिन जब आपके यहां डेमोक्रेटिक सेट अप है तो डेमोक्रेसी का यह सिद्धान्त है कि आप लोगों को फ्रीडम आफ स्पीच देना चाहते हैं। उसके लिये यही ठीक है कि जितने छोटे-छोटे यूनिट होंगे अच्छा प्रबन्ध हो सकेगा। हमारे पहाड़ी प्रान्तों के जो रहने वाले हैं वे इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते हैं। माननीय नेगी जी ने ठीक ही कहा था कि टेहरी से बलिया कितना दूर पड़ जायगा। मैं इस सदन के सामने इस बात का भी बयान कर देना चाहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वायंट आफ व्यू से, रिमोट कंट्रोल आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से इतनी बड़ी स्टेट का रहना ठीक नहीं होगा। हमारे प्रधान मंत्री ने भी पार्लियामेंट में इस प्रकार का आभास दिया था कि यू० पी० अनविल्डी है और यू० पी० के चार टुकड़े भी कर दिये जायं तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। तो इस सम्बन्ध में पणिक्कर साहब ने अपने नोट में लिखा है कि इतना बड़ा स्टेट नहीं रहना चाहिये, ठीक लिखा है। मैं समझता हूं, कि इस वक्त पार्टी डिसिप्लिन की वजह से भले ही इसका डिवीजन न हो लेकिन आगे चल कर इसका डिवीजन नहीं रुक सकता। वह जमाना आयेगा जब कि इसका डिवीजन होकर रहेगा। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना आवश्यक समझता हूं। साथ ही साथ मेरी शिकायत भी है कि पूरब और पश्चिमी जिलों के साथ-साथ उत्तर में जो पहाड़ी प्रान्त है उसके बारे में कमीशन ने विचार करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। मैं नहीं जानता कि कमीशन ने हिमांचल और पंजाब के लिये तो विचार प्रकट किया, एक हिली यूनिट बनाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया। उनका कहना है कि इसके लिये किसी की डिमांड ही नहीं थी। मैं नहीं जानता कि ऐसा उन्होंने कैसे कह दिया कि इसकी डिमांड नहीं की गयी जब कि इसी सदन के हम लोग जो पहाड़ी प्रान्तों के एम० एल० एज० हैं, हमने एस० आर० सी० के पास एक मेमोरेंडम भेजा था और जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि मुल्क के हित में कांगड़ा, हिमांचल, गढ़वाल, देहरादून, टेहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा यानी चम्बा से लेकर अल्मोड़ा तक का एक पहाड़ी स्टेट बनाया जाय, क्योंकि इन सब के बीच में एक रीति-रिवाज है, उनके भाषा-सामंजस्य और कल्चर को देखते हुए बहुत ठीक होगा। श्रीमन्, एस० आर० सी० ने अपनी रिपोर्ट में नेशनल सेक्योरिटी के प्वाइंट को बड़ा महत्व दिया है और वे इस बात पर जोर देते हैं कि

अगर बार्डर पर कोई स्टेट कायम रहनी है तो वह कोई छोटी स्टेट न हो। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की कोई हिल स्टेट बनाई जाय तो मुनासिब होगा, लेकिन यहाँ हमारे इस मेमोरेन्डम की सपोर्ट में हिमांचल प्रदेश वालों ने मांग की थी और टेहरी-गढ़वाल और देहरादून तथा गढ़वाली सभा की तरफ से भी इस तरह की मांग की गई थी। कल ही इस सदन में माननीय मैठाणी जी ने और चन्द्र सिंह जी ने इसका समर्थन किया था और यद्यपि महाराजकुमार बालेन्दु शाह जी ने उसका समर्थन पूरी तौर से नहीं किया, लेकिन उनका मत भी स्पष्ट ही था, वह भी चाहते हैं कि रीजनल आटोनामी होनी चाहिए और पावर का किसी तरह से डिसेन्ट्रेलाइजेशन होना चाहिए वह भी डिवीजन के पक्ष ही में हैं। हमारे जितने पहाड़ की तरफ के लोग हैं वे डिवीजन के पक्ष में हैं। हालांकि अल्मोड़ा और नैनीताल के लोगों ने एतराज किया था और कहा था कि हम तो यू० पी० के अंग ही रहना चाहते हैं और वह सही भी है। टेहरी और गढ़वाल से वहां तक कोई सीधा रास्ता नहीं है और नीचे मैदान में होकर वहां जाना होता है और दूसरे डिवीजन के पश्चात् जो स्टेट रह जाती है उसको एक हिल स्टेशन भी चाहिए, इसलिए नैनीताल का रहना ठीक ही है और बार्डर एरिया भी है इसलिए वह उधर रह सकते हैं, लेकिन पणिक्कर साहब ने जो स्टेट बनानी चाही है उसके साथ मैं राजी नहीं हूं। उनकी स्टेट मालूम होता है बगैर सिर के है। अगर उनकी स्टेट के साथ देहरादून, टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल जोड़ दिया जाय तो ठीक हो सकता है। श्रीचन्द्र जी का सुझाव सही है। हिमांचल प्रदेश अगर श्री फजल अली के नोट के अनुसार सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड रखा जाय तो हम समझते हैं कि यह चीज कोई डेमोक्रेटिक नहीं है और हम उसके माफिक नहीं हैं और इस तरह की चीज ठीक नहीं है। जैसा सुना गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कुछ ऐसा निश्चय किया कि हिमांचल प्रदेश अलग स्टेट रहे लेकिन जैसा कि कमीशन ने कहा है कि बार्डर में छोटी स्टेट न रहनी चाहिए, मेरा सुझाव है कि हिमांचल प्रदेश का एक प्रान्त देहरादून गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल को लेकर बनाना चाहिए और अगर यह सम्भव न हो तो मैं श्रीचन्द्र जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सब से पहले तो हिमांचल प्रदेश के बारे में अगर वर्किंग कमेटी ने तय कर दिया कि वह रहेगा तो उसके लिए दूसरा रास्ता नहीं सिवा इसके कि उसमें देहरादून, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल को उसी में जोड़ दिया जाय, नेशनल सिक्योरिटी इसी में हो सकती है, लेकिन अगर हिमांचल प्रदेश बदकिस्मती से पंजाब में गया तो यह सही है कि जिस पश्चिमी प्रान्त का श्रीचन्द जी ने सुझाव दिया है उसके साथ देहरादून, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल को मिला दिया जाय। मैं इस बात से इसलिए सहमत हूं क्योंकि हमारा इलाका लखनऊ के मुकाबले में उससे नजदीक पड़ता है और दूसरे वह खुशहाल इलाका है और उधर जाने से हमें विकास का मौका मिलेगा। इन कारणों से भी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम उधर जाना चाहते हैं। हमारे यहां के लोगों के बारे में जैसा कि श्री नरदेव शास्त्री जी ने पहले ही कहा है कि वे इस स्टेट के ढांचे में रहने को तैयार नहीं हैं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम अपनी केंद्रीय सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जो भाषावार राज्य के संकल्प को ले कर उन्होंने एक कमीशन नियुक्त किया। भाषा का सबसे बड़ा और भारी प्रश्न है और उसी के आधार पर हम एक सुदृढ़ शासन स्थापित कर सकते हैं। यह भाषा का प्रश्न आज का प्रश्न नहीं है, आज से हजारों वर्ष पहले इस देश के अन्दर जब आर्य संस्कृति थी तब उसमें जीवन और जगत् को देखने का जो एक दृष्टिकोण है जिसे हम संस्कृति कहते हैं उसके नाम पर भारतखंड स्थापित किया था और उसके अलावा हमने केवल ४ खंड स्थापित किये थे, एक काशीखंड था, एक नर्मदाखंड, उत्तराखंड था और उज्जैन खंड था। नर्मदाखंड के दक्षिण की ओर हम दक्षिण की दृष्टि से देखते थे और भाषा के आधार पर नर्मदा से उत्तर की तरफ उज्जैन तक उत्तराखंड और वह उत्तराखंड तो काशीखंड के अन्तर्गत आ जाया करता था। हमारी दृष्टि सदा भाषा के

[श्री रामलखन मिश्र]

ऊपर रही है। भाषा के आधार पर ही एक सुदृढ़ संगठन, शासन का, कर सके हैं और एक बात हमें और स्मरण रखनी चाहिये कि राज्यों के क्रमिक विकास में आदि मानव जाति का जब शासन बना था हमने एक प्रतिज्ञा की थी उस समय कि शासन को बनाने के बाद हम समाज को शिक्षित कर देंगे, हम मानवमात्र को शिक्षित कर देंगे, समाज में इतनी शिक्षा ला देंगे कि फिर शासन की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी, लेकिन इतिहास ऐसा बताता है कि शासन बढ़ता गया और समाज पर शासन का चाहे वह किसी प्रकार का शासन हो बहुत बड़ा प्रभाव हो गया है और उसमें समाज को शिक्षित करने के लिये भाषा ही एक माध्यम था। इस कारण से सृष्टि के प्रारम्भ से ही हमें भाषा के ऊपर विशेष जोर देना पड़ा है और भाषा के ऊपर ही हम राज्यों का निर्माण करते हैं। तो इस भाषा के प्रश्न को लेकर जो कमीशन नियुक्त हुआ वह हमारे देश के अन्दर एक बहुत ही पुनीत कार्य हुआ है लेकिन इतने पुनीत, पवित्र यज्ञ के पीछे माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने की आज्ञा दें कि राजनीतिज्ञ लोग इसको एक्स्प्लायट कर रहे हैं और वे इसका जहां पर उपयोग होना चाहिये नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिये मैं उत्तर प्रदेश को ही ले लेना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में भाषा का कोई प्रश्न नहीं है। भाषाओं की जो बात यहां उठाई गई ब्रजभाषा आदि की वह तो भाषा की शैलियां हैं वह भाषा स्वयंमेव नहीं है। सौ वर्षों से तो इतना हिन्दीकरण हो गया है कि सब में संकरत्व आ गया है जैसे वर्णसंकर, भाषासंकर और खाद्यसंकर सब में संकरत्व आ गया है। भाषा का अर्थ है "भा" से भाव को प्रकट करना और "स" से सार को ग्रहण करना है। तो हमारे प्रदेश के अन्दर जहां सदियों से काशीखंड से लेकर नर्मदा के उत्तर की तरफ की हम सारी भाषाओं को समझ लेते थे तो इस समय भाषा के प्रश्न को लेकर प्रदेश को विभाजित नहीं कर सकते। जितने ब्रजभाषा या अन्य भाषाओं का नाम लिया गया हैं वह भाषा नहीं है शैलियां हैं और मैं इसको दोहराता हूं कि इस तर्क को समझने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। अगर इन्हीं को भाषा मान लिया जाय तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म-स्थान है और जहां से मैं चुनकर आया हूं वहां तो नैपाली भाषा बोलते हैं। वहां "गते" आदि न मालूम कितने शब्दों के प्रयोग होते हैं और जिन शब्दों को यदि मैं आपके सामने रखूं तो उसके लिये एक अलग प्रदेश होना चाहिये और अलग उसका शासन होना चाहिये। यह तो हास्यास्पद है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर विभाजन का प्रश्न आज उपस्थित किया जाता है। इसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम अपने हृदय पर, अपने सीने पर हाथ रख कर देखें, यह बात कैसे किसी के हृदय में आती है। अध्यक्ष महोदय, यह मानव स्वभाव है, ऐसी यह मानवप्रकृति है कि समाज में आगे बढ़ने के लिये, शासन की इकाई में कुछ स्थान प्राप्त करने के लिये राजनीतिज्ञों की यह एक चाल सी है। मैं इसे दोहराना इस सदन के अन्दर कोई पाप नहीं समझता हूं कि जब श्रद्धेय पणिक्कर साहब इधर आये हुये थे तो कुछ भाई उनसे मिले थे तो उन्होंने उनके सामने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा विशाल देश है कि सारे देश पर उसका प्रभाव है। मैं श्रद्धेय पणिक्कर जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूं। उनके ऐतिहासिक ग्रन्थ इतने सुन्दर और इतने उच्चकोटि के हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे श्रद्धेय पणिक्कर जी ने जो स्थान उत्तर प्रदेश को दिया है उनका फैसला उत्तर प्रदेश के लिये नहीं, उनकी दृष्टि उत्तर प्रदेश पर नहीं है, उनकी दृष्टि किसी अपने दक्षिणी प्रदेश पर है, वे किसी और जगह से उसका संबंध जोड़ना चाहते थे क्योंकि वे बड़े ही कलाकार हैं, बड़े ही उत्तमकोटि के इतिहासकार हैं। यह हम लोग बराबर सोचते हैं कि पणिक्कर जी की टिप्पणी के पीछे कोई सत्य होना चाहिये मगर उसके अन्दर कोई सत्य दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात अवश्य है। जो तर्क उन्होंने दिये हैं वह एक मिनट के लिये भी स्थिर नहीं हो पाते हैं।

यदि मैंने आज माननीय विकल जी का भाषण न सुना होता तो मैं अध्यक्ष जी, यह कहने वाला होता कि यह सारा सदन का विवाद केवल आभूषणात्मक है, आलंकारिक है और शोभा की वस्तु है। कुछ लोग हमारे नारदीय नीति, जैसे नारद भगवान उसी लक्ष्य को दूसरी दृष्टि से कहकर उसी लक्ष्य की ओर संकेत करते थे। ऐसा ही हमारे सदस्यगण करते हैं, क्योंकि जो तर्क उपस्थित करते हैं उनके भीतर कोई सिद्धांत नहीं रहता और सिद्धांतहीन तर्कों का

उत्तर देना बड़ा कठिन होता है। जो तर्क उपस्थित किये जाते हैं उनसे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाता कि इस प्रदेश का विभाजन होना चाहिये। जितने तर्क यहां उपस्थित किये गये उनमें अनेक माननीय सदस्यों ने छोटे स्तर की बातों का उल्लेख किया, जैसे हमारे मंत्री दौरे पर नहीं जाते या अमुक क्षेत्र में अमुक समाचार पत्र का प्रभाव अधिक है, इत्यादि इत्यादि। ये ऐसी बातें हैं जिनको मैं इस सदन में दोहराना नहीं चाहता। उनको कह कर विभाजन का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जैसे किसी घर में नाखुशी का इजहार दो भाई करते हैं और चूल्हे और चक्की का जिक्र वे करते हैं और इस तरह की चर्चा यहां करके इस सदन की शोभा बढ़ाना नहीं है। मैं समझता हूं कि मानव स्वभाव में इस प्रकार नाखुशी का इजहार करना स्वाभाविक है और कभी-कभी यह बातें मनुष्य को आगे भी बढ़ाती हैं पर इस समय इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रदेश के बटवारे के प्रश्न पर जिस प्रकार कि श्री पणिक्कर जी ने टिप्पणी दी है, इस प्रकार सोचना शोभनीय नहीं है। उन्होंने भाषा का नाम तक नहीं लिया। भाषा को छोड़ दिया जाय तो मेरा दावा है मनुष्य जो है, एक जीवित प्राणी है---उसके अन्दर बुद्धि, अहंकार, गर्व, द्वेष तथा क्रोध सभी कुछ हैं। एक जीवित सत्य है। कोई ईंटों का ढांचा नहीं है। किसी जनसंख्या के आधार पर हम बांटने का तर्क नहीं कर सकते और जितने तर्क हैं जैसे समृद्धि का जहां तक प्रश्न है, शासन की कुव्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, ये सब कंप्रेटिव टर्म्स हैं। किस शासन में अधिक सुव्यवस्था है यह तो बिल्कुल एक कंप्रेटिव टर्म है। इसके कोई स्थायी मानी नहीं होते। इन सब आंकड़ों को सामने रख लें और जिन-जिन दृष्टियों को रखकर इस सदन के अन्तर्गत विभाजन का प्रश्न रक्खा गया है उसमें मैं कोई सत्य नहीं देखता हूं, कोई तथ्य नहीं देखता हूं। न इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रदेश का विभाजन किया जाना चाहिये। विभाजन का मुख्य आधार भाषा के प्रश्न पर होना चाहिये। भाषा के प्रश्न पर आज से हजारों वर्ष पहले कहा गया है "कृण्वध्वम् विश्वमार्य्यम्।" सारे संसार में आर्य संस्कृति को फैला दो। और इस दृष्टि को सामने रखते हुये जब कभी भारत का विभाजन किया था जैसा दोहरा चुका हूं वहां ४ खंड किये थे और वहां भाषा का प्रश्न था। भाषा का प्रश्न मुख्य प्रश्न है लेकिन भाषा का प्रश्न उत्तर प्रदेश में जैसा कि अभी कह चुका हूं कोई मानने को राजी नहीं होता। एक क्षणमात्र के लिये भी वह लागू नहीं होता। उसके अन्दर एक अरण्य रोदन करना होता है। हमारी तो दृष्टि दूसरी है। मैं तो यह समझता हूं कि हमारे इस सदन की यह बिलकुल एक आभूषणात्मक बहस है। यह तो नारद नीति है। हमारे भाइयों ने जो तर्क उपस्थित किये हैं हमारे ही समर्थन में हैं। ऐसे तर्क उपस्थित किये हैं जिनका मीजान, जिनका गुणा-भाग और जिनका निष्कर्ष यह सिद्ध करता है कि इस प्रदेश का विभाजन नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत से भाई बोलने वाले हैं लिहाजा मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो मेरे और भाइयों ने तर्क में उपस्थित की हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विभाजन का विरोध करता हूं और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री शिवस्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का तो हामी नहीं हूं कि किसी मसले को तय करने के लिये किन्हीं बड़ी चीजों की दुहाई दी जाय। मैं इस बात का भी हामी नहीं हूं कि किसी मसले को तय करने के लिये गोलियां डाल ली जायं। ठीक उसी तरीके से मैं इस मसले को भी बौद्धिक रूप देता हूं। इस मसले पर मैंने देखा कि गंगा और यमुना, राम और कृष्ण की दलीलें दी गईं और दुहाई दी गई, लेकिन मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूं। मेरा निवेदन यह है कि इस मसले पर जब हमने गौर किया तो जिस समय यह कमीशन की रिपोर्ट शाया हुई, यह नकशा हमारे सामने अखबारों में आया और उसको देखा तो उस समय फौरन ही मुझ पर एक असर पड़ा और मैंने यह महसूस किया कि जिस आशा से कमीशन नियुक्त किया गया था शायद वह आशा पूरी नहीं हुई। इसके लिए मेरा अपना ख्याल था कि कमीशन की नियुक्ति किन्हीं आधारों के ऊपर हुई थी चाहे वह भाषावार, लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारतवर्ष के सूबे बनाये जाते, चाहे आबादी के आधार पर बनाये जाते, चाहे क्षेत्रफल के आधार पर बनाये जाते, कुछ भी

[श्री शिवस्वरूप सिंह]

आधार होता, लेकिन कमीशन को मैंने देखा कि इन बातों में ही सारी बातें चलीं। हमने सूबे के छोटे से छोटे आकार को भी बनते हुए देखा, विदर्भ को हैदराबाद के पास उसकी हंसली के तरीके से बना दिया गया। बड़े से बड़े मध्य प्रदेश को भी हमने देखा। जिसके लिए बड़ा भारी शोर मच रहा है कि यू० पी० बहुत बड़ा प्रान्त है, इसलिए उसको भी दो हिस्सों में बांट दिया जाय। हमने उसी रिपोर्ट में यह भी देखा कि मध्य प्रदेश यू० पी० से भी बड़ा बना दिया गया। तो उसमें हमको कोई आधार नहीं दिखायी दिया। इसके बाद जबकि उस रिपोर्ट में छोटे से छोटा प्रान्त भी बनाया गया और बड़े से बड़ा प्रान्त भी बनाया गया तब यू० पी० के लिए यह कहकर मांग करना कि चूंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है और यह बहुत अनवील्डी है इसलिए इसके टुकड़े कर दिये जायं प्रबन्ध के हिसाब से, मैं इसको कतई मुनासिब नहीं समझता।

अब हमको इसको बौद्धिक रूप से देखना पड़ेगा। मैंने देखा कि तीन रोज से इस सदन में बराबर बहस हो रही है। भाषा के आधार पर इसके दो टुकड़े नहीं किये जा सकते। चूंकि पश्चिम से लेकर पूर्व तक के हम सभी सदस्य लोग यहां पर मौजूद हैं। हम सब एक ही भाषा बोलते हैं। हां, कभी-कभी नेगी जी की भाषा, "भालछो भालछी" वाली बात में कभी फर्क पड़ जाता है। लेकिन वैसे हम भाषा के आधार को इसके डिवीजन का आधार नहीं मान सकते। जितनी भी दलीलें दी गयीं, इस पक्ष वालों की ओर से, कोई ऐसी दलील आकर नहीं टकराती, पुरानी मीटिंगों का जिक्र किया गया, अपीलें की गयीं, लेकिन कोई बात किसी जगह आकर के नहीं ठहरती कि किस आधार पर आखिर इसके दो टुकड़े कर दिये जायं। घूम फिर करके एक ही बात आ करके पड़ जाती है कि यह अनवील्डी है। पणिक्कर साहब तो यह बात कह सकते हैं कि चूंकि यह प्रान्त बड़ा है इसलिये इसका प्रबन्ध ठीक नहीं होता। इसलिए इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में कर दिया जाय। लेकिन इस सदन के बैठने वाले सदस्य यदि यह आधार मान कर इस प्रान्त के दो टुकड़े करना चाहें, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या इस प्रकार की मांग हम अपने आप स्वयं करके अपने ऊपर ही अविश्वास प्रकट नहीं करते? हम इस सदन में ४३१ व्यक्ति आये हुए हैं। इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भले ही चाहे आगे बैठने वाले दस बारह व्यक्तियों पर हो, लेकिन गवर्नमेंट की किसी भी बुराई भलाई से यह ४३१ व्यक्ति आज हट सकते हैं? जब आप इस बात को कबूल करते हैं कि इस सदन के अन्दर अगर कोई जनता के विरोध में काम हो रहा हो या यहां का प्रबन्ध ठीक न हो तो कोई भी एम० एल० ए० अपने को अपने क्षेत्र में इस बात से बचा सकता है कि वह यह कह दे कि इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। श्रीमन्, आज तक का नियम यह रहा है कि हमेशा व्यक्तियों ने आगे को बढ़ना तो चाहा है, लम्बा होना तो चाहा है, बड़ा होना तो चाहा है, लेकिन हमारी मांग बिल्कुल दूसरी है कि हम बढ़ना न चाहकर उल्टे छोटा होना चाहते हैं और जैसा मैंने कहा कि बाहर वाले व्यक्ति यह मांग रख सकते हैं, पणिक्कर साहब कह सकते हैं, दूसरे प्रान्त वाले आदमी कह सकते हैं, जैसी कि दलीलें दी गई हैं कि प्रभुत्व है पार्लियामेंट में, या हम सारे हिन्दुस्तान पर छाये हुए हैं। लेकिन हम अपने आप ही इस बात को कबूल कर लें कि हां, हम सबके ऊपर छाये हुए हैं, सबके साथ अन्याय कर रहे हैं, सबके साथ ज्यादती कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसे बड़े नहीं रहना चाहते और हम अपने आपको छोटा करते हैं, यह दलील अपने लिए मुनासिब नहीं होती। दूसरी बात जो कही जा सकती है मुझे यह और अर्ज करना है कि जो प्रान्त मांगा जा रहा है, उस प्रान्त को आगरा प्रान्त कहा जायगा। आगरा उसकी राजधानी होगी। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि १२ बजे के बाद तो कुछ बुद्धि में फर्क आ जाता है, मेरा निवेदन है कि आगरे में तो २४ घंटे फर्क रहेगा। तो जिस खतरे से कि यहां प्रबन्ध

ठीक नहीं कर सकते इसलिये हम हट करके दूसरी जगह जाना चाहते हैं और जाते वहां हैं जहां २४ घंटे बुद्धि का संतुलन नहीं रहेगा। तो फिर प्रबन्ध कैसे ठीक रहेगा। हां, एक बात जरूर है कि यह पूरब और पश्चिम की बात उठाई गई। बड़े भाई और छोटे भाई की बात कही गई, यह बात मैं भी मानता हूं। अब से तीन साल पहले से जब इस सदन में पूरब वाले व्यक्तियों ने पूरब की मांग पर यहां पर आफत मचा दी तो मैंने उस वक्त यह कहा था कि भाई, जो पूरब का नाम लेकर के आफत मचाई जा रही है, इसका नतीजा आगे को अच्छा नहीं निकलेगा। जो मेरे पूरब वाले साथी हैं रामकुमार शास्त्री हैं, गेंदासिंह हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, मैं तीन साल पहले से कह रहा हूं कि अगर इस तरह से पूरब की मांग लेकर चलोगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। पश्चिम के लिए कहा जाता है कि पश्चिम वाले इसको नहीं देख सकते हैं कि पूरब पर खर्चा हो जाय। मैं इसको दूसरी तरह से लेता हूं। पूरब के एक साहब माननीय गेंदासिंह जी अपोजीशन के नेता हैं। माननीय गेंदासिंह को अगर अपने जिले में किसी नर्स के रखवाने की जरूरत हुई तो वह नर्स के रखने की मांग नहीं करते, यह नहीं कहते कि देवरिया में एक नर्स की जरूरत है, उसके पहले यह कहा जाता है कि पूरब के जिलों में यह हो रहा है, वह हो रहा है, वहां यह हालत है, वह हालत है, उनके यहां यह नहीं है, वह नहीं है, नर्स का इन्तजाम नहीं है, इसलिए वहां एक नर्स दी जाय। तो तीन साल पहले से इसका नतीजा मेरे सामने आ रहा है।

दूसरी बात मुझे अपने पूरबी जिले के भाइयों से यह कहनी है कि कल मेरे यहां के एक सदस्य ने कहा था कि हम डिवीजन रोकवाने के लिए यह कहने के लिए तैयार हैं कि पूरब में कुछ न किया जाय, पश्चिम में ही किया जाय। हम यह कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। मैं यह कहता हूं कि वह तो तयार हैं और हम तो कर रहे हैं तीन साल से। तो हमारा उनका कोई मुकाबिला है नहीं। छोटे भाई और बड़े भाई के लिए मैं आपसे यह कहता हूं कि छोटे भाई की हिफाजत जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर बड़े भाई का कोई लड़का खराब हो गया हो और इन्तजाम खान्दान का छोटे भाई के ही हाथ में हो तो उस लड़के का क्या होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी जिलों की तरफ तो आप चलिए। पश्चिमी जिलों में आप कितने ही प्रान्त, कितने ही टुकड़े ऐसे पायेंगे जिनके लिए यह चैलेंज किया जा सकता है कि पूरबी जिले के खराब से खराब टुकड़े को ले लीजिए और उस प्रान्त के उस टुकड़े को ले लीजिये। मेरा दावा है कि वह टुकड़े ज्यादा खराब निकलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वह पश्चिम में आ गये। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पूरब पश्चिम वाली बात का आधार कहीं दिखाई नहीं पड़ता। अगर मैं कहने लगूं तो मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां रेल, तार, सड़क, बिजली, टयूबवेल, पढ़ाई- का कोई इन्तजाम आप पा नहीं सकते। मजबूत से मजबूत हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, अगर वह चार महीने के दरमियान में मेरी कांस्टीटयूएंसी में जाने की कोशिश करें तो घुस नहीं सकते हैं। चारों तरफ से दरिया घेरे हुए है, वह इन्कार कर देगा कि तुम अन्दर नहीं घुसोगे। लेकिन इसके कहने का मतलब यह नहीं है कि अगर ऐसी बात है तो अब सुधार नहीं होगा। अगर पूर्व की तरफ को गवर्नमेंट का ध्यान विशेष रूप से हो गया तो हो जाय उधर डेवलपमेंट, टाकुरद्वारे और इधर का गैप बाद को ठीक हो जायगा। माननीय गुप्त जी सारे प्रान्त का डेवलपमेंट करेंगे, तो उस सारे प्रान्त के डेवलपमेंट में क्या कहीं काला धब्बा वह छोड़ देंगे? क्या वह ठाकुरद्वारे के काले धब्बे को रखेंगे, या और जो इस किस्म की खराब जगहें हैं उनका डेवेलपमेंट नहीं करेंगे? अगर वह डेवलपमेंट न करें वहां तो क्या गुप्त जी का डेवेलपमेंट पूरा मान लिया जायगा? तो इस तरीके से, यह तो छोटी-छोटी बातें हैं। मौलिक बात यह है कि इस डिवीजन के हक में न तो लिंग्विस्टिक आधार आता है न इसका एरिया बड़ा होने का आधार आता है—कुछ उससे बड़े एरिया के बन चुके—तो फिर इसके अलावा एक ही बात रह जाती है। जैसे दस्तखत करने वाले आदमियों

[श्री शिवस्वरूप सिंह]

में मैं भी था। मेरे दिमाग में भी शायद यही बात हो, और तो कोई सूझती नहीं कि मेरा स्वार्थ है। मैंने दस्तखत इसीलिए कर दिये हों कि यहां पर लीडरों का सेंटर है, तो दो टुकड़े हो जाने से लीडरों का डिसेंट्रेलाइजेशन तो जरूर हो जाता है और उस डिसेंट्रलाइजेशन में फिर अपने जैसे का भी काम हो सकता है। अगर मिनिस्टर नहीं तो डिप्टी मिनिस्टर होने का दांव तो लगता ही था। यहां जब यह पोजीशन है कि यहां तो कोई पूंछ नहीं, तो वहां अगर डिवीजन हो जायगा तो मेरे जैसों की पूंछ हो जाती। इसी पर मांग घट सकती थी और बाकी दलील की हैसियत से सूबे के टुकड़े हो जायं तो मेरी समझ में कोई दलील नहीं आयी। इसलिये मैं सख्ती के साथ इस बात का विरोध करता हूं कि इस किस्म की आवाज उठायी जाय कि सूबे के दो टुकड़े हों और सूबा दो हिस्सों में हो जाय।

यह भी मुझे निवेदन करना है कि सूबा दो हिस्सों में हो जाय तो प्रधान मंत्री चाहे माननीय श्रीचन्द्र जी उस प्रान्त के हो जायं, लेकिन मिनिस्टर तो चौधरी चरणसिंह या विचित्रनारायण शर्मा जी यही सब होंगे, जब ये मिनिस्टर यहां रह करके प्रान्त का कल्याण नहीं कर पाते तो कुर्सी चेंज करने में, लखनऊ से आगरे जाने में क्या उनमें सारी काबलियत आ जायगी? तो यह दलील भी कुछ मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी सौभाग्य से ऐसे जिले से आता हूं और उन जिलों में मेरा जिला शामिल है जिनके नाम पर आज यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न सदन के विचाराधीन है।

जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, मैं भी उन लोगों में था कि मैंने भी उस समय उस मांग पर हस्ताक्षर किये थे और दिमाग में एक इस तरह की बात थी कि शायद एक छोटा प्रांत बनने के बाद संभव है कुछ सुविधायें हों। मेरे कई मित्र कह रहे हैं कि मैंने दबाव में आकर वापस लिया। मेरे सामने जब यह रूप आया कि नये राज्य निर्माण समिति के अध्यक्ष पं० श्रीराम शर्मा, भूतपूर्व मिनिस्टर पंजाब, पंडित श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, भतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर यू० पी०.....

श्री अध्यक्ष---जो लोग यहां मौजूद नहीं हैं उनका नाम आप क्यों ले रहे हैं? यह उचित नहीं मालूम होता।

श्री महीलाल---श्रीमन्, एक छपा हुआ पैंड का कागज है।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि इस तरह से अगर चलेगा तो गरमा-गरमी हो जायगी।

श्री महीलाल---जो आपका आदेश। इसके अतिरिक्त उस समय दिल्ली के साथ मिलने का प्रश्न था और हमारे सामने एक छोटा नक्शा था जिसके आधार पर हमारे साथियों के दिमाग में इस तरह की बात आयी थी। लेकिन अब जो नक्शा हमारे सामने सरदार पणिक्कर के नोट के बाद आता है उससे कम से कम मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुरादाबाद के लोगों को नये प्रांत की राजधानी तक जाने में अब से ज्यादा दिक्कतें उनके सामने आयेंगी। लखनऊ, अगर मुरादाबाद का आदमी ६ घंटे में आ जाता है तो आगरा पहुंचने के लिये उसे तेज से तेज ट्रेन पर सवार होने के बाद भी कम से कम १२ घंटे खर्च करने पड़ेंगे।

दूसरी बात मैं अपने जिले के लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम पश्चिमी जिलों के लिये कहता हूं जो इसमें शामिल किये जा रहे हैं उन्हें सबको इस प्रश्न पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना है जिसकी ओर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय ध्यान दिलाया था। वह मुख्य बात उन्होंने यह कही थी कि यह समय देश के पुनर्निर्माण का है और

हमारी पूरी शक्ति पुनर्निर्माण में लगनी चाहिये। लेकिन जब हम अपना नया प्रांत बनायेंगे तो नयी राजधानी बनाने के लिये और पूरे सचिवालय को फिर से बनाने के लिये हमें अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। तो हमारा वह विकास-कार्य और शासन के कार्य जिनके लिये हम अपने को अलग करना चाहते हैं कई वर्ष पीछे चले जायंगे। हमारी शक्ति एक नया घर बनाने में लग जायगी और नतीजा यह होगा कि शामिल रह कर जितनी जल्दी हम अपने जिलों का उद्धार कर सकते हैं उतनी जल्दी शायद हमारा स्वप्न नये राज्य में पूरा नहीं हो पायेगा।

इसके अतिरिक्त जो विचार सरदार पणिक्कर साहब ने अपने प्रतिवेदन में असहमति देते हुये प्रकट किये हैं उनको देखने के बाद भी इस प्रांत का हर व्यक्ति यह अवश्य सोचेगा कि उनकी बात में एक द्वेष की भावना टपकती है। जैसे कि उन्होंने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश पर हावी है। इसमें कहां तक सच्चाई है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यह है कि आज भी केंद्रीय सरकार के सचिवालय को देखिये कि वहां कितने अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं और कितने मद्रास और दूसरे प्रांतों के हैं। तो उनकी बात इस तराजू पर तौलने पर भी निराधार सी सिद्ध होती है। जहां तक हमारे लोक सभा में प्रतिनिधियों का संबंध है कि उन प्रतिनिधियों से लोक सभा और वहां की सरकार प्रभावित रहता है इस बात को भी गलत साबित करने के लिये प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है कि अनुपाततः हमारे प्रदेश को दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा जो सहायता केन्द्र से मिलती है वह कम मिल रही है और लगातार कम मिली है। तो उनकी यह बात भी अपनी जगह पर निराधार साबित होती है। दूसरी बात उन्होंने प्रांत के बड़े होने के बारे में कही है कि यह प्रांत बहुत बड़ा है, तो जिस समय मध्य प्रदेश बनाने का कमीशन का निर्णय था तो उनको अपनी असहमति देनी चाहिये थी जो उन्होंने नहीं दी। इसके अतिरिक्त जो हम नक्शा देखते हैं, उससे यह पता चलता है कि चौड़ाई में कुछ भी कमी हुई है लेकिन लम्बाई में जो चित्र मेरे सामने मौजूद है उसमें बहुत थोड़ा अन्तर हमारी वर्तमान लम्बाई में पड़ता है। इस लिहाज से यह ठीक है कि आबादी नये प्रान्त की कम होगी।

माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव में संशोधन के बाद जो नया रूप हमारे राज्य का बना है उसमें लम्बाई में तो कोई अन्तर नहीं है। टेहरी-गढ़वाल से लेकर झांसी, ललितपुर तक आ जाते हैं और कोई अन्तर हमारे प्रदेश की लम्बाई में नहीं पड़ता है। चौड़ाई की वजह से अन्तर है। आगरे से जो मिनिस्टर दौरे पर टेहरी-गढ़वाल जायगा तो उसे अवश्य ज्यादा समय लगाना पड़ेगा बजाय लखनऊ से जाने में। इसी प्रकार से आगरे से दक्षिण की ओर चलेंगे तो भी ज्यादा समय लगेगा। इसलिये यह बात अपनी जगह पर जंचती नहीं है।

इसके अतिरिक्त भाषा के आधार पर प्रांत के पुनर्निर्माण की बात कही गई। यह चित्र जो भाषा के आधार पर हमारे प्रांत को चार भागों में बांटता है टेहरी-गढ़वाल तथा अल्मोड़ा वालों की पहाड़ी भाषा बतलाई गई है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी हिन्दी अर्थात् ब्रज भाषा में हमारे जिले अर्थात झांसी, रुहेलखंड और मेरठ डिवीजन आ जाते हैं तीसरी भाषा के हिसाब से पूर्वी हिन्दी अर्थात् अवधी जिसमें लखनऊ और इलाहाबाद वगैरह आते हैं और चौथी भाषा बिहारी है जिसमें देवरिया, गोरखपुर वगैरह आ जाते हैं। इस प्रकार से भाषा के आधार पर हमारे प्रांत के चार भाग किये गये हैं। जब हम नये राज्य को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि यह चारों भाषाओं से मिलकर बना है तो भाषा के आधार पर भी कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

जिस समय आयोग का निर्माण हुआ तो भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन का विचार आयोग के सामने रखा गया था और यही नहीं कांग्रेस के प्रस्ताव पर भी बार-बार इस सदन में चर्चा की गयी है कि कांग्रेस की अपनी नीति थी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण होना चाहिये। जब मैं इस दृष्टिकोण से अपने नये बनने वाले राज्य को देखता हूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसे मोटे-मोटे कारण हैं जो मुझ जैसे तुच्छ बुद्धि के मस्तक वाले व्यक्ति पर भी प्रभाव नहीं डालते और मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं

[श्री महीलाल]

कि इस समय श्री श्रीचन्द्र जी यदि अपने प्रस्ताव पर जोर देते हैं तो गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो उनके संशोधन से हमारा हित नहीं होता। लेकिन जहां तक माननीय श्री श्रीचन्द्र जी के विरोध में जो कुछ भाषण माननीय साथियों की ओर से हुये जिनमें कुछ इस तरह के कटाक्ष और आक्षेप किये गये जो किसी भी व्यक्ति के हृदय को चोट पहुंचा सकते हैं, उन पर मैं खेद प्रकट करता हूं। जैसे किन्हीं साहब ने माननीय श्रीचन्द्र जी को स्वर्गीय जिन्ना साहब कह दिया, किसी ने उनको मुस्लिम लीगी मनोवृत्ति का कहा, एक आध साहब ने हृदय-हीन कह दिया। मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। माननीय श्रीचन्द्र जी को मानने के लिए हमारी वही नीति और विचार होना चाहिये जो हमारे सदन के नेता ने अपने प्रस्ताव को पेश करते समय व्यक्त किये और मैं समझता हूं कि अगर हमारा वही दृष्टिकोण रहा तो वह समय दूर नहीं है कि जब कल माननीय श्रीचन्द्र जी अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे। मैं भविष्य के लिये भी यह आशा करता हूं कि जब हमारे पूर्वी जिलों के भाई या हमारे मध्य के जिलों के भाई इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करेंगे तो उनके मस्तिष्क में कोई कटुता न आयेगी। यह तो विचार का प्रश्न है। अगर दिमाग में परेशानी हो तो यह जरूरी नहीं है कि हम सदा सत्य और सही बात को ही सोचें, गलत बात भी सोच सकते हैं। अगर गलत बात उन्होंने सोची है तो हमारे आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के प्रस्ताव अथवा देश के नेताओं के निर्णय के बाद इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती कि माननीय श्रीचन्द्र जी या उनके दूसरे साथी इस बात पर ज्यादा जोर दें और खासकर तब, जबकि हमारे देश में बम्बई और विन्ध्य-प्रदेश जैसी दुर्घटनायें सामने आ रही हों।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली, लखनऊ और आज सारे देश में जिस पार्टी की हुकूमत है उसने इस देश में जो बीज बोया है, मैं समझता हूं कि आज वह पनप रहा है और कहा नहीं जा सकता है कि इस देश का क्या होने वाला है। श्रीमन्, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बटवारे का विरोध यदि उस वक्त डट कर के कुर्सियों पर बैठने वाले हमारे दोस्तों ने किया होता तो आज हमारे देश में यह परिस्थिति पैदा न हुई होती। मैं कोई आक्षेप के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं श्रीमन्, लेकिन साफ कहना चाहता हूं कि देख कर लोगों की भावनायें बढ़ती हैं। हिन्दुस्तान का बटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बन जाने के बावजूद भी वहां पर आज झगड़ा है सिंधियों का, पंजाबियों का, बंगालियों का। आज सारे पाकिस्तान में बटवारे की मांग की जा रही है। मैं अपने विभाजन के समर्थकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा खयाल कीजिये कि अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है तो क्या यही बरबादी जो १६ जिलों का प्रान्त बनने वाला है उसमें न आ जायगी? वहां के लोगों में क्या गरीबी नहीं है? क्या वहां के लोगों में इस तरह की भावनायें नहीं हैं कि एक जाति दूसरी जाति पर जोर जमा कर शासन करे? मेरा विश्वास है श्रीमन्, कि जो गंदगी पाकिस्तान में है वही गंदगी उस स्थान को भी प्रभावित करेगी। इसीलिये आज सदन में बहुमत से लोग इसका विरोध करते हैं। श्रीमन्, सदन में तीन दिन से जो विवाद चल रहा है, उसके निष्कर्ष पर जब हम पहुंचते हैं तो दो बातें पाते हैं। पहली तो यह कि शासन प्रबन्ध खराब है और दूसरी बात यह कही जाती है जो बहुत गौर तलब नहीं है। कहा जाता है कि पूर्वी जिलों पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। श्रीमन्, मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि जो इस सरकार को निकम्मी कहते हैं, वह आज तक इस ३॥ साल तक इस सरकार की हमदर्दी में और इस सरकार की जी हजूरी में समय बिताते रहे हैं। श्रीमन्, मैं एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण यह सदन चाहे तो दे सकता हूं कि ऐसे ऐसे मौकों पर इन विभाजन चाहने वालों में सरकार को ठीक किया होता तो आज यह कहने की नौबत न आती कि सरकार का इन्तजाम खराब है।

श्रीमन्, जहां तक शासन के प्रबन्ध का प्रश्न है श्री यादव जी ने और श्री जयपाल सिंह जी ने इस सरकार की भूरि-भूरि शासन प्रबन्ध की शिकायत की है। मैं आगे बढ़कर उनका समर्थन

करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं कि श्रीमती चन्द्रवती जी जो इस समय यहां पर मौजूद नहीं हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सिंचाई रेट के आन्दोलन को लेकर पच्छिम जिलों में हमारी पार्टी ने आन्दोलन किया, आगरा और मथुरा में शासन ने क्या क्या नहीं किया? माताओं और बहिनों की साड़ियां खिंचवाई गईं और बलात्कार किये गये। इसी सदन में जब कामरोको प्रस्ताव रक्खा गया तो श्रीमन्, उस वक्त श्रीमती चन्द्रवती ने उसी सरकार का साथ दिया, जो सरकार अपने अफसरों से इस तरह का काम कराती है। मैं श्री यादव जी से कहना चाहता हूं कि यदि आप शासन को ठीक करना चाहते हैं और उसको ठीक रास्ते पर लाना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से और दिल से आपको सरकार के खिलाफ कोई बगावत का कदम उठाना पड़ेगा और उसके ऊपर कोई अंकुश लगाना पड़ेगा, किन्तु आप अंकुश नहीं लगाते हैं। आप विरोधी भावना को दबा कर अब यह कहते हैं कि हम अलग राज्य बनाकर शासन प्रबन्ध को ठीक करेंगे। एक इकाई को बना कर किसी प्रकार से यह नहीं किया जा सकता कि वहां की हुकूमत अच्छी हो सकती है। हुकूमत अच्छी होती है किसी सिद्धान्त पर। यहां की हुकूमत किसी सिद्धान्त पर नहीं है। यह किसी उद्देश्य को लेकर नहीं चलती है। यह नहीं चाहती कि हमारे देश में किसी संघर्ष का खात्मा हो। श्रीमन्, विभाजन के समर्थक लोग महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं। श्री विकल जी ने और श्रीमती चन्द्रवती जी ने दुहाई दी है कि महात्मा गांधी और श्री जवाहर लाल नेहरू ने सन् २१ में यह कहा था कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिये। श्रीमन्, विभाजन शब्द कुछ कड़वा शब्द है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने तो यह भी कहा था कि जमीन का कोई मुआविजा नहीं मिलना चाहिये। जमींदारी के खात्मे के बाद जमीन किसानों में बाँट देनी चाहिये। लुई फिशर से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम जमीन लेंगे और उसका बटवारा करेंगे। क्यों नहीं श्री वीरेन्द्रपति यादव जी अपनी सरकार से इस बात को कहते कि जमीन का बटवारा होना चाहिये। जब इस तरह का कोई प्रस्ताव इस सदन में हमारी ओर से आता है तो उसका विरोध किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि इस सरकार को आप उचित रास्ते पर लाना चाहते हैं तो इन बातों पर ध्यान दीजिये। विभाजन चाहते हैं तो किसका विभाजन किया जाय? सब जगह गरीबी फैली हुई है। पूर्वी जिलों को देखिये या पहाड़ी जिलों को देखिये या दक्खिनी जिलों को देखिये सब जगह गरीबी ही गरीबी है। मैं विभाजन के समर्थकों से जानना चाहता हूं कि सन् १९५२ के पहले पूर्वी जिलों में प्रदेशीय सरकार के बजट से कितना रुपया व्यय किया गया है? ये हिस्से अंग्रेजी और देशी राज्य के उपेक्षित रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ७ मिनट आप बोल चुके हैं, कल फिर ८ मिनट आप बोल सकते हैं। केवल ८ मिनट आपका समय रह गया है

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ नवम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८८ पर)

थाना हरगांव जिला सीतापुर में जनवरी, १९५३ से ३१ अगस्त, १९५५ तक होने वाले कत्ल और डकैतियों का विवरण

थाना	अपराध	रिपोर्ट की गई	चालान किया गया	सजायाब हुये	रिहा हुये	जेर तजवीज है	लापता
१	२	३	४	५	६	७	८
हरगांव	कत्ल	६	३	..	३	..	३
हरगांव	डकैती	१४	१३	६	२	५	१

अर्थ पदुग्ध विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९१ पर)

उत्तर प्रदेश में सन् १९५४ में होने वाली डकैतियों, चोरियों और कत्लों का विवरण।

जिला	डकैती	चोरी	कत्ल
आगरा प्रान्त			
देहरादून	..	३५०	९
सहारनपुर	२७	५९४	२८
मुजफ्फरनगर	२०	३२४	३१
मेरठ	३१	९७५	[illegible]
बुलन्द शहर	४०	३०६	[illegible]
योग, मेरठ कमिश्नरी ..	११८	२५४९	[illegible]
अलीगढ़	३९	६३८	५२
मथुरा	१९	३४४	१५
आगरा	२४	६९०	[illegible]
मैनपुरी	३२	२६६	[illegible]
एटा	५०	३३३	[illegible]
योग, आगरा कमिश्नरी ..	१६४	२२७१	१८८
बरेली	२०	७५९	३९
बिजनौर	११	१९७	[illegible]
बदायूं	३५	३३७	[illegible]
मुरादाबाद	१२	५९९	[illegible]
शाहजहांपुर	१९	३६२	४९
पीलीभीत	११	१६२	२०
रामपुर	५	३६१	१२
योग, रुहेलखंड कमिश्नरी ..	११३	२७४७	२३७
फर्रुखाबाद	२५	३१८	५९
इटावा	१०	३८८	२१
कानपुर	२२	१७१९	५१
फतेहपुर	८	२३४	४०
इलाहाबाद	२६	१२१४	४६
योग, इलाहाबाद कमिश्नरी ..	९१	३८७३	२१७

संसद पुस्तकालय

जिला	डकैती	चोरी	कत्ल
बांदा	१५	१८८	१८
हमीरपुर	९	१४९	३१
झांसी	११	२१३	२४
जालौन	१२	१७१	१८
योग, झांसी कमिश्नरी ..	४७	७२१	९१
बनारस	११	१०५०	३३
मिर्जापुर	९	२९४	३५
जौनपुर	११	३२२	२६
गाजीपुर	४	२६८	९
बलिया	८	१७२	९
योग, बनारस कमिश्नरी ..	४३	२१०६	११२
गोरखपुर	१३	६३३	३१
बस्ती	८	२१४	१९
आजमगढ़	१२	२८६	२२
देवरिया	३४	३१६	२२
योग, गोरखपुर कमिश्नरी ..	६७	१४४९	९४
नैनीताल	१३	२७३	९
अल्मोड़ा	..	२०	..
गढ़वाल	..	३७	५
योग, कुमायूं कमिश्नरी ..	१३	३३०	१४
योग, आगरा प्रान्त			
अवध			
लखनऊ	२५	१६०३	५३
उन्नाव	१३	३७९	६५
रायबरेली	२८	२३७	२९
सीतापुर	२६	३६२	५६
हरदोई	२६	४७६	५५
खेरी	२२	३३१	४०
योग, लखनऊ कमिश्नरी ..	१४०	३३८८	२९८

जिला	डकैती	चोरी	कत्ल
फैजाबाद	२०	४५०	२८
गोंडा	१४	४२५	२७
बहराइच	[illegible]	[illegible]	१५
सुलतानपुर	१६	२२४	२०
प्रतापगढ़	१८	११५	२१
बाराबंकी	२४	३१२	५९
योग, फैजाबाद कमिश्नरी ..	१०१	१९५०	१७०
जी० आर० पी० ..	४	३२७९	६
योग, संयुक्त प्रान्त ..	९०१	२४६६३	१५९२

अवध पदेश्वर विद्यालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९२ पर)

सूची 'क'

पिछड़ी जातियों की सूची, जिन्हें सरकारी नौकरियों में विशेष सुविधाएं दी जाती हैं :

१—अरख
२—बन्जारा
३—भर
४—बिन्द
५—मोटिया
६—छीपी
७—क्षोभा
८—जुलाहा (अनसार)
९—कोरी
१०—कुंजड़ा
११—लुनिया या नुनिया
१२—मनिहार
१३—मुराउ
१४—नायक
१५—धुनियां

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ख'

पिछड़ी जातियों की सूची जिन्हें केवल शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दी जाती हैं

हिन्दू	मुसलमान
१—नाई	१—रंगरेज
२—लोहार	२—मीरासी
३—सुनार	३—कलाली
४—तेली	४—भटियारा
५—कुम्हार	५—फकीर
६—भर	६—नद्दाफ (धुनिया)
७—नायक	७—दर्जी
८—गड़रिया	८—मोमिन (अनसार)
९—दर्जी	९—हज्जाम (नाई)
१०—कोरी (आगरा, मेरठ, रुहेलखंड डिवीजन में)	१०—भंगी
११—काछी	११—कसगर
१२—बंजारा	१२—नक्काल
१३—छीपी	१३—मुस्लिम कायस्थ
१४—जोगी	१४—मनिहार
१५—गूजर	१५—नट
१६—माली	१६—बढ़ई
१७—कहार	१७—कुंजड़ा
१८—मनिहार	१८—गद्दी
१९—बढ़ई	१९—किसान
२०—धीवर	२०—चिकवा (कस्साब)
२१—गुसाईं	२१—मोझा
२२—किसान	
२३—भूरजी या भरभूंजा	
२४—बैरागी	
२५—तमोली	
२६—कोइरी	
२७—अरख	
२८—कुर्मी	
२९—अहीर	
३०—लोध	
३१—हलवाई	
३२—मुराउ या मुराई	
३३—केवट या मल्लाह	
३४—लुनिया	
३५—बारी	
३६—दुसाध	
३७—बिन्द	
३८—मोटिया	

पुनश्च: कुमाऊं डिवीजन में मरछा, नायक, गिरी और पिछड़े मुस्लिम भी पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत समझे जावेंगे।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ व ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९७ पर)

सन् १९४२ में जिला बनारस के धानापुर काण्ड में मारे गये चार पुलिस वालों के परिवारों को दी हुई पेन्शनों आदि का विवरण—

१—सब-इन्सपेक्टर, श्री अनवारुल हक।

(अ) विधवा पत्नी को पुनर्विवाह या मृत्यु तक। (जो भी पहले हो) २६ रु० ११ आना प्रतिमास की पेन्शन तथा ३२० रु० की ग्रेचुइटी।

(ब) दोनों लड़कों में से प्रत्येक को १८ वर्ष की अवस्था हो जाने तक ४ रु० प्रतिमास की पेन्शन।

(स) चारों पुत्रियों में से प्रत्येक को विवाह या २१ वर्ष तक की अवस्था हो जाने तक (जो भी पहले हो) ४ रु० प्रतिमास की पेंशन।

२—हेड कान्सटेबुल, श्री अबुल खैर।

(अ) विधवा पत्नी को मृत्यु या पुनर्विवाह पर्यन्त (जो भी पहले हो) १० रु० प्रतिमास की पेन्शन तथा १२० रु० की ग्रेचुइटी।

(ब) एक पुत्र को १८ वर्ष की अवस्था हो जाने तक ४ रु० प्रतिमास की पेन्शन।

(स) एक पुत्री को विवाह या २१ वर्ष की अवस्था हो जाने तक (जो भी पहले हो) ४ रु० प्रति मास की पेन्शन।

३—कान्सटेबुल, मुहम्मद अब्बास खान

(अ) विधवा पत्नी को पुनर्विवाह या मृत्यु तक (जो भी पहले हो) ६ रु० प्रति मास की पेन्शन तथा ६० रु० की ग्रेचुइटी।

(ब) दोनों पुत्रों में से प्रत्येक को १८ वर्ष की आयु तक ३ रु० प्रतिमास की पेन्शन।

(स) एक पुत्री को विवाह या २१ वर्ष की अवस्था हो जाने तक (जो भी पहले हो) ३ रु० प्रतिमास की पेन्शन।

४—कान्सटेबुल, श्री वसी अहमद।

(अ) दोनों विधवा पत्नियों में से प्रत्येक को पुनर्विवाह या मृत्यु तक (जो भी पहले हो) ६ रु० प्रति मास की पेन्शन तथा ३६ रु० की ग्रेचुइटी।

(ब) एक पुत्र को १८ वर्ष की अवस्था हो जाने तक ३ रु० प्रति मास की पेन्शन।

(स) एक पुत्री को २१ वर्ष की आयु या विवाह हो जाने तक (जो भी पहले हो) ३ रु० प्रतिमास की पेन्शन।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर)

ग्राम पनगरा, तहसील नरैनी, जिला बांदा में तारीख १२-७-१९५५ की रात को हुई घटना का विवरण

दिनांक १२-७-१९५५ की रात को सर्व श्री रामेश्वर प्रसाद, रामानन्द तथा जगदेव प्रसाद ने थाना नरैनी पर रिपोर्ट की कि ग्राम पनगरा के सरपंच ने उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिये कुछ बदमाश इकट्ठा किये हैं और पनगरा जाने में उनकी जान का खतरा है। इस पर २ सशस्त्र कान्सटेबुल तथा कुछ अन्य व्यक्ति लारी से उनके साथ गये। पनगरा के करीब नहर की पटरी पर टार्च की रोशनी दिखाई दी और बन्दूक के फायर की सी आवाज सुनाई दी। श्री रामेश्वर प्रसाद आदि ने कहा कि उनके ऊपर गोली चलायी जा रही है। इस पर पुलिस ने उनको आश्वासन देने के लिये ३ हवाई फायर किये। श्री रामानन्द आदि अकेले घर जाने को तैयार न थे अतः मोटर नरैनी की ओर मोड़ी गयी किन्तु इन्जन मिस फायर कर के वहीं रुक गया। थाना नरैनी से कुछ पुलिस और बुलायी गयी और इन लोगों को घर पहुंचा दिया गया। जांच करने पर किन्हीं डाकुओं का श्री रामानन्द आदि को नुकसान पहुंचाने के लिये जमा होना नहीं पाया गया। नहर पर जो रोशनी देखी गयी थी वह ठेकेदार तथा ओवरसियर के टार्च की थी जो कि इन्जीनियर साहब से मिल कर जा रहे थे।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर)

जिला उन्नाव में १ जनवरी सन् १९५४ से ३१ जुलाई सन् १९५५ तक हुई हत्याओं का विवरण—

क्रम-संख्या	मामलों की संख्या जिनकी रिपोर्ट की गई	मामलों की संख्या जिनमें जांच की गई	मामलों की संख्या जिनमें चालान किया गया	मामलों की संख्या जो सजा-याब हुए	मामलों की संख्या जो छूट गए	मामलों की संख्या जो अदालत में विचारा-धीन हैं	मामलों की संख्या जिनकी अभी जांच हो रही है	मामलों की संख्या जो लापता रहे और जिनमें अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	१०१	१०१	६७	१९	१९	२९	४	३०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ व ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

जिला बांदा में सन् १९५४ और १९५५ में हुये कत्लों का विवरण

क्रम-संख्या	तहसील	रिपोर्ट हुए	चालन किये गये	सजा हुई	छुट गये	न्यायालय में विचाराधीन	जांच जारी है	लापता रहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	१९५४							
१	बांदा	१२	१०	५	२	३	..	२
२	बबेरू	१४	१२	३	५	४	..	२
३	करवी	८	७	४	२	१	..	१
४	मऊ	१०	९	३	५	१	..	१
५	नरैनी	७	५	३	२	..	..	२
	१९५५							
१	बांदा	१२	६	..	..	६	१	५
२	बबेरू	१४	९	..	१	८	..	५
३	करवी	२	१	..	१	..	१	..
४	मऊ	५	५	..	१	४	..	..
५	नरैनी	७	६	..	..	६	१	..

पी०एस०यू० पी० ए० पी०—१४४ एल० ए०—१९५६—७९६।